खण्ड-259, अंक-7
मंगलवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(31 अगस्त, 1965 ई0)

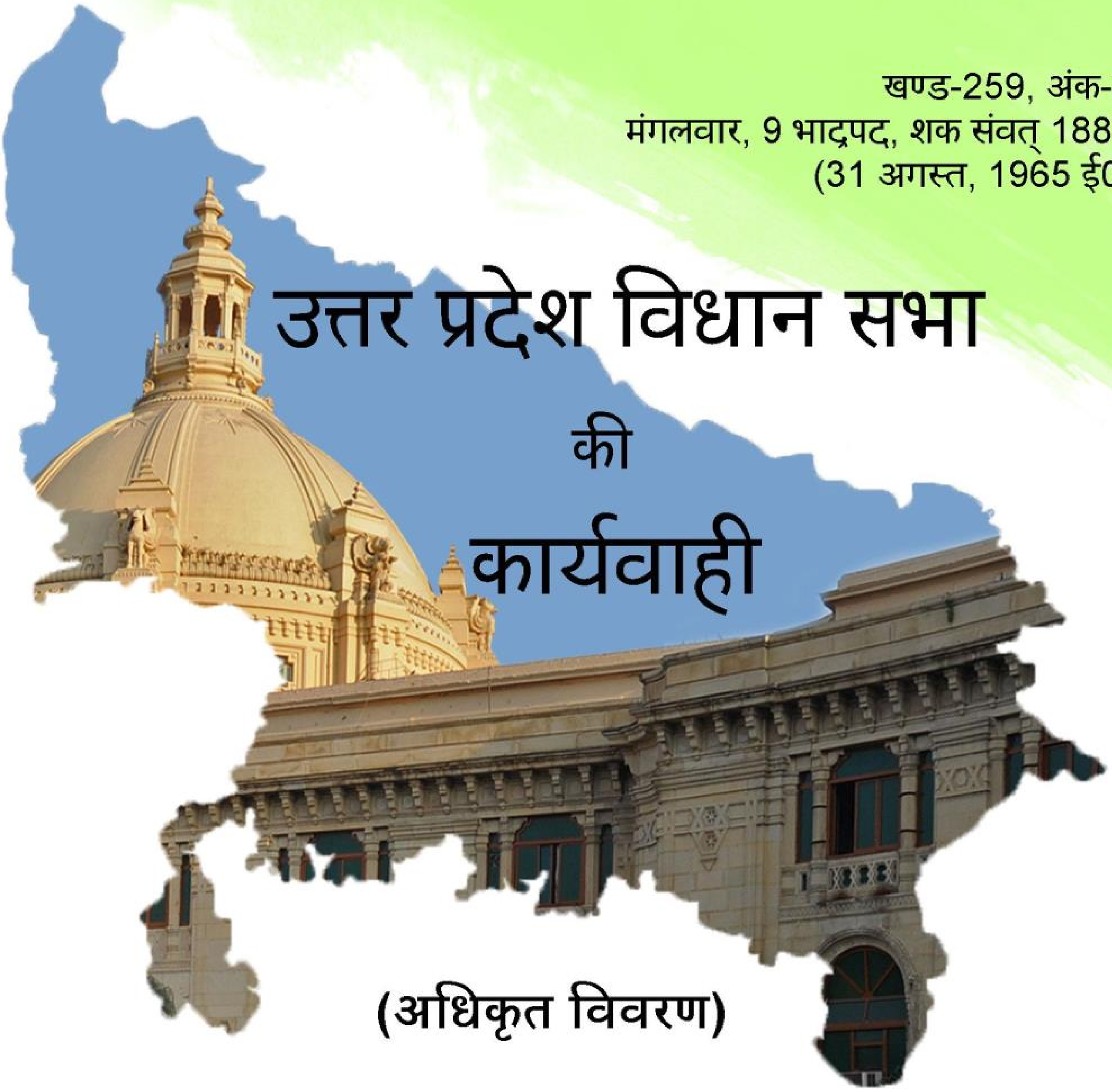

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ६१९–६२३ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ६२३–६४९ |
| यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (जारी) .. | ६५० |
| मंत्रि–परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी .. .. | ६५० |
| यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रक्खे गये) .. ... .. .. | ६५०–६५१ |
| विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें (स्थगित) .. .. | ६५१–६५२ |
| चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण होने वाले कुछ पुलों का एस्टीमेट केन्द्रीय सरकार को न भेजने के फलस्वरूप धन न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (स्वीकृत) .. .. | ६५२ |
| जे० के० काटन मिल कानपुर के मालिकों द्वारा मजदूरों को बोनस न दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (स्वीकृत) .. .. | ६५३ |
| नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें .. .. | ६५३–६५४ |
| विस्थापित सुनारों के लड़कों की फीस माफी की धनराशि को शिक्षा संस्थाओं को न प्रदान किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. | ६५५–६५८ |
| मंत्रि–परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा दी गई) .. | ६५८–६६० |
| श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव .. .. .. | ६६०–६७३ |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (जारी) .. .. | ६७३–७२० |
| नन्थियां .. .. .. .. .. | ७२१–७२७ |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

मंगलवार ३१ अगस्त, १९६५

---

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य ३७४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेधनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनासिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, श्री ( बिजनौर)
गिरधारी लाल, श्री ( वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री ( बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री ( मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुरहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री ( उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

विधान सभा

पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह,श्री ( टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तला ल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहन लाल गुप्त, श्री
बृजराज सिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवादास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधो नारायण मुद्गल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुकन्दी लाल बैरिस्टर, श्री
मुकुट बिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू सिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपाल सिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर त्रिपाठी, श्री
राम किशोर वर्मा, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति, 'अंचल' श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुम सिंह राठौर, कुंवर
रुद्र प्रताप सिंह, कुंवर
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लखपत राम शर्मा, श्री
लखी सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लाल बहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोक पाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रम शाह राजा
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय कुमार, श्री
विजय शंकर, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विजय सिंह, श्री
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पान्डेय, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशि भूषण सिंह, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बन लाल सक्सेना, श्री
शिव चरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पतिशर्मा, श्री
शिवेन्द्र प्रताप, श्री
शीतल प्रसाद, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
शुगन चन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्याम लाल, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धा देवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्री राम, श्री
श्री राम तिवारी, श्री

सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्य नारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सिया राम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम बिशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज पाल सिंह यादव, श्री
सूरज लाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह बिसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री श्री कैलाश प्रकाश तथा गृह मंत्री, श्री हरगोबिन्द सिंह भी उपस्थित थे।

---

## प्रश्नोत्तर

---

मंगलवार ३१ अगस्त, १९६५

## तारांकित प्रश्न

---

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

### सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों में नहरें बन्द रहना

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा श्री विजय पाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों में बहने वाली नहरों को, जो पिछले कई दिनों से बन्द हैं, तुरन्त चालू करने के आदेश जारी करेगी ताकि बारिश न होने के कारण जो धान की फसल लगाई नहीं जा सकी है, लगाई जावे ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

पूर्वी यमुना नहर जो बन्द थी वह चालू कर दी गई है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि इतना सूखा रहा एक मास तक बारिश नहीं हुई, तो क्या कारण विशेष थे जिन से एक मास सूखे में भी पानी बरसने से पहले नहर का पानी बन्द रहा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जहां तक जमुना नहर की बात है उस का मुहाना पंजाब सरकार के कंट्रोल में है, उस में बाढ़ से मिट्टी जमा हो गई थी और हमारी तरफ धीरे-धीरे पानी आना कम हो गया था, हमारे लोगों ने पंजाब सरकार से बातचीत की और १,००० आदमियों ने वहां काम कर के उस मिट्टी को साफ कर दिया और अब पानी ठीक आने लगा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

पहली बारिश जो सहारनपुर में हुई है वह १७ जुलाई को हुई थी और १७ जुलाई से २० अगस्त तक पानी बन्द रहा और इस समय में कितनी पानी की आवश्यकता थी इस की जानकारी तो सरकार को है ही, तो क्या वजह थी कि इतना वक्त पंजाब सरकार से बातचीत में खराब किया गया और १,००० आदमी लगाकर फौरन उस मिट्टी को साफ नहीं कराया गया ? क्यों मुहाने को तुरन्त साफ कराने के आदेश जारी नहीं किये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आपको जरा सी गलतफहमी है उस का मुहाना थोड़ा सा डिफेक्टिव बना है, पानी आने की हमारी और पंजाब सरकार की अलग अलग बात है कि किस तरह से पानी पहुंचेगा, अभी भारत सरकार ने सेन्ट्रल पावर कमीशन मुकर्रर किया है कि वह जांच कर के बताये कि कैसे बने, उस के रिमाडेलिंग की जरूरत है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ईस्ट जमुना कैनाल किस तारीख को छोड़ी गई और उसमें पानी कितना छोड़ा गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

३१-७-६५ से ३-८-६५ तक वहां भारी बाढ़ आई और मुहाने पर मिट्टी जमा हो गई और उस की वजह से नहर में पानी धीरे-धीरे कम हो गया, वह बन्द नहीं हुई।

डाक्टर रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

अभी उत्तर में बताया गया कि जमुना नहर का मुहाना पंजाब के सूबे में पड़ता है तो मैं जानना चाहता हूं कि जब वह गत वर्ष ही अक्टूबर, नवम्बर में रेत से बाढ़ में पट गया था और मालूम हो गया था कि उसमें मिट्टी आ गई है तो इस साल उस के बाद लिखापढ़ी में इतना समय क्यों बरबाद किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आपने मेरी बात सुनी नहीं है। यह तो ३१-७-६५ से ३-८-६५ तक जमा हुआ है।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)—

जहां तक मेरी जानकारी है ये फ्लड और वर्षा हर साल आती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह नहर जितने दिन इस वर्ष बन्द रही वह पहले भी किसी वर्ष बन्द रही थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नुकसान पहले भी होता रहा है। पानी भी कम होता रहा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

आम तौर पर यह देखा जाता है कि जब प्रदेश में पानी की जरूरत होती है तो नहरों में पानी नहीं आता है। तो क्या माननीय मंत्री जी अपने इन्जीनियरों को सख्त से सख्त हिदायत करेंगे कि जिस वक्त जरूरत हो नहरों में पानी छोड़ा जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

गंगा की नहर की बात तो नहीं है। यह तो यमुना नहर की बात है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं सब दरियाओं की नहरों की बात करता हूं चाहे गंगा नहर हो, यमुना नहर हो और चाहे शारदा नहर हो।

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया।)

श्री बद्री प्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने, वर्षा की कमी के कारण, अपने इन्जीनियर्स को यह आदेश दे दिये हैं कि सारे प्रदेश की नहरों को यथासंभव चलाने का प्रयास किया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। ऐसे आदेश दे दिये गये हैं और हमारे जो जिले के दूसरे अधिकारी हैं, उन्हें भी आदेश दे दिये हैं कि वे भी उनकी मदद करें।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि गंगा की जो बड़ी नहर है उसमें तो पानी चल रहा है परन्तु उसकी जितनी ब्रान्चेज हैं, वे बिलकुल नहीं चल रही हैं। मेरा गांव भी गंग नहर की ब्रान्च के किनारे पर है तो उसमें भी पानी नहीं छोड़ा गया है। मैं मानता हूं कि नहरों में पानी चल रहा है क्योंकि उसके किनारे पर बिजली घर बने हुए हैं लेकिन उनकी ब्रान्चेज में पानी नहीं चलता है। तो इसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जब बड़ी नहर चलती है तो ब्रान्चेज में तो अवश्य पानी चलता है। यह हो सकता है कि आपके यहां वाली ट्रिब्युटरी में पानी न गया हो और दूसरी जगह गया हो।

श्री मूलचन्द शास्त्री—

ब्रान्चेज में बिलकुल नहीं चल रहा है। यह भी नहीं है कि अगर बड़ी नहर चले तो ब्रान्चेज में पानी अवश्य चलेगा।

(प्रश्न के उत्तर के लिये माननीय मंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि १ हजार आदमी लगा कर पानी का मुहाना साफ कर दिया गया है और पानी आने लगा है। मैं जानना चाहता हूं कि अब भी जो पानी आता है क्या वह पहले के मुकाबले में आधा आ रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर आपकी सूचना है कि नहर में पानी आधा आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि वह पूरी चले और इसकी जांच भी करवा लूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

## जौनपुर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों की जमानत

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर रोडवेज डिपो में कितने ऐसे कमचारी कब से कार्य कर रहे हैं जिनको २५० रु० नकद व २५० रुपये किस्त में जमानत का रुपया जमा करना चाहिये था तथा उनसे बिना जमानत जमा कराये कार्य लिया जा रहा है ? किन लोगों ने इनकी नियुक्ति की है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काडपाल)—

इस समय रोडवेज जौनपुर डिपो में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसे जमानत जमा करना चाहिये थी किन्तु जिससे बिना जमानत जमा किये कार्य लिया जा रहा है।

केवल दो कर्मचारियों के मामलों में जमानत का धन पहले नहीं जमा किया गया। इसके लिये जांच हो रही है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी उन लोगों से, जिन्होंने अभी तक रुपया जमा नहीं किया है रुपया जमा करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

रुपया तो अब जमा हो चुका है जो किस्तों में कटता है। एक से रुपया बकाया है वह कट रहा है। ऐसा कैसे हुआ, इसकी मैं जांच करवा लूंगा।

श्री ऊदल—

नियम यह है कि बुकिंग आफिस में जहां पर रुपया लिया जाता है और टिकट दिये जाते हैं जो व्यक्ति काम करते हैं उनसे २५० रु० नकद और २५० रु० किस्तों में लिया जाता है तो कर्मचारियों को बिना जमानत लिये हुए काम करने में जो अनियमितता हुयी है माननीय मंत्री जी ने उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया है, क्यों कार्यवाही नहीं की है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैंने कार्यवाही की बात कही थी। इसकी जांच कराई जा रही है कि कौन जिम्मेदार है जिसने जमानत नहीं जमा कराई।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

उत्तर में यह कहा गया कि कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब सभी कर्मचारियों से जमानत जमा कराई जाती है और नियम तोड़ कर किसी एक से जमानत जमा न कराई जाय और उसे छूट दे दी जाय तो क्या यह पक्षपातपूर्ण बर्ताव नहीं है और क्या इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिन दो सज्जनों का जिक्र मैंने किया है उनमें से एक सज्जन श्री उपाध्याय हैं। उनका किस्सा यह है कि वे सन् १९५७ में कंडक्टरी के पद पर नियुक्त हुए थे और उसमें उन्होंने २५० रुपये जमानत जमा कर दी थी। सन् १९६० में उनका मिर्जापुर ट्रान्सफर कर दिया गया। उस स्थान पर जमानत की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने जमानत वापस मांग ली, लेकिन मिर्जापुर इंचार्ज ने उनको बुकिंग क्लर्क के पद पर नियुक्त कर दिया और उनसे जमानत नहीं जमा कराई गयी थी। अब जब मालूम हुआ तो जमानत जमा करा ली गयी है।

दूसरा केस एक श्री उमाशंकर का है । वह उस स्थान पर भर्ती हुए थे जिसमें जमानत नहीं थी और बाद में ऐसी जगह आ गये जिसमें जमानत चाहिये थी । लेकिन जांच हम फिर भी करवा रहे हैं ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

इस बात को देखते हुए कि बिना जमानत का रुपया जमा किये हुए अक्सर रोडवेज में नियुक्तियां हुआ करती हैं और अक्सर उसकी शिकायतें सदन में आया करती हैं क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि भविष्य में अगर इस प्रकार की नियुक्ति कोई हुई तो नियुक्त करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इस प्रकार नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कायदा है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, लेकिन अब और सख्ती से कह देंगे ।

श्री ऊधम---

कंडक्टर के स्थान के लिये २५० रुपये जमा हुआ था लेकिन उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है । इसके अलावा भी बुकिंग आफिस में जो नियुक्ति होती है उसके लिये २५० रुपये की जमानत किस्तों में देनी होती है और अगर यह मान भी लिया जाय कि जब वह नियुक्त हुआ था तो २५० रुपया जमा था तो भी २५० रुपये किस्तों में जमा नहीं हुए थे तो जिन लोगों ने नियुक्ति की थी क्या माननीय मंत्री स्पष्ट बतलायेंगे कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

कार्यवाही के लिये तो कहा है कि जांच करा कर कार्यवाही करेंगे ।

## रोडवेज में ड्राइवरों को पुरस्कार

*२---श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुर्घटना शून्य परिचालन के अपने व्यक्तिगत रिकार्ड पर नकद पुरस्कार देने की विभाग की जो योजना है सन् १९६३-६४ में इस योजना द्वारा किन-किन को कितना पुरस्कार दिया गया और उनका व्यक्तिगत रिकार्ड क्या था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

१९६३-६४ में दुर्घटना शून्य परिचालन के लिये १,२०४ चालकों को ३१,५८० रु० वितरित किये गये थे । इन चालकों के नामों की सूची बहुत विस्तृत है अतः माननीय सदस्य यदि चाहें तो इसे मेरे कार्यालय में देख सकते हैं । उक्त पुरस्कार केवल दुर्घटना शून्य रिकार्ड पर ही दिये गए । व्यक्तिगत रिकार्ड से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इस दुर्घटना शून्य परिचालन के सिलसिले में जिन १,२०४ चालकों को पुरस्कृत किया गया है उनको पुरस्कार देने का पैमाना क्या है ? सबको बराबर पुरस्कार दिया गया है या उसमें फर्क है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

श्रीमन्, इसमें डिफरेंसेज ऐसे हैं कि एक साल, दो साल और तीन साल जिनकी सरविस है उसमें जितना समय दुर्घटना शून्य बीता है उतना ही उनका ज्यादा पुरस्कार हो जाता है । इसलिये इसमें कम ज्यादा पुरस्कार है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, कुछ केसेज ऐसे हैं जिनमें मामूली एक्सीडेंट हो जाते हैं और इंक्वायरी में यह साबित होता है कि ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था तो क्या सरकार ऐसे ड्राइवर्स को भी इस श्रेणी में रखती है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिन केसेज में विवाद न हो और दुर्घटना न हुई हो उनको पुरस्कार दिया जाता है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, यह जो पुरस्कार का विषय है इसमें बहुत से मिकेनिक्स के ऐसे केसेज हैं जिनको ६/७ साल से पुरस्कार एनाउंस हो चुका है लेकिन दिया नहीं गया है और १,२०० रुपया पुरस्कार का बकाया है तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनको पुरस्कार मिल सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, यह तो ड्राइवरों का प्रश्न है । मिकेनिक्स के लिये यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो विचार किया जायगा ।

श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परिवहन विभाग किन-किन बातों का ध्यान रखकर पुरस्कार देता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस संबंध में यह आधार है कि जिस ड्राइवर के परिचालन में कोई दुर्घटना न हुई हो ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीज यह जानना चाहता हूं कि दुर्घटना शून्य परिचालन के अलावा व्यक्तिगत रिकार्ड जिनका प्रशंसनीय हो उनको पुरस्कार देने की कोई स्कीम है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, पुरस्कार के संबंध में व्यक्तिगत रिकार्ड की कोई बात नहीं है । केवल दुर्घटना शून्य परिचालन होना चाहिये । लेकिन जिनका रिकार्ड अच्छा है वह सरविस में काउंट तो करता ही है ।

## कानपुर तथा लखनऊ क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों का बकाया धन व अपीलें

श्री रघुवीर सहाय कंथवार (जिला फतेहपुर) तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ क्षेत्र के कितने रोडवेज कर्मचारियों को तरक्की का कितना पैसा कितने समय का बाकी है और उसे अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

चार कर्मचारियों का २३-५-५९ से ३१-८-६५ तक का पदोन्नति का कुल १,०९५ रु० ४७ पैसे बाकी हैं । एक के वेतन निर्धारण के आदेश जारी कर दिये गए हैं । दूसरे का बिल ए० जी० को प्री-आडिट के लिए भेज दिया गया है । शेष दो के वेतन निर्धारण के लिए आवश्यक कार्यवाही हो रही है जिसके पश्चात् ही भुगतान हो सकेगा ।

*४—श्री रघुवीर सहाय कैथवार तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर क्षेत्र के किन कर्मचारियों व अधिकारियों की टी० ए० की कितनी-कितनी रकम कब से देना बाकी है और किन को अदा कर दी गई है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अधिकारियों व कर्मचारियों के सितम्बर, १९६४ से जून, १९६५ तक के ४,८१० रु० ६६ पैसे के ४०३ टी० ए० बिलों का भुगतान होना है। भुगतान की गई रकम की सूचना जिस अवधि के लिये चाहिये उसके मालूम हुए बिना देना सम्भव नहीं है क्योंकि आरम्भ से अभी तक लाखों बिलों का भुगतान हो चुका है।

*५—श्री रघुवीर सहाय कैथवार तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ से अब तक कितने कर्मचारियों ने अपनी तरक्की, वेतन व टी० ए० की अपील उक्त परिवहन आयुक्त के यहां की है और उन अपीलों का क्या निर्णय हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

परिवहन आयुक्त के यहां ३३० अपीलें की गईं जिनमें से २३ स्वीकार की गईं, ११४ अस्वीकार की गईं व शेष १९३ अभी विचाराधीन हैं।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब चारों कर्मचारियों की पदोन्नति सरकार को स्वीकार है और उनकी तरक्की २३–५–५९ से ड्यू है और १,०९५ रुपया इनको तरक्की का मिलना स्वीकार है तो क्या कारण है कि उनको यह पैसा माहवारी न देकर वेतन निर्धारण और ए० जी० के यहां प्री-आडिट में भेजने की आड़ लेकर और इन कर्मचारियों के बारे में कोई निर्णय न करके ६-७ साल से पैसा डाल रखने का मुख्य मकसद क्या है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल के जवाब में ही कह चुका हूं कि इन सज्जनों के केस में ऐसा है कि ये टेम्पोरेरी हैं। जिस पोस्ट से इनका प्रोमोशन हुआ है उसमें उनकी तनख्वाह ज्यादा थी बजाय इसके कि जिस पर प्रमोशन होता है। ज्यादा तनख्वाह की सरकार से सेंक्शन लेना जरूरी होता है। इसलिये इसमें देर हुई।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

कानपुर रीजन में इलाहाबाद भी एक डिपो है। शुरू अगस्त में प्रश्न पूछा था उसमें माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया था कि २० जून तक सभी कर्मचारियों को सब कुछ दे चुके, कुछ बकाया नहीं है। परन्तु मालूम होता है कि तीन, चार साल का बकाया बाकी है, तो माननीय मंत्री जी की गलत इत्तलाओं का जो असर पड़ रहा है उसके सिलसिले में जानना चाहता हूं कि क्या वह आदेश पुनः निकालेंगे कि जिनकी चार, पांच साल से बकाया है उनकी सूचना मिल सके ताकि वह आज्ञा दे सकें।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

आउट राइट आज्ञा दे देना कि जितनी बकाया हो फौरन दे दो, उसमें अनियमिततायें होती हैं, फाइनेंशल मामला होता है, ऐसी आज्ञा कैसे दी जायगी ? उसमें देर हो ही जाती है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो अपीलें निर्णय हुई हैं वह कौन सन् की हैं और जो बाकी रह गयी हैं वह कौन सन् की हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सवाल १९६२–६३ के बारे में पूछा गया है। उसी का जवाब दिया गया है। विशेष सूचना के लिए सूचना चाहिये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय मंत्री जी ने कुछ व्यावहारिक दिक्कतें बतायीं जिनकी वजह से वेतन वृद्धि और नहीं दिया जा सका। वह कई सालों से हल नहीं हो पायीं। अब कितना समय लगेगा जब यह दिक्कतें हल हो जायंगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

देर काफी हुई है। मैं इसको कबूल करता हूं। देर नहीं लगनी चाहिये। जल्दी हो जायगा।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह कोई ऐसी व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं कि यह अपीलें जो सालों से पड़ी हैं, दो, चार, छः महीने में निश्चित रूप से फैसला हो जाया करें ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१९६२-६३ के बारे में सवाल था। उसका जवाब दिया गया और सालों की सूचना नहीं है। चाहते हम भी हैं कि जल्दी डिस्पोजल हो जाय।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

प्रश्न किया था साफ-साफ कि किन-किन कर्मचारियों और अधिकारियों का टी० ए० का पैसा कब से नहीं दिया गया। लेकिन मंत्री जी ने सामूहिक रूप से उत्तर दे दिया कि ४ हजार ८ सौ १० रुपये ६६ पैसे बाकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सितम्बर, १९६४ से अब तक माहवार टी० ए० का पैसा न दे कर उनको कठिनाई में डालने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जो मेरे पास सूचना है वह यह है कि कुछ लोग टी०ए० बिल देर में पेश करते हैं, टी० ए० बिल में कुछ गलती होती है, फिर वापस जाते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं। इसलिये देरी होती है।

## मुरादाबाद जिले में नलकूपों को बिजली

*६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में जून, १९६४ के बाद किस-किस को ट्यूबवैल के लिये बिजली मिली ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिला मुरादाबाद में १ जून, १९६४ के बाद ४४९ व्यक्तियों को ट्यूबवेल के लिये बिजली स्वीकार की गयी।

*७—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उनमें से किस-किस तार ख को बिजली मिलने वाले लोगों को कनेक्शन मिल चुके हैं और जिन लोगों को नहीं मिले हैं उनका क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जिनको कनेक्शन मिल चुके हैं उनकी सूची संलग्न हैं। कनेक्शन एक प्राथमिकता सूची के हिसाब से दिये जाते हैं। जिनको कनेक्शन नहीं मिला उनका अभी नम्बर नहीं आया था

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२१-७२२ पर।)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने जो लिस्ट दी उसमें जून, ६४ के बाद ४४९ लोगों को कनेक्शन देने की सूचना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सूची में से कितने कनेक्शन ६४ के हैं, क्योंकि आपने जो लिस्ट दी है उसमें सब यह तो सन् ६५ के हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने तो आपको बताया ४४९ कनेक्शन दिये गये। लेकिन इसके पहले स्वीकार करने से कुछ ऐसे कनेक्शन थे जो लगने थे, क्योंकि उनका लगना पहले जरूरी था। ऐसे कनेक्शन करीब २३० थे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा सवाल साफ नहीं हुआ। ३१ जून, ६४ के बाद मुरादाबाद में कितने कनेक्शन दिये गये और किन-किन लोगों के उनमें से लगाये गये ? ४४९ को कनेक्शन दिये गये थे और जो फेहरिस्त दी गयी है वह सब ६५ की है, तो इसमें से कितने वे हैं जिनको आपने सन् ६४ में कनेक्शन मंजूर किये थे और कितने ६५ के हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जो लिस्ट मैंने दी है वह ४४९ की है। जो ६४ के थे उनके कनेक्शन लग गये और ३१ जून, ६४ के बाद से बाकी के हैं जो लग गये हैं उनकी लिस्ट आपको दे दी है। ऐसे कनेक्शन जो ३१ जून के पहले के थे वह जब लग गये तब उसके बाद के लग गये। इसमें आब्जेक्शन की क्या बात है ?

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ४८ कनेक्शनों की सूची में से कितने कनेक्शन ऐसे हैं, जिनकी मंजूरी ४८ में हुई थी, कितनों की ६४ में मंजूरी हुई थी और कितने कनेक्शनों की सन् ६५ में मंजूरी हुई थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो ४८ का सवाल नहीं है, यह तो उसके बाद के हैं। कौन से ६४ के हैं और कौन से ६५ के हैं, वह मैंने दे दिया है। अलग-अलग लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

क्या आपने कनेक्शन बिजली का उन लोगों को भी दिया है जो ६५ के थे जब कि ६४ वालों का रोक कर दिया गया है या ६५ वालों के बाद में दिया गया है ? और ऐसे कितने हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जो कनेक्शन हम यहां से देते हैं, उनकी लिस्ट बनती है, जो रुपया जमा कर देते हैं और जो कनेक्शन लगाते हैं, सब को प्रायरिटी के हिसाब से लगाते जाते हैं, जिसका पहले था उसका पहले लगा, जिसका बाद में था उसका बाद में लगा।

श्री ऊदल—

कनेक्शन तो बहुत से विभाग से स्वीकार हो जाते हैं और मंत्री जी के यहां से भी स्वीकार हो जाते हैं, लेकिन सामान की कमी की वजह से और वर्कर्स की कमी से लोगों को एक साल, २ साल और ३ साल तक कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि मेटेरियल ज्यादा से ज्यादा हो जाये और वर्कर्स भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएं और लोगों की यह भारी दिक्कत दूर हो जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपने मेटेरियल और वर्कर्स की कमी तो बतायी लेकिन एक चीज तो आप भूल ही गये, अब पैसे की भी कमी पड़ गयी है, इसका भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय मंत्री जी के प्रश्न से सम्बन्धित बिजनौर और मुरादाबाद जिले का एक ही जगह पर सब डिवीजन है। ऐसे अनेक उदाहरण जनता के पास हैं कि किसी भी क्रम से कनेक्शन न देकर, आफिस के हेड क्लर्क और क्लर्क बिजली देने के लिये लोगों से सौदे बाजी करते हैं और जिनसे अधिक पैसा मिल जाता है उनका काम जल्दी हो जाता है। इसकी सूचना क्या सरकार को है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी सूचना तो सरकार को नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

ऐसी अनेक शिकायतें हैं कि जिस क्रम से सरकार आज्ञा देती है उस क्रम से कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। तो क्या सरकार ऐसे आदेश निकालेगी जिससे उसी क्रम से उनको कनेक्शन मिलें जिस क्रम से यहां से आज्ञा होती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे आदेश की बात इसमें नहीं है। आदेश पहुंचने के बाद कुछ और कार्यवाहियां होती हैं, रुपया जमा करना पड़ता है और दूसरी फार्मलेटीज पूरी करनी पड़ती हैं और जब वह हो जायं तब आगे की कार्यवाही होती है।

## मेरठ क्षेत्र में चुने गये असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टर

*८—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मेरठ क्षेत्र में जिन बीस व्यक्तियों को असिस्टेंट ट्राफिक इंसपेक्टर के पद के लिए चुन लिया है अभी तक उनमें से ४५ प्रतिशत व्यक्तियों को नियुक्तियां क्यों नहीं दी जा सकी है ? क्या सरकार कृपया बताएगी कि उक्त चुने हुए व्यक्तियों में से बाकी चुने हुए ४५ प्रतिशत को नौकरियां कब तक दी जा सकेंगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

चुने हुए २० व्यक्तियों में से ३ को नियुक्ति के आदेश दिए जा चुके हैं और २ को निकट भविष्य में दिए जाने की आशा है। पद रिक्त न होने के कारण शेष व्यक्तियों के बारे में आदेश न दिया जा सका।

श्री जसरामसिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हजारों लड़कों में से बीस लड़कों की सूची बनायी गयी। तो क्या सरकार जो इस सूची में से ओवरएज होने वाले हैं उनको नियुक्ति में प्राथमिकता देगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसमें प्रोक्सरऐज का सवाल नहीं है क्योंकि यह सूची ११ अप्रैल, सन् १९६६ तक ही वैध है और उसमें २५, २६ या २७ साल का कोई खास अन्तर नहीं पड़ेगा।

श्री जसरामसिंह—

जो नियुक्तियां आप करने जा रहे हैं पदोन्नति के लिए पांच या छः स्थान खाली हैं और वैभागिक अधिकारी लोग उन स्थानों को नहीं भर रहे हैं जिसके कारण बच्चे इस पद पर नहीं आ पा रहे हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इन स्थानों के रिक्त होने की कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य की यह सूचना है कि अधिकारी लोग किसी मोटिव की वजह से उन स्थानों को नहीं भर रहे हैं और वे सूचना देंगे तो उस पर जांच करवायी जायगी।

श्री जसरामसिंह—

मैं गिना दूं नाम अध्यक्ष महोदय, मेरे पास हैं।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं। आप उनको भेज दीजिएगा।

श्री मूलचन्द शास्त्री—

जिस समय यह लिस्ट निकाली गयी तो कितने स्थान रिक्त थे, उन खाली जगहों के लिए कितनी दरख्वास्तें आयीं और जो उन्होंने नाम छांटे हैं वह लिस्ट कब तक रहेगी और कब उसे वह रद्द कर देंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

दो स्थान रिक्त थे। कितनी अर्जियां आयी थीं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन २० आदमी चुने गए। यह सूची ११ अप्रैल, १९६६ तक वैध है।

श्री दयाराम शाक्य—

जब वहां कोई भी पद ट्राफिक इंसपेक्टर का नहीं है तो फिर असिस्टेंट ट्राफिक इंसपेक्टर का पद क्यों रखा गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

असल में ट्राफिक इंसपेक्टर तो नहीं है यह केवल उनका एक नाम है।

श्री मूलचन्द शास्त्री—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस वक्त कितनी जगह खाली थी जिस समय यह वान्ट्स निकली ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैं बता चुका हूं कि दो जगह खाली थी। चुनाव हुआ था।

श्री मूलचन्द शास्त्री—

दो जगहों के लिए आपने ३० आदमियों को छांटा तो यह समझ में नहीं आता कि इन छटे हुए लोगों के लिए वह लिस्ट कब तक रहेगी, जरा यह भी बता दें ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--

जो जगहें खाली होती हैं उन सारी जगहों के लिए चुनाव नहीं होता। बराबर जब जगहें खाली होती रहती हैं उन पर इनको रखा जाता है। वह लिस्ट साल भर के लिए बन जाती है। जब जगहें साल भर में खाली होती हैं तो उन पर ले लिए जाते हैं।

## बांसगांव तहसील में नालों से क्षति

*९--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में गनगरी नाले की खुदाई न होने के कारण बरसाती पानी कई गांवों की फसल को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही रैना नाले से बड़गो ग्राम तक इसी प्रकार नुकसान होता है? यदि हां, तो वह क्षतिग्रस्त क्षेत्रफल किस-किस गांव में कितना-कितना है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ७२३-७२४ पर)

*१०--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गनगरी नाले व तरैना नाले को बड़गो ग्राम तक खोदने के लिए वहां के किसानों ने कई बार गत तीन वर्षों में अधिकारियों को आवेदन-पत्र दिए हैं? यदि हां, तो उसकी खुदाई न होने का कारण क्या है और कब तक करने का विचार है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

गगहा क्षेत्र के निवासियों ने केवल गनगरी नाले को खोदने के लिए आवेदन-पत्र दिया था। यह नाला बाढ़ क्षेत्र में पड़ता है और नाले में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पश्चात् मिट्टी जमा हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी न होने के कारण इसकी खुदाई नहीं की गई। यही स्थिति तरैना नाले की भी है।

*११--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में अताएर गांव के निवासियों ने पिछले दो वर्षों में जिला अधिकारियों को आवेदन-पत्र दिए हैं कि इस गांव के ताल की खुदाई कर दी जाय? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--गनगरी नाले के संबंध में स्थिति प्रश्न संख्या १० के उत्तर में दी हुई है।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं मंत्री महोदय का ध्यान संलग्न तालिका की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें गनगरी नाले से ३,९०३ एकड़ और तरैना नाले से २,२०० एकड़ जमीन में फसल को नुकसान होता है। इस बात को देखते हुए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह जांच कराई गई कि इन नालों की खुदाई आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

बाढ़ के अन्दर जो स्थान पड़ते हैं उनमें जब बाढ़ आती है तो पूरे में पानी भर जाता है, जमा हो जाता है....

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैंने बाढ़ का जिक्र नहीं किया है। मैं समझता हूं मंत्री जी दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि ३,९०० और २,२०० एकड़ जमीन को क्षति पहुंचती है तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी न होने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप मेरी बात को सुन लेते तो आपको यह बात कहने की आवश्यकता पड़ती। मैंने कहा कि यह बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। उसमें पानी भर जाता है। वहां पर मिट्टी नहीं डाली जा सकती है। इसका एक ही उपाय हो सकता है कि कोई एक बड़ी स्कीम बनाई जाये और उससे उस नदी को कंट्रोल किया जाय। इसलिए मैंने निवेदन किया कि आर्थिक दृष्टि से ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनके इंजीनियर महानुभावों ने आर्थिक दृष्टि का अनुभव करते हुए नाले की खुदाई का क्या एस्टीमेट दिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कोई भी स्कीम बनाने में करोड़ों रुपया लग सकता है और इसीलिए उसे आर्थिक दृष्टि से देखना पड़ता है। क्योंकि यह नाला रीवर बेड के अन्दर है इसलिए वहां कोई इंतजाम नहीं हो सकता।

श्री रामलखन शुक्ल—

जब यह आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी है तो साधारण बात यह है कि इंजीनियरों को बताना चाहिए था कि इसकी खुदाई का एस्टीमेट क्या है और जितने एकड़ जमीन की फसल बचती है उसका मूल्य क्या है। इसको देखते हुए क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह एक ऐसे स्थान पर है कि जहां हर साल दरिया का पानी फैल जाया करता है। अगर हम नाला खोदेंगे भी तो वह बरसात में सब भर जाया करेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

इन दोनों नालों के बारे में उधर कहावत है कि यह बरसात के दिनों में घाघरा से शादी करना चाहते हैं। मतलब यह कि कड़ी बारिश में इनका पानी फैल जाया करता है। ऐसी सूरत में गोरखपुर से बड़हलगंज को जाने वाली सड़क तक या तो बान्ध बना दिया जाय या किनारों पर मिट्टी चढ़ा दी जाय ताकि बाढ़ आने के पहले जो नुकसान होता है वह बच जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जो मैं कह रहा था उसकी आपने ताईद ही की है। और इसीलिए उनका कोई इंतजाम नहीं हो सकता।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह नाले सिमट-सिमट कर पट गए हैं। अगर इनको थोड़ा गहरा कर दिया जाय तो बरसात का पानी फैलेगा नहीं और सरजू नदी में गिर जायगा और फसलों की बचत से काफी फायदा हो सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से फायदे के होने के कारण मंत्री जी इस स्कीम को लेने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर इनको खुदवाया गया तो वे हर बरसात में भर जायंगे।

श्री रामलखन शुक्ल—

यह नाले राप्ती से आए पानी के लिए नेचुरल ड्रेनेज का काम लेते चले जा रहे थे। तो इस पुरानी स्थिति को लाने में मंत्री जी को क्या ऐतराज है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास जो सूचना है वह यह कि दोनों नाले बाढ़ में भर जाते हैं और बरसात में नदी का पानी सारे उस एरिया में फैल जाता है और अगर इनको और गहरा खुदवाया गया तो वे फिर पट जायेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह—

बार-बार मंत्री जी ने कहा कि यह नाले पट जायेंगे। जिस बाढ़ की बात कही जाती है वह राप्ती की बाढ़ है और उसके किनारे बंध बना हुआ है जिस के कारण नाले को कोई खतरा नहीं हो सकता तो मंत्री जी जांच करवा कर क्या इन नालों को गहरा कराने की कृपा करेंगे ? इसके अतिरिक्त आजतक ये नाले सरकारी साधनों से खुदवाये नहीं गए तो कैसे पता लगा कि ये अनुपयोगी सिद्ध होंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप हम से मिल कर बात कर लें। यदि उसके बाद भी आपकी राय जांच कराने की हुई तो जांच करा लेंगे।

## माधवपुर व फखरपुर ग्राम को बिजली

*१२—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक ६ अप्रैल, १९६५ बावत लगाए जाने बिजली ग्राम कस्बा फखरपुर, जिला बहराइच का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। जिला बहराइच के माधवपुर एवं फखरपुर ग्राम का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका है। शेष ग्रामों परसरामपुर, खाबिदपुर एवं घासीपुर की जनसंख्या बहुत कम है और इसलिए इनके विद्युतीकरण की अभी कोई योजना नहीं है।

*१३—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या यह सही है कि एक ही टयूबवैल से कस्बा फखरपुर में दो लाइन खींची गई हैं तथा दो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

केसरगंज, जिला बहराइच से दो ११,००० बोल्ट की लाइनों को टयूबवैल नं० ५ व ६ के मध्य एक से फखरपुर तथा दूसरी से माधवपुर की विद्युतीकरण करने के लिए टैप किया गया है। इन लाइनों को उचित खंभों से टैप किया गया है ताकि कम से कम लम्बी लाइन खींचनी पड़े और कस्बे का वोल्टेज कम न होने पावे। यदि माधवपुर के विद्युतीकरण के लिए एल० टी० लाइन खींची जाती तो वोल्टेज कम प्राप्त होता।

श्री रामअधार कनौजिया—

क्या सरकार एक ही योजना के अन्तर्गत इन कस्बों का विद्युतीकरण करने की कृपा करेगी, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ? यह सब गांव एक ही पास बसे हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरी सूचना यह है कि यह सब गांव अलग-अलग हैं और अलग-अलग मजरे हैं। अगर यह एक ही जगह पर हैं तो हम इसकी जांच करा लेंगे कि इनकी दूरी क्या है ?

श्री रामअधार कनौजिया--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि माधोपुर के लिए जो ट्रांसफार्मर लगने वाला था वह घासीपुर में लग गया है। इसके फखरपुर की लाइन में ९ पोल खेत में लगे हैं, ५ फखरपुर में लगे हैं, ४ पोल परसरामपुर में लगे हैं, माधवपुर में भी १२ पोल बाहर लगे हैं आबादी के, इस प्रकार घासीपुर और फखरपुर के बीच की आबादी ऐसी है जो बिजली से वंचित है। तो क्या मंत्री जी उन स्थानों पर जो स्थान बिजली से वंचित है, वहां बिजली लगाने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

विद्युतीकरण की बात तो नहीं है, परन्तु यह जरूर देख लेंगे कि जो गांव हैं यह कितनी-कितनी दूर पर हैं और उनकी आबादी क्या है ?

श्री दयाराम शाक्य--

जिन गांवों में विद्युतीकरण के आदेश दिए गए थे और वहां बिजली नहीं पहुंची है, तो क्या सरकार वहां शीघ्र बिजली पहुंचाने के आदेश देगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस वक्त रुपए की कमी है। जैसे ही उसका इंतजाम हो जायगा, इस काम को तेजी से और बढ़ाया जायगा।

## विकास खंड सहावर में नालों का निर्माण

*१४--श्री वेदराम (जिला एटा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला स्थित विकास खण्ड सहावर में जहांगीरपुर से सिठाली तक के नाले का कोई सर्वेक्षण-राज्य सरकार द्वारा १९६४ में कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त नाला कब तक बन कर तैयार हो जाने की योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी हां। इस क्षेत्र के लिए दो नालें खोजपुर और इतबारपुर प्रस्तावित थे जो अब बन कर तैयार हो गये हैं।

श्री वेदराम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहांगीरपुर से सिठाली तक नाला बनाने की कोई योजना बनी थी अब तक या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास तो जो दो नाले बने हैं इसके आसपास उसी की सूचना है।

श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार जहांगीरपुर से सिठाली तक नाला बनाने की योजना पर विचार करेगी। यदि हां तो वह कब तक बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अभी जो नाले बने हैं उनमें एक भोजछपुर तथा दूसरा इकबारपुर का है।

श्री बेदराम--

श्रीमन्, जो नाले खुदे हैं इन पर कहां-कहां पुलियां नहीं बनी थीं, वे बन पायी हैं या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह तो तमाम पुलियाओं की इतनी लम्बी बात पूछी गई है। इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

[३१ अगस्त, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

## वाराणसी जिले में लाइनमैन का घायल होना, खोरगांव को बिजली न मिलना तथा सरयू नहर योजना

*१--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ मई, सन् ६३ को दानपुर ट्यूबवेल तहसील व जिला वाराणसी की लाइन पर कार्य करते हुए एक लाइन मैन बिजली के झिटके से गिर गया था, जिसको काफी चोट लग गई थी ? उसे क्या, १५ मई, सन् ६३ से ९ सितम्बर, १९६४ तक का, जब तक वह इलाज करा रहा था, वेतन दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो वेतन अब तक न देने का कारण क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

दानपुर ट्यूबवेल पर मई १५, १९६३ को कोई दुर्घटना नहीं हुई है। एक दुर्घटना १५ मई, सन् १९६३ को चंगवार स्थित ट्यूबवेल की ११ के०वी० लाइन, जो खरवार की तरफ जाती है, पर श्री बेचन राम लाइनमैन के संतुलन बिगड़ जाने से खम्भे से गिर कर हुई थी। यह घटना बिजली के झटके से गिर कर नहीं हुई। उन्हें १५ मई, सन् ६३ से ९ सितम्बर, सन् १९६४ तक नियमानुसार देय अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है तथा छुट्टियों का वेतन भी दे दिया गया है अब कोई छुट्टी का वेतन बकाया नहीं है।

*२--श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव खोर परगना बढ़वल तहसील चन्दौली, जिला बाराणसी जिसकी आबादी १६ हजार के ऊपर है, सरकार इस गांव के विद्युतीकरण करने पर विचार करेगी जबकि गांव से थोड़ी दूर पर सकलडीहा से धरहरा होते हुये बिजली की लाइन हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

ग्राम बढ़वल, जिला वाराणसी की जनसंख्या १९६१ की जन-गणना के अनुसार ७०५ है उसके विद्युतीकरण की इस वर्ष में कोई योजना नहीं है। सकलडिहा से धरहरा तक अभी कोई भी लाइन नहीं है। इस लाइन के बनाने के पश्चात् अगले वर्ष में बढ़वल के विद्युतीकरण पर विचार किया जायेगा।

*३--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरजू परियोजना बन्द कर दी गई थी ? क्या उसे पुनः चालू किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना रुपया खर्च होगा और बांध कितना लम्बा होगा और क्या इस पर एक पुल का भी निर्माण किया जायेगा जो बहराइच व लखीमपुर को जोड़ेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सरजू नहर योजना पर काम प्रारम्भ करने तथा इसके निश्चित प्रारूप के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, छुट्टियों का वेतन कब दे दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

श्री बेचनराम ने १२ दिसम्बर, १९६४ से कार्यभार ग्रहण किया । कब वेतन दिया गया इसकी मेरे पास सूचना नहीं है । लेकिन उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और वेतन उनको दे दिया गया है ।

श्री ऊदल--

यह जो प्रश्न है इसमें गांव खोर का जिक्र किया है मैंने । माननीय मंत्री जी ने परगना खोर का सर्वे करा दिया । इसी नाम का परगना भी है । मेरा प्रश्न चूंकि गांव खोर का है इसलिये क्या माननीय मंत्री इस पर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आपका सवाल यह है कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव खोर परगना बढ़वल तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी जिसकी आबादी १६ हजार के ऊपर है यह सवाल तो परगने का है ।

श्री ऊदल--

नहीं श्रीमन्, मेरा सवाल गांव खोर से है । क्या माननीय मंत्री जी पुनः जांच कराके उसकी सूचना देंगे, क्योंकि एक तहसील में आठ दस परगने होते हैं इसलिये मैंने परगने का नाम दे दिया है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह १६ हजार आबादी कहां की है ।

श्री ऊदल--

गांव खोर की है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष--

आबादी १६ हजार जो दिखाई गई है वह गांव खोर की आबादी है और वे कहते हैं कि क्या गांव खोर का विद्युतीकरण करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

खोर का जिक्र सवाल में तो नहीं है, उनके दिमाग में होगा ।

श्री ऊदल--

इसमें है ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें भ्रम हो गया है, इसलिये इसको स्थगित रखा जाय ।

श्री ऊदल--

सरयू नहर की योजना पहले कब बनी थी और उसका एस्टीमेट क्या था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

तारीख तो मेरे पास नहीं है । लेकिन एक दफा पहले यह स्कीम बनाई गई थी २८.३३ करोड़ की उस वक्त यह स्कीम थी । इमर्जेंसी की वजह से फिर वह चल नहीं सकी । अब एक नयी स्कीम ४०.४६ करोड़ की है । उस पर विचार हो रहा है और अभी तो रुपये वगैरह की तमाम झंझट उसमें है ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

सिंचाई विभाग से नहर में पानी नहीं मिल पाता, कुंए भी नहीं बन पाते हैं, कहीं कहीं पर तालाब हैं जिनका पानी अगर निकाल दिया जाय तो अधिक मात्रा में जमीन भी मिल सकती है और पैदावार भी बढ़ायी जा सकती है। लेकिन देखा गया है कि चीफ इंजीनियर हजार दो हजार वाली स्कीम पसन्द नहीं करते हैं, वह तो करोड़ों लाखों वाली स्कीम पसन्द करते हैं। तो माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां पर हजार दो हजार रुपये में नाले निकालकर स्कीम चलायी जा सकती है वहां उन स्कीम्स को शीघ्र चलाने के लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सवाल तो सरयू योजना का है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, ठीक है नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ४८ करोड़ अब खर्चा होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि बहराइच और लखीमपुर को जोड़ने के लिये जो पुल की व्यवस्था होनी है, जिसके लिए सरकार ने कहा भी था, उसको इसमें शामिल किया गया है या नहीं ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

यह तो बड़े डीटेल्स की बात आपने पूंछ ली। यह योजना जब बनेगी तो उसमें कुछ नहरें पक्की बनेंगी कुछ कच्ची बनेंगी।

## उच्च न्यायालय में मुकदमें

*४--श्री रियासत हुसैन--

क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में कितने ऐसे मुकदमें हैं जिनको तीन साल से ज्यादा पेंडिंग में पड़े हो गये और उस देरी का क्या कारण है ?

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

विविध याचिकाओं को छोड़कर उच्च न्यायालय में जजों की कमी तथा दायर होने वाले मुकद्दमों में वृद्धि।

श्री रियासत हुसेन--

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २०१५३ मुकदमें जो तीन साल से पेंडिंग पड़े हैं हाईकोर्ट में इनमें से कितने क्रिमिनल हैं, कितने सिविल हैं और क्या स्कीम आप बना रहे हैं, जिसमें यह जल्दी से जल्दी फैसल हों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)--

ये अलग-अलग फिगर्स तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा।

श्री बलवान सिंह--

सवाल बड़ा साफ था कि २० हजार में कितने क्रिमिनल और कितने सिविल मुकदमें ह और दूसरा यह कि इन २० हजार केसेज को डिस्पोज आफ करने के लिए क्या तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं। जिससे ये जल्दी तय हो जायं ?

श्री सैयद अलीजहीर—

दिसम्बर में हाईकोर्ट से जो तादाद आयी थी वह तकरीबन ६६ हजार के मुकदमें की थी। अब वह २० हजार है। इसके लिए सब तरह के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जजेज भी बढ़ाये जा रहे हैं, पहले जो २०० दिन काम करते थे वह अब बढ़ाकर २१० दिन कर दिया गया है, दस हजार तक की अपीलें जो पहले हाईकार्ट में होती थीं वह अब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होती हैं, इस तरह से सब प्रयत्न किये जा रहे है। लेकिन मुश्किल यह है कि जो मुकदमे दायर होते है उनकी तादाद बढ़ती जाती है बावजूद इसके कि जो फैसल हो जाते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है लेकिन वह उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी कि दायर होने वाले मुकदमों की बढ़ रही है। इसकी वजह से एरियर बढ़ता जा रहा है।

श्री बलवान सिंह—

इन बीस हजार केसेज को समाप्त होने में कितना समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि जितने केसेज डिस्पोज आफ होते हैं उनसे ज्यादा दायर हो जाते हैं।

*५—श्री रियासत हुसेन—

[स्थानान्तरित किया गया]

*६—श्री रामचन्द विकल—

[हटा दिया गया।]

## बनबसा बैराज

*७—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बनबसा बैराज, जहां से शारदा नहर निकलती है सन् १९५८ में टूटा था ? यदि हां, तो कौन कर्मचारी इसके दोषी हैं और उपरोक्त बैराज की मरम्मत में क्या व्यय हुआ ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—

जी नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

## रोडवेज ड्राइवरों का ओवर टाइम

*८—श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के वे ड्राइवर जो कभी-कभी चौबीस घंटे की ड्यूटी देते हैं तथा हफ्तों तक मोटर लेकर निर्वाचन इत्यादि में जाते हैं उनको कितना ओवर टाइम मिलता है ?

श्री मुजफ्फरहसन—

लगातार २४ घंटों या हफ्तों की ड्यूटी नहीं होती है। पर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के अन्तर्गत साधारण परिस्थितियों में निर्धारित घंटों से अधिक काम करने पर वेतन के दुगनी दर से, और आकस्मिक परिस्थितियों में वेतन के ड्योढी दर से ओवर टाइम का भत्ता दिया जाता है।

---

नोट—तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

## गोरखपुर क्षेत्र में बस सर्विस

*९—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि रोडवेज के गोरखपुर क्षेत्र में डुमरियागंज, बढ़नी बलरामपुर, तुलसीपुर, बस्ती—कलवारी गायघाट, हरैया बभनान मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लेने के बाद अभी तक राजकीय बसें नहीं चलायी जा रही हैं ?

श्री मुजफ्फरहसन—

इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं हो सका है।

## फिएट कार

*१०—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के स्टेट कोटा से फिएट कार सन् १९६३ से अगस्त, १९६५ तक किस-किस व्यक्ति को दी गई तथा कार देने का आधार क्या रखा गया है ?

श्री मुजफ्फरहसन—

इस विषय पर सर्वश्री रघुवीर राम, विजयपाल सिंह तथा चन्दन सिंह के पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर सरकार द्वारा ११—८—६४ को दिये जा चुके हैं, और श्री विजय सिंह द्वारा पूछे गये कुछ और प्रश्नों का उत्तर इसी विषय पर ९—२—६५ को दिये जा चुके हैं। अतएव एक और फेहरिस्त तमाम दी गई गाड़ियों के बनाने में जो श्रम व समय लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता के अनुकूल न होगा

*११—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री रक्षपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९६२ से अगस्त, १९६५ तक किस-किस व्यक्ति ने किस किस तिथि को फिएट गाड़ी लेने के लिये आवेदन-पत्र दिया तथा जिस जिस को गाड़ी दी गई उनका आवदन पत्र किस किस तिथि को सरकार को मिला ?

श्री मुजफ्फरहसन—

ऐसी फेहरिस्त तैयार करने में जो श्रम व समय लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता के अनुकूल न होगा।

## कानपुर जिले में रोडवेज ड्राइवर किशोरीसिंह के खिलाफ शिकायत

*१२—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ११ फरवरी, १९६५ की रात्रि के ११ बजे वेलाविधूना रोड के सुदानपुर ग्राम, जिला कानपुर में श्री किशोरी सिंह ड्राइवर बस ले गया था और जिसकी शिकायत भी हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों ?

*श्री मुजफ्फरहसन—

जी नहीं।

*१३—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या यह सही है कि ११ फरवरी, १९६५ को रात्रि के ११ बजे श्री किशोरीसिंह ड्राइवर वेलाविधूना रोड से ६ फर्लांग ग्राम सुदानपुर बस ले गया था और जिसकी रिपोर्ट कंडक्टर ने तारीख १२ को कर दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह भी सही है

कि बस सुदानपुर ग्राम में लगभग ढाई घंटे रही और उस ड्राइवर ने बस ले जाते और लाते समय नशे की हालत में यात्रियों को गालियां दीं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई और नहीं तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं ।

## देवरिया जिले में सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन

*१४--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पटेल कमीशन की सिफारिश के आधार पर सन् १९६४-६५, १९६५-६६ में इस समय तक देवरिया जनपद में किन-किन लघु सिंचाई योजनाओं पर काम हुआ है और प्रति योजना कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल--

राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा नलकूपों पर पक्की गूलों के विस्तार का कार्य हुआ है और इस पर जुलाई, १९६५ के अंत तक क्रमशः लगभग ४७.८१ लाख रुपये तथा १.०५ लाख रुपये व्यय हुये ।

*१५--श्री उग्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि छोटी गंडक को गोरखपुर देवरिया में १६१ लाख की लागत से सीधा करने की योजना अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं हुई ?

श्री गिरधारी लाल--

छोटी गंडक नदी के नहरीकरण और सीधा करने की योजना लगभग २ करोड़ ६४ लाख रुपये की है जिस की अभी जांच समाप्त नहीं हुई है ।

*१६--श्री उग्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में गोला (गोरखपुर) लगायत चुरिया (देवरिया) तक घाघरा कटाव योजना सम्मिलित की जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल--

जी नहीं ।

*१७--श्री रघुनाथ सिंह--

[हटा दिया गया ।]

## सिटी बस, लखनऊ के ए०जी० एम० के विरुद्ध शिकायतें तथा बस्ती बस डिपो में गबन का मामला

*१८--श्री रामसुन्दर शास्त्री--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिटी बस लखनऊ के ए० जी० एम० के विरुद्ध दूध, सब्जी इत्यादि मंगाने के सम्बन्ध में तथा अन्य भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें मंत्री जी को भेजी गई थीं अब तक उसमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां, शिकायतें प्राप्त हुई थीं, तथा छानबीन करने पर मालूम हुआ कि शिकायतें फर्जी नाम से की गई थीं । छानबीन से पता चला कि लगाये गये आरोप निराधार थे ।

*१९—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या यह भी सही है कि रामउजागर, असिस्टेंट कैशियर, बस्ती डिपो के गबन के मुकदमें में किसी ए० जी० एम० के विरुद्ध बस्ती के न्यायाधीश न कोई स्ट्रिक्चर पास किया है ? यदि यह सत्य है, तो क्या उस ए० जी० एम० के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि की गई, तो क्या ? नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फरहसन—

ए० जी० एम०, बस्ती की गवाही, जो उन्होंने कैशबक्स की चाभियां खजाने में जमा की गयी थीं या नहीं इस विषय पर दी थीं, को संदिग्ध बताया गया था। इस फैसले में भी कहा गया था कि उच्च अधिकारियों के सतर्क न होने से गबन हुआ और उच्च अधिकारियों ने जो कार्यवाही की वह निरपेक्ष नहीं मालूम पड़ी। इस पर अभी विभागीय जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही कोई कार्यवाही करना सम्भव होगा।

## मथुरा जिले में बस सर्विस

*२०—श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि मई व जून सन् १९६५ में मथुरा कोसी, मथुरा से आगरा, बरसाना कितनी गाड़ी निर्धारित टाइम पर नहीं चलायी गई और बन्द कर दी गईं ?

श्री मुजफ्फरहसन—

सूचना इस प्रकार है—

| मार्ग का नाम | गाड़ी जो निर्धारित समय पर नहीं चलाई गयी | | गाड़ी जो बन्द कर दी गई | |
|---|---|---|---|---|
| | मई, १९६५ में | जून, १९६५ में | मई, १९६५ में | जून, १९६५ में |
| मथुरा कोसी .. | १०२ | ८७ | १८ | २२ |
| मथुरा आगरा .. | १०८ | ९६ | ७९ | १६८ |
| मथुरा बरसाना वाया कोसी .. | ६६ | ४१ | ५० | ६४ |
| मथुरा बरसाना वाया गोवर्धन | ४८ | ५० | १८ | ५५ |

## हैदरगढ़ तहसील में विद्युतीकरण

*२१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में कितने गांवों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है। कितने गांवों का विद्युतीकरण चालू योजना में करना विचाराधीन है ? क्या यह बात सही है कि रायबरेली जिले के इन्हौना कस्बे का विद्युतीकरण करने का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो इसे हैदरगढ़ से सुबेहा से कनेक्ट किया जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—

ग्रामों के विद्युतीकरण की सूची तहसील के अनुसार नहीं रखी जाती है वरन जनपद के अनुसार रखी जाती है। बाराबंकी जिले में जिन ग्रामों का विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना में अब तक हो चुका है उनके नाम संलग्न सूची "अ" के दिये गये हैं। संलग्न सूची "ब" में दिखाये गये ग्रामों का विद्युतीकरण इस योजना में धन की उपलभ्यता पर निर्भर रहेगा।

रायबरेली जिले के इन्हौना कस्बे का विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना नहीं है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ७२५ पर)

## आजमगढ़ जिले में बिजली

*२२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपमंत्री विद्युत विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक २६ मार्च, सन् १९६४ को लिखित कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) के विभिन्न ग्रामों में विद्युतीकरण करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्नकर्ता का दिनांक २६-३-६४ का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार नाथूपुर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) के अन्तर्गत निम्नलिखित ४ ग्रामों में बिजली पहुंच चुकी है :

१—दुबारी,

२—लखनौर,

३—कटघरा शंकर,

४—दरगाह ।

*२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन किन-ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और उनकी आबादी अलग अलग क्या क्या है ? तथा उन ग्रामों से कितनी-कितनी आय हो रही है ?

श्री गिरधारी लाल—

नाथूपुर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के दिनांक २६-३-६४ के पत्रानुसार ४ ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है । इन ग्रामों की आबादी तथा आय का विवरण संलग्न ब्योरे में दिया गया है ।

[देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२६ पर].

*श्री रामसुन्दर पांडेय—

(स्थगित किया गया ।)

## गोरखपुर जिले में विद्युत सलाहकार समिति

*२५—श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में विद्युत् सलाहकार समिति का गठन कब हुआ तथा उसकी कितनी मीटिंगें हुई और कब-कब ? और यदि गठन नहीं हुआ तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

स्थानीय परामर्शदात्री समिति के गठन का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

*२६—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कोई लिस्ट ग्रामीण विद्युतीकरण की बनाई गई है ? यदि हाँ, तो किसकी राय से और उसमें क्षेत्रीय विधायकों की राय न लेने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—

गोरखपुर जिले के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु एक लिस्ट गोरखपुर के जिलाधीश, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, अध्यक्ष जिला परिषद् तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड, गोरखपुर, द्वारा मिल कर बनाई गई है ।

*२७—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

[स्थगित किया गया ।]

## उच्च न्यायालय में सहायक सरकारी एडवोकेटों की नियुक्ति

*२८—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६५ से ३१ मई, १९६५ तक उच्च न्यायालय के लिये सहायक सरकारी एडवोकेटों के पद पर किन-किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुईं तथा उनकी पूर्ण शैक्षणिक योग्यता तथा उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव कितना था ?

श्री सैयद अलीजहीर—

इस अवधि में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई ।

*२९—श्री रक्षपाल सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह—

उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में जिन महानुभावों के नाम बताये गये हैं उनकी नियुक्ति के समय महाधिवक्ता महोदय से उनकी कोई राय ली गई अथवा नहीं ? यदि राय ली गई, तो किसके बारे में उन्होंने राय दी थी ?

श्री सैयद अलीजहीर—

प्रश्न नहीं उठता ।

## सहायक यातायात निरीक्षकों की सीनियारिटी

*३०—श्री जसरामसिंह—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक यातायात निरीक्षकों की सीनीयारिटी लिस्ट १९५६ से अभी तक क्यों नहीं तैयार की गई है, जिसके कारण बहुत से यातायात निरीक्षकों (ए० टी० आई०) को अभी तक पदोन्नति नहीं दी गई है और उसके आउट न होने के कारण कितने सहायक यातायात निरीक्षक मेरठ रीजन में पदोन्नति नहीं ले पाये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूची तैयार हो रही है । इसके तैयार न होने से किसी की पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

## पूरनपुर में बिजली बन्द रहना

*३१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि पूरनपुर, जिला पीलीभीत में २० अप्रैल, १९६५ से १० मई, १९६५ तक बराबर १२ घंटे प्रतिदिन से भी अधिक बिजली बन्द रही ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारी लाल--

जिला पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में २० अप्रैल से १० मई, १९६५ के बीच बारह घंटे तक लगातार तो बिजली बन्द नहीं रही पर दो अवसरों पर तारों के टूटने तथा अन्य अवसरों पर भारी तूफान के कारण उत्पन्न लाइन में दूसरे दोषों की वजह से थोड़े समय के लिये बिजली अवश्य बन्द हो गई थी ।

## कुरावली बस स्टेशन के लिए जमीन

*३२--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के दूसरे मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न सं० २४ के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुरावली सरकारी बस स्टेशन के लिये कोई जमीन तलाश कर ली है या नहीं ? यदि हां, तो कहां पर ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जमीन तलाश कर ली गई है। यह कुरावली से बेवर की ओर जाने वाली सड़क के बांई ओर बस्ती के निकट और वर्तमान बस स्टेशन से लगभग आधे फर्लांग की दूरी पर है ।

## बलिया जिले में जलमग्न क्षेत्रों से पानी निकालने की प्रार्थना

*३३--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत रेवती ब्लाक में पंडौली और डुमरिया मौजे के सामने कोठीताल में और मूनछपुर, लक्ष्मीपुर तथा चौबेछपरा गांव के सामने रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ और रेलवे लाइन के उत्तर भारवरि तथा झरकटहां गांव के सामने सैकड़ों एकड़ जमीन पर सालों साल पानी का जमाव रहता है, उस पर से पानी निकालने की योजना अभी तक क्यों नहीं कार्यान्वित हो पाई, जब कि प्रश्नकर्त्ता ने जिला अधिकारियों द्वारा इस भयानक स्थिति का कई बार स्थानीय मुआइना भी कराया ?

श्री गिरधारीलाल--

इस क्षेत्र के पंडोली व डुमरिया ग्रामों के जलमग्न क्षेत्र के पानी का निकास प्राकृतिक खानपुर डुमरिया ड्रेन द्वारा, रेलवे लाइन की दक्षिण की ओर स्थित ग्राम मुनछपरा, लक्ष्मीपुर तथा चौबे छपरा के जलमग्न क्षेत्र के पानी का निकास प्राकृतिक यमुना ड्रेन द्वारा और रेलवे लाइन के उत्तर ग्राम भाखर व झरकटहा के जलमग्न क्षेत्र के पानी का निकास भरोली ड्रेन द्वारा तुर्तीपार श्रीनगर बांध में लगे रेगुलेटर से होता हुआ घाघरा नदी में है । परन्तु खानपुर, डुमरिया नाले को गहरा व चौड़ा करने का कार्य अभी तक तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न होने के कारण और यमुना ड्रेन का इसी प्रकार का कार्य, ग्रामीणों द्वारा कड़ा विरोध होने के कारण, पूरा न किया जा सका । भरौली ताल ड्रेन का निर्माण हो चुका है जिससे जल निकासी भलीभांति होती है ।

## मैनपुरी जिले में बस सर्विस

*३४--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में मैनपुरी से बेवर जाने वाली सरकारी बसें १ जनवरी, १९६५ ई० से ३० जून, १९६५ तक बिना पूर्व सूचना के अचानक बन्द रखी गयीं ? यदि हां, तो अचानक कितनी बसें मैनपुरी जिले में बन्द की गयीं और उनको बन्द करने के कौन-कौन से कारण थे ?

श्री मुजफ्फरहसन—

जो बसें रास्ते में अचानक फेल हो गयीं या जिनमें भारी डिफेक्ट हो गया था उन्हें छोड़ कर इस अवधि में कोई सरकारी बस बिना पूर्व सूचना के बन्द नहीं रखी गई।

प्रश्न का अन्य भाग नहीं उठता।

## गोमिया व शिवगढ़ ड्रेन योजनायें तथा हैदरगढ़ तहसील से जल निकासी

*३५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ डिवीजन (कैनाल) की गोमिया तथा शिवगढ़ ड्रेनों पर कितना धन ड्रेन बनाने तथा कितना धन पुलों पर व्यय करने की योजना है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

श्री गिरधारी लाल—

गोमिया तथा शिवगढ़ ड्रेनों पर क्रमशः ३४, ४३७ रुपया और २,८२,४३१ रुपया ड्रेन बनाने के लिये तथा क्रमशः १०,३२८ रु० और १,५०,२५६ रुपया पुलों पर व्यय करने की योजना है। शिवगढ़ और गोमिया ड्रेन पर कार्य क्रमशः मार्च, १९६६ तथा मार्च, १९६७ के अन्त तक समाप्त होने की सम्भावना है।

*३६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त डिवीजन में पानी निकालने हेतु तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में किन-किन झीलों से ड्रेन बनाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उक्त योजनाओं को कबतक पूरा किया जा सकेगा?

श्री गिरधारीलाल—

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में जिन जिन झीलों से जो नाले निकाले जायेंगे और जिस समय तक उनको पूरा किया जायगा, उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७२७ पर।)

*३७—श्री रघुनाथ सिंह—

[स्थगित किया गया।]

## उतरौला में बिजली लगने से मृत्यु

*३८—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि रजिस्ट्रार आफिस, उतरौला, जिला गोंडा के सामने ३–४ माह के अन्दर कोई व्यक्ति बिजली से चिपक कर मर गया? यदि हां, तो वह कौन व्यक्ति है तथा क्या सरकार ने उसके परिवार को कुछ क्षतिपूर्ति भी दी है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। उतरौला, जिला गोंडा के सब-रजिस्ट्रार आफिस से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर श्री छोटे लाल की बिजली से चिपक जाने के कारण १८ फरवरी, १९६५ को मृत्यु हो गई। उनके परिवार को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में मामला जिलाधीश, गोंडा के विचाराधीन है।

## अतारांकित प्रश्न

### रोडवेज बस स्टेशन, उजियारघाट

१—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत गवर्नमेंट रोडवेज स्टेशन उजियारघाट पर बस की टिकटों की चोरबाजारी बन्द करने के लिये प्रभावकारी सक्रिय कदम सरकार की ओर से अभी तक क्यों नहीं उठाया गया जब कि प्रश्नकर्ता ने अनेक बार गत वर्ष तथा इस वर्ष इसकी शिकायत जिला अधिकारियों से की ?

श्री मुजफ्फरहसन—

यह सही नहीं है। जो भी शिकायत किसी कर्मचारी के खिलाफ प्राप्त हुई उसकी पूरी जांच करने के पश्चात उसे उचित दण्ड दिया गया है।

चेकिंग आफिसर भी निरीक्षण का कार्य करते हैं।

२—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि बलिया उजियारघाट रोड पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अधिक गाड़ियां चलाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है ?

श्री मुजफ्फरहसन—

इस मार्ग पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुये अधिक गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की गई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से जाहिर है—

| मास | गाड़ियों के ट्रिप्स की संख्या | |
|---|---|---|
| | १९६४ में | १९६५ में |
| जनवरी .. .. .. .. | ८५३ | ९६१ |
| फरवरी .. .. .. .. | ९२३ | ९३० |
| मार्च .. .. .. .. | ९९२ | १०३४ |
| अप्रैल .. .. .. .. | ९३५ | १०७४ |
| मई .. .. .. .. | ११४४ | १२५३ |
| जून .. .. .. .. | १०६७ | ११९८ |
| जुलाई .. .. .. .. | ७६९ | १०१६ |

३—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि बलिया-बैरिया बांध रोड पर सरकारी बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं, जब कि यह सड़क यात्रियों की दृष्टि से बलिया जिले ी सब से चालू सड़क है और प्राइवेट लोगों की दस से अधिक बसें इस रोड पर चलती हैं ?

श्री मुजफ्फरहसन—

इस रोड का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। यह सड़क अभी तक पूरीतौर से पक्की भी नहीं बनी है।

## यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नियम के सदन में रखने से पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इन्होंने जो सूची रखी है वह अंग्रेजी में है। जब तक वह हिन्दी में न हो जाय तब तक इन्हें सदन में रखने का मौका न दिया जाय।

## मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के सबंध में जानकारी

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव था जो प्रश्नोत्तर के बाद ही होना चाहिये था। ऐसा नियमों में है।

श्री अध्यक्ष—

वह इसके बाद आयेगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

२७४ (ए) की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं—

*Motion of no-confidence in Ministers*—(1) A motion epxressing want of confidence in the Council of Ministers may be made with the consent of the Speaker subject to the following restrictions namely :

(*a*) leave to make the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon;

श्री अध्यक्ष—

जब यह समाप्त हो जाय तब होगा। जैसा मैंने पहले कहा।

## यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

जो आपत्ति माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने उठाई है उस सम्बन्ध में मेरा फिर आदरणीय मंत्रि परिषद् से आग्रह है कि अंग्रेजी जितनी सदन में वर्जित हो सके उतनी हो।

इनकी विज्ञप्ति तो हिन्दी में है लेकिन चूंकि मूल अधिनियम में सेकिन्ड शेड्यूल अंग्रेजी में है, इसे भी उन्होंने अंग्रेजी में कर दिया है, नहीं तो हिन्दी में होता।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

आडिटर-जनरल की अंग्रेजी में अभी रिपोर्ट इस सदन से वापिस की गई है। यह बड़ी लज्जा की बात है कि मंत्रियों को इतनी छूट दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—

यह ८ जून, १९६५ को हो चुका है।

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरिदत्त कांडपाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम०वी०आर०ए०एम० ६४–३८३५–टी०एम०/ख–११०–पी–६२, दिनांक ८ जून, १९६५, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह—

आपने ऐसी व्यवस्था दे कर इस सदन और अपनी मर्यादा की ठेस पहुंचाई है, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रघुनाथ सिंह ने सदन का त्याग किया)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जब तक हिन्दी में न हो तब तक उसे न रखा माना जाय।

श्री अध्यक्ष—

यहां प्रश्न हिन्दी का नहीं है। प्रश्न देवनागरी लिपि का है। हिन्दी में विज्ञप्ति है और फिर आगरा, अलीगढ़, अलमोड़ा, आजमगढ़ यह सब जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, नागरी लिपि में होना चाहिए। प्रश्न लिपि का है। इसमें जरा सी गलती है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस सरकार का हर विभाग अंग्रेजी में काम करता है। यह मामूली गलती नहीं है। कई बार आपने कहा कि मंत्रि-परिषद् के लोग हिन्दी में रखें। आपकी व्यवस्था की अवहेलना होती है। यह आप का और सदन का कन्टैम्प्ट है। सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता है।

## विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को मैंने सहमति नहीं दी है। कृपया वह मेरे आदेश देख लें। (रुक कर) दो सूचना थीं उनकी। आज एक और सूचना आयी है उनकी। उसे मैं माननीय मंत्री जी के पास स्पष्टीकरण के लिये भेज रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

लेकिन पहले दिन का पढ़ तो दें।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध कल आप के पास भेजा था।

श्री अध्यक्ष—

वह माननीय गृह मंत्री के पास स्पष्टीकरण के लिये भेजा गया है। उसे मैं देख रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

स्पष्टीकरण प्रोसीडिंग्स से हो सकता है। वस्तुस्थिति चन्द्रजीत जी ने लिख कर दे दी है।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। लेकिन हमारा नियम है कि अगर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो उससे पूछ लिया जाय। नियम का पालन हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

नियम यह है कि अगर वह सदन में मौजूद हों तो उन्हें कहा जाय कि स्पष्टीकरण दें। वह कल भी सदन में मौजूद थे और आज भी हैं। आप उनसे स्पष्टीकरण आज पूछ सकते हैं। प्रश्न तात्कालिक महत्व का है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

नियम यह है कि विशेषाधिकार के प्रश्न की कापी संबंधित सदस्य को दें और उन्हें स्पष्टीकरण देना हो तो वह आप को दे दें। अगर वह नहीं देते हैं तो आप उपयुक्त समझ कर ही स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तो क्या आपने उसे उपयुक्त समझ लिया है ?

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

आपने सहमति देने से पहले कभी स्पष्टीकरण नहीं मांगा है। मेरे ही केस में ऐसा हुआ। अभियुक्त बनने के बाद स्पष्टीकरण लें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

वह तो इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के सदस्य की परिभाषा पढ़ लें तो साफ हो जायगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

नियम ६४ में साफ लिखा है कि यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध होगी तो आप अपनी सहमति देने से पूर्व सदस्य की सफाई सुनेंगे। वह यहां मौजूद हैं और आप उन की सफाई सुन लीजिये। जब सदन के सामने की घटना है तो उसमें कोई बैकडोर सफाई की आवश्यकता नहीं है।

## चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण होने वाले कुछ पुलों का एस्टीमेट केन्द्रीय सरकार को न भेजने के फलस्वरूप धन न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय रामचन्द्र विकल की नियम ५२ की सूचना को मैं पढ़ रहा हूं—

"माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं—

"केन्द्रीय सरकार से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले धन के अतिरिक्त १८ करोड़ रुपया निम्नलिखित ५ पुलों के निर्माणार्थ मिलने वाला था—

गंगा नदी पर—

(१) बिजनौर—मुजफ्फरनगर सड़क पर रावली नामक स्थान पर बनने वाला पुल।
(२) फर्रुखाबाद—बरेली—इटावा सड़क पर फर्रुखाबाद में बनने वाला पुल।
(३) मिर्जापुर—जौनपुर सड़क पर चीलघाट (मिर्जापुर शहर) पर बनने वाला पुल
(४) फतेहपुर—रायबरेली रोड पर डलमऊ स्थान पर बनने वाला पुल।
(५) राम गंगा पर फर्रुखाबाद के सामने बनने वाला पुल।

उपरोक्त पुलों का रफ एस्टीमेंट मांगा गया था जो प्रदेश की सरकार अभी तक केन्द्रीय सरकार को नहीं भेज सकी जिसके कारण उपरोक्त १८ करोड़ रुपया अब प्रदेश को न मिल कर दूसरे प्रदेश को दिया जा रहा है। इस कारण प्रदेश की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है। मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री कब बयान देंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

श्रीमन्, ३ तारीख को दे दूंगा।

## जे०के० काटन मिल, कानपुर के मालिकों द्वारा मजदूरों को बोनस न दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय संत सिंह यूसुफ और माननीय चन्द्रजीत यादव की सूचना है कि कानपुर की मिलों में श्रमिकों में असंतोष हो रहा है, उसको मैं पढ़ रहा हूं:—

"कानपुर की मिलों के मालिक जानबूझ कर आज के राष्ट्रीय संकट में मजदूरों पर तरह-तरह से हमला कर रहे हैं। कानपुर की म्योर मिल और महेश्वरी जूट मिल मालिकों ने बन्द कर के हजारों मजदूरों को बेकार बना दिया है।

"अब जे० के० काटन मिल के मालिकों ने मिल पर एक नोटिस लगा कर यह घोषित किया है कि वह मजदूरों को १९६४–६५ का वह बोनस जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये हुए अध्यादेश के अनुसार कम से कम चार प्रतिशत मिलना चाहिये, उसे नहीं देंगे। हालांकि कारखाने में हुए लाभ के अनुसार मजदूरों को यह बोनस चार प्रतिशत से भी अधिक मिलना चाहिए। यही नहीं बल्कि मालिकों ने बोनस न देने की घोषणा के साथ-साथ यह भी निर्णय किया है कि पहले उन्होंने मजदूरों को जो रुपया बोनस के रूप में दे दिया है उसे अब उनके वेतन से काटेंगे।

मालिकों के इस मजदूर विरोधी रवैये से जे० के० मिल के पांच हजार मजदूरों में गहरा असंतोष फैल गया है और स्थिति विस्फोटक हो गयी है।

अतः हम लोग सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।"

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रम मंत्री इस पर कब बयान देंगे?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

३ तारीख को दे देंगे।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

श्रीमत्, कूपर और लाल इमली मिल में १ करोड़ ५ लाख रुपये का लाभ हुआ है और वह भी बोनस नहीं दे रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने अपने प्रस्ताव में लिखा नहीं है, वह कैसे जुड़ जायगा?

## नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब श्री रामसुन्दर जी पांडेय की एक नियम ५२ की सूचना है जिसको माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देने के लिये भेजा जा रहा है। इसी प्रकार माननीय कमलासिंह जी की २ सूचनायें हैं जो शासन को साधारणतया भेजी जा रही हैं।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय रामसुन्दर पांडेय का कहना है कि २९ अगस्त, १९६५ को गाजियापुर तथा गोइडहा ग्राम के सामने नदी का कटान बांध से लगभग २५० पर आ गया है और सरकार की ओर से उस स्थान पर कटाव को रोकने के लिये कोई कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया। कटाव की तीव्र गति को देखते हुये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सप्ताह के अन्दर ही उक्त स्थान पर घाघरा नदी बांध को काटकर दक्षिण दिशा में प्रवेश कर देगी आदि आदि।

एक नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय कमला सिंह जी का गाजीपुर जिले के नार्मल स्कूल, सैदपुर में डाइरेक्टर द्वारा नामांकित लड़कों का नाम न लिख कर उनको वापस कर देने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट करने के सम्बन्ध में प्रश्न आया है। इसको मैं माननीय मंत्री जी के पास विशेष ध्यान देने के लिये भेज रहा हूं।

शेष सूचनाओं को माननीय मंत्री के पास उचित कार्यवाही हेतु साधारणतया मैं भेज रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक स्टेटमेंट के लिए दिया है, यह बहुत से लड़कों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने एक सूचना को ले लिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, कुछ प्रश्नों को आप माननीय मंत्रियों के पास विशेष रूप से उचित कार्यवाही के लिये भेज देते हैं और कुछ को साधारण तौर पर भेज देते हैं, तो कृपया बतला दें कि इन दोनों में अन्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

कुछ सूचनायें जब इतनी महत्वपूर्ण मुझे लगती हैं कि उन पर फौरन ध्यान देना चाहिये, उन को तो विशेष रूप से उचित कार्यवाही हेतु भेजता हूं, और बाकी को साधारण तौर पर उचित कार्यवाही हेतु भेजता हूं।

श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जो आपने व्यवस्था दी, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि एक माननीय सदस्य अगर बोलते हैं तो उनके कथन को आप अनियमित घोषित कर देते हैं और उस को लिखने भी नहीं देते हैं और उस के बाद ही दूसरा सदस्य कुछ बोलने लगता है तो उसे आप बोलने भी देते हैं और उनकी बात को लिखने भी देते हैं, तो इस पक्षपात का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है। जब बात इतनी अनियमित होती है जिसकी कोई हद न हो (श्री सुखदेव प्रसाद के बोलने पर), जसे देखिये—वे अब भी बोल रहे हैं,—फिर मैं क्या करूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनियमित हैं, लेकिन बाद में मैं समझता हूं कि वे सुन ली जायं, तो वे अनियमित नहीं रहतीं।

# विस्थापित सुनारों के लड़कों की फीस माफी की धनराशि को शिक्षा संस्थाओं को न प्रदान किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

स्वर्ण नियंत्रण आदेश से पीड़ित सुनारों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में २९ अप्रैल, १९६३ को मुख्य मंत्री जी के कमरे में एक बैठक हुई थी। उसमें यह निश्चय किया गया था कि १९६३–६४ में विस्थापित सुनारों के बच्चों तथा आश्रितों को कक्षा १० तक निःशुल्क शिक्षा दी जाय। तदनुसार राजाज्ञा संख्या एस० ई० २६१/१५—१/१/६३ दिनांक ६ जुलाई, १९६३ में यह आदेश दिया गया कि प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रारम्भिक कक्षा से हाई स्कूल कक्षा तक पढ़ने वाले विस्थापित सुनारों के बच्चों को शिक्षा शुल्क तथा महंगाई भत्ते से पूर्णतः मुक्त किया जाय और स्कूलों को शुल्क मुक्ति से होने वाली हानि की पूर्ति की जाय। इस आदेश के अन्तर्गत सन् १९६३–६४ में ३,९५० लड़कों की फीस माफ हुई, जिसकी रकम रु० १,७७,२०९.३८ पै० आई। निःशुल्क विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में इस प्रकार थी :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा | .. | ७ | ८ | ९ | १० | योग |
| संख्या | .. | १,०९१ | १,०९८ | ९९३ | ७६८ | ३,९५० |

१९६३–६४ में उपर्युक्त फीस तथा महंगाई भत्ता के माफ करने पर कुल व्यय १,७७,२०९.-३८ पैसे में से ८३,७७४.९३ पैसे कुछ स्कूलों को क्षति पूर्ति अनुदान के रूप में दे दिया गया। यह धनराशि शिक्षा बजट में बचत से दी गयी। कुछ स्कूलों ने क्षतिपूर्ति अनुदान के लिये १९६३–६४ में अपने आवेदन-पत्र बहुत देर से शिक्षा निदेशक को भेजे थे। फलतः उनकी मांगों की जांच समय से अर्थात् १९६३–६४ में न हो सकी और उनको क्षतिपूर्ति अनुदान की धनराशि ९३,४३४.४५ पै० वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में राजाज्ञा संख्या ई० २३०२/१५(ई)१–१–६३ दिनांक ३१ जुलाई, १९६४ के अनुच्छेद ५ द्वारा स्वीकृत की गई। यह पूरी धनराशि भारत सरकार से प्राप्य है और उसके लिये आवश्यक कार्यवाही स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है।

भारत सरकार ने २६ नवम्बर तथा २६ दिसम्बर, १९६३ के पत्रों द्वारा सब राज्य सरकारों से कहा है कि "अगले शैक्षिक वर्ष से विस्थापित स्वर्णकारों के बच्चों की शिक्षा के लिये जो सहायता दी जाय वह ऐसी योजनाओं के आधार पर हो जो विभिन्न पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिये प्रदेश में अपनाई गई हो। यह सहायता आर्थिक स्थिति (मीन्स टेस्ट) पर आधारित होनी चाहिये।

भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार यह निश्चय किया गया कि विस्थापित स्वर्णकारों के बच्चों को शिक्षा सत्र १९६४–६५ से उसी दर पर छात्रवृत्तियां दी जायं जो अन्य पिछड़ी जातियों के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। तदनुसार राजाज्ञा संख्या ई/२३०२/१५-(ई)१/१/६३-दिनांक ३१-७-६४ तथा ई २६१७/(१)१५ई-३०/४५/६५ दिनांक १५ दिसम्बर, १९६४ तथा एक अन्य राजाज्ञा द्वारा निम्नलिखित छात्रवृत्तियां शासन द्वारा स्वीकृत की गई :

प्री मेट्रिक स्तर (कक्षा ७ से १०)—

| कक्षा | | | | | दर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सात | .. | .. | .. | .. | ८ | रुपया |
| आठ | .. | .. | .. | .. | ८ | रुपया |
| नव | .. | .. | .. | .. | १२ | रुपया |
| दस | .. | .. | .. | .. | १२ | रुपया |

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पोस्ट मेट्रिक स्तर (कक्षा ११ से विश्वविद्यालय स्तर तक)

| शिक्षा के विभिन्न कोर्स के लिये | होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये मासिक दर | डे स्कालर्स के लिये मासिक दर |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| टीचर्स ट्रेनिंग और शारीरिक शिक्षा— | | |
| (१) अंडर ग्रेजुएट कोर्स .. .. | ४० | २७ |
| (२) पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स .. .. | ५० | ३५ |
| नार्मल स्कूल ट्रेनिंग— | | |
| एच० टी० सी० कोर्स .. .. | २० | २० |
| प्री यूनिवर्सिटी, आई० एस०-सी०, आई० ए०, आई० काम०, आई० एस०-सी० (कृषि), बी० एस-सी०, बी० ए०, बी० काम० .. | ४० | २७ |
| एम० एस-सी०, एम० ए०, एम० काम०, एल-एल० बी० और होम कोर्स के तृतीय वर्ष के लिये .. .. | ५० | ४५ |
| डी० एस-सी०, डी० लिट०, पी० एच० डी० .. | ६० | ४५ |

इसी आधार पर प्राविधिक शिक्षा, इंजीनियरिंग, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के लिये छात्रवृत्तियां देने के हेतु सम्बन्धित विभागों से कह दिया गया।

इन छात्रवृत्तियों की दर विभिन्न कक्षाओं में ली जाने वाली निर्धारित फीस से अधिक रखी गई है जिससे विस्थापित स्वर्णकारों के बच्चों को फीस माफी से भी अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। फीस माफी की सुविधा केवल कक्षा १० तक सीमित थी, पर छात्रवृत्तियां 'पोस्ट ग्रेजुएट' 'रिसर्च स्कालर्स' स्तर तक दी गई। इतनी सुविधायें देकर कक्षा १० तक फीस माफी की सुविधा हटा ली गई। ये छात्रवृत्तियां उन्हीं विद्यालयों को दी गईं जिनके संरक्षकों की आय २,००० रु० वार्षिक से अधिक न थी। गत वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में उक्त छात्रवृत्तियों के भुगतान के लिये शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कुल १० लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इसमें ९३ ४३४.४५ पै० १९६३–६४ में फीस माफी का अवशेष भी शामिल है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद १ में किया गया है।

चूंकि १९६३–६४ में कक्षा १० तक दी गई फीस माफी की सुविधा हटा कर १९६४–६५ में छात्रवृत्तियां दी गईं अतः इस आशंका से कि कहीं शुल्क न देने के कारण विस्थापित सुनारों के बच्चों के नाम स्कूलों से न काट दिये जायं २९–७–६४ को एक आदेश प्रसारित किया गया जिसमें कहा गया कि चूंकि शैक्षिक सुविधायें देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है अतएव, मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थाओं को निर्देश दिये जायं कि वे सुनारों के उन बच्चों के नाम फीस न दे सकने के कारण न काटें जिन्हें वर्ष १९६३–६४ में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार के आदेश इस वर्ष भी निर्गत किये गये हैं। गत वर्ष स्वीकृत छात्रवृत्तियों को इस वर्ष भी दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। इस वित्तीय वर्ष में उक्त छात्रवृत्तियों के लिये ६ लाख रुपए का प्राविधान शिक्षा बजट में है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है इस वर्ष भी विद्यार्थियों के नाम न काटे जाने के आदेश दे दिये गये हैं जिससे उन्हें कोई कठिनाई न हो।

उपर्युक्त स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि गत वर्ष स्वर्णकारों के बच्चों की फीस माफी के आदेश नहीं दिये गये वरन् उसके बदले में उन्हें छात्रवृत्तियां दी गईं। सदस्य महोदय का यह कहना ठीक नहीं है कि "सरकार द्वारा गत वर्ष की फीस माफी से हुई क्षति पूर्ति की धनराशि शिक्षा संस्थाओं को अब तक नहीं प्रदान की गयी है जिसके कारण शिक्षा संस्थायें तो आर्थिक संकट में हैं"। ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य महोदय को गत वित्तीय वर्ष में दी गई छात्रवृत्तियों

की सही जानकारी नहीं है और वे इस भ्रम में हैं कि १९६३–६४ में दी गई फीस ही पिछले वर्ष भी चालू रही। वास्तविक स्थिति यह है कि पिछले वर्ष भी फीस ली गई और इस वर्ष भी ली जा रही है, ली जायगी। शासन द्वारा स्वीकृत होने वाली छात्रवृत्तियां पा जाने से फीस देना सरल हो जायगा क्योंकि छात्रवृत्तियों की दरें निर्धारित फीस से कहीं अधिक हैं।"

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री के वक्तव्य के पैरा २ में यह कहा गया है कि पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए प्रदेश में अपनायी गयी प्रणाली के अनुसार विस्थापित स्वर्णकारों के बच्चों के भी फार्म भरे जायंगे और स्वीकृत होंगे। हमें जानकारी है कि पिछड़ी जातियों के बच्चों के फार्म भरवाने के आदेश अभी तक संस्थाओं में नहीं पहुंचे हैं। जब संस्थाओं की जानकारी नहीं करायी गयी और पिछला जो सन् १९६३–६४ में एक आदेश था वही आदेश शिक्षा संस्थाओं को मालूम है। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी और जानकारी हासिल करने की कृपा करेगी कि सुनारों के बच्चों की फीस की पूर्ति के देने के सम्बन्ध में आज भी वही आदेश लागू हैं और पिछड़ी जातियों के बच्चों के फार्म भरवाने के आदेश अभी तक संस्थाओं में नहीं पहुंचे हैं।

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, जो स्थिति है वह मैंने स्पष्ट कर दी है। आदेश गये हैं कि अब फीस माफ नहीं होगी। छात्रवृत्ति दी गयी है। मैंने अपने वक्तव्य में भी यह स्पष्ट कर दिया है। यदि माननीय सदस्य मुझे लिख कर दें कि इन इन संस्थाओं को कोई आदेश नहीं पहुंचे ह, मैं दिखवा लूंगा कि इनको पहुंचे हैं अथवा नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर में ऐसे आदेश नहीं गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे? और जो वर्तमान आदेश और जगह लागू हैं उन पर भी लागू समझे जायंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन् यह तो हाईपोथैटिकल सवाल है। इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करें कि यहां-यहां पर आदेश नहीं गये हैं, मैं पूछ लूंगा।

श्री ए० जी० ग्राइस (जिला कानपुर)—

सेन्ट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र तथा और प्रदेशों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि बैकवर्ड की डेफिनिशन यह है कि "दोज हूं हैव नो फाइनैन्शियल स्टेटस" तो क्या उत्तर प्रदेश में भी "बैकवर्ड की डेफिनिशन करने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—

महाराष्ट्र ने क्या किया है यह तो मुझे मालूम नहीं है।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी उन व्यक्तियों के बच्चों की जिनके पास केवल ६ १/४ एकड़ जमीन से कम है या जिनकी आमदनी १०० रु० प्रतिमास से कम है, फीस माफ करने के आदेश दे देंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—

जो योजना स्वर्णकारों के बच्चों की फीस की थी वह केन्द्रीय सरकार की थी और वे ही इसके लिए पैसा देते हैं। जो वे हिदायत देते हैं, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। दूसरी सुविधाएं जो हरिजनों के विद्यार्थियों और दूसरे विद्यार्थियों को दी जाती हैं उनकी जानकारी माननीय सदस्यों को है कि वे कैसे शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि गत वर्ष छात्रवृत्तियां केवल ९ महीने तो लड़कों को दी गयीं जब कि उनसे फीस १२ महीने की ले ली जाती है ? तो क्या वे इस डिसपेरिटी को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--

जितने दिन के लिये छात्रवृत्तियों का निर्धारण होता है, उतने ही दिन के लिये वे दी जायंगी।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

स्वर्णकारों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य अभी माननीय वित्त मंत्री ने पढ़ा है, उसकी प्रति हमारे पास नहीं है, तो क्या हम सबको एक प्रति वह दिलाने की कृपा करेंगे ताकि हम लोग सहयोग दे सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, प्रति दे दी जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

ऐसे लोग जो सोने-चांदी का व्यापार करते थे उन सर्राफों को भी सरकार स्वर्णकारों में समझती है अथवा नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इसकी व्याख्या है। सर्राफों को थोड़े ही समझती है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

१९६३-६४ में जो सुविधा दी गयी थी उसी आदेश के अन्तर्गत १९६४-६५ में एक शुल्क माफी शिक्षण संस्थाओं ने दे दी और सरकार का आदेश छात्रवृत्ति का बाद में गया जिससे शिक्षण संस्थाओं का घाटा हुआ है। तो जिन शिक्षण संस्थाओं ने पहले के आदेश के अनुसार शुल्क माफी दे दी वह पैसा सरकार उनको देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो छात्रवृत्तियों की दर निर्धारित की गयी है वह शुल्क माफी से ज्यादा है और ये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ट्यूटर्स के द्वारा तो जब उनके पास छात्रवृत्तियां गयीं और उनके पास आदेश गया तो उस समय उनको वह फीस काट ही लेनी चाहिये थी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

सरकार ने जो स्वर्णकारों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा समाप्त करके छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है, लेकिन इसके लिये जितने रुपये का प्राविधान है उससे सभी लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती। तो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी क्या सरकार उनकी शिक्षा निःशुल्क करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जो छात्रवृत्ति के अधिकारी नहीं हैं, उनके लिये निःशुल्क शिक्षा करने का कोई इरादा नहीं है।

## मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मेरे पास एक सूचना माननीय सर्वश्री माधो प्रसाद त्रिपाठी, रामसुन्दर पांडेय, चन्द्रजीत यादव, ब्रह्मदत्त मायर, राम अधार कनौजिया, नेकराम शर्मा, रियासत हुसेन, उग्रसेन आदि

महानुभावों की आई है। प्रस्ताव इस प्रकार है "यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इसी तरह का एक प्रस्ताव विरोधी दल के सदस्यों की ओर से आपके पास आपके विरुद्ध भी गया है। मुझे जानकारी हुई है कि वह प्रस्ताव भी आपके पास कल ही पहुंच गया। मैं चाहता हूं कि जब मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव आप लें तो साथ ही साथ उस प्रस्ताव को भी ले लें। वैसे तो पहले आपको इसे लेना चाहिये था जो कि आपके विरुद्ध था। इसके अलावा जब आपके विरुद्ध प्रस्ताव पहले पहुंच जाय और आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके लिये सबसे शोभनीय कर्तव्य हो जाता है कि पहले आप हमारे उस प्रस्ताव को लें। अगर आप उसे नहीं लेना चाहते हैं और सरकार ही पर आप भी कुदृष्टि लगाये बैठे हैं तो दोनों प्रस्तावों को साथ-साथ लें ताकि दोनों प्रस्तावों की अनुज्ञा सदन साथ-साथ दे दे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा के लिये यह प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें अनुज्ञा की जरूरत नहीं है। मैं इसको नियमित करार देकर पूछूंगा कि कितने इसके पक्ष में हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं दो मिनट में यह कह दूं कि क्यों मैंने इस को रखा है। यह राष्ट्रीय संकट है और सरकार प्रदेश में एकता और शान्ति स्थापित करने में असमर्थ है। मंत्रिमंडल ऐसा बना हुआ है जिसको अपनी पार्टी का ही विश्वास प्राप्त नहीं है। मंत्रिमंडल में गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंच गई है और आज इस प्रशासन में नियुक्ति और स्थानान्तरण दोनों गुटों के आधार पर हो रहे हैं। नतीजा यह है कि प्रदेश का प्रशासन भ्रष्ट है और यह प्रशासन भुखमरी और अकाल की स्थिति को काबू में रखने में असमर्थ है और शान्तिपूर्ण जनता पर यह शासन गोली चलाता है। हमने राष्ट्रपति के पास तार भेजा है कि ऐसे मंत्रिमंडल को भंग किया जाय और राष्ट्रपति का शासन कायम किया जाय। यह जनता सरकार के प्रति विश्वास खो चुकी है। इसलिये यह प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं। चूंकि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या ११२ है, जो पंचमांश से अधिक है, अतः प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी। अब माननीय उपनेता सदन को बतायें कि इस पर विवाद कब रखा जाय?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—

श्रीमन्, ६ तारीख रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

६ तारीख रखी जाती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि ६ तारीख को मैं नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी माता जी का क्रियाकर्म है। इसलिये एक रोज या दो रोज बढ़ा दिया जाय तो अच्छा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, ६ के बजाय ७ कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इसका मतलब यह हुआ कि केवल एक दिन इस पर बहस होगी ?

श्री अध्यक्ष—

अब नेता, विरोधी दल से बातचीत करके जो उचित समझूंगा मुकर्रर कर दूंगा।

## श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, अब हमारा प्रस्ताव ले लें। हमारा प्रस्ताव है कि हम विधान सभा के निम्न हस्ताक्षरकर्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा को अध्यक्ष पद से हटाने के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देते हैं कि—

"यह सदन श्री मदनमोहन वर्मा को निम्नलिखित कारणों से अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव करता है और एतद्द्वारा उनको इस पद से हटाता है—

वर्तमान अध्यक्ष में सदन के नियमों का सही निर्वचन करने की क्षमता नहीं है, फलस्वरूप सदन के सुचारु रूप से कार्य संचालन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है।"

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों में यह है कि यह सूचना सचिव को १४ दिन पूर्व दी जायगी...

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हम अपनी बात खत्म कर लें।

श्री अध्यक्ष—

आप नहीं खत्म कर सकते हैं। प्वाइंट आफ आर्डर है। आप बैठें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह है कि आज यह प्रस्ताव हाउस में पढ़ा ही नहीं जा सकता और माननीय सदस्य पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आप नियमावली के नियम २७० को देखें, उसम यह कहा गया है कि कोई प्रस्ताव इस सदन में तब तक नहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा जब तक सचिव को १४ दिन की पूर्व सूचना न हो। इसी प्रकार आप देखें नियम के अन्तर्गत सचिव को १४ दिन पूर्व सूचना होनी चाहिए। उसके बाद यह प्रस्ताव पेश हो। उसके बाद माननीय सदस्य इस सदन से अनुज्ञा मांगें। उसके उपरान्त यह प्रस्ताव सदन में पढ़ा जायगा। तब उस पर बहस हो सकती है। नियम २७० कृपया आप देख लें—"कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद १७९ (ग) के अन्तर्गत किसी संकल्प की सूचना देना चाहे तो वह उसे लिखित रूप में देगा परन्तु पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक सचिव को चौदह दिनों की पूर्व सूचना न दी गयी हो।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उसमें यह है कि प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथसिंह बोल रहे हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

इस हाउस में जब प्रस्ताव पढ़ दिया जायगा तो वह प्रस्तुत हो गया। प्रस्तुत होने के बाद तब माननीय सदस्य अनुज्ञा मांगेंगे कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाय। अनुज्ञा के पश्चात् जब प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो हमारे नियमों में दूसरा उपबन्ध है। संविधान का अनुच्छेद १७९ देखें । उसके खंड (ग) में लिखा हुआ है—"परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम १४ दिन की सूचना न दे दी गयी हो :" इस तरह से संविधान के अन्तर्गत और सदन की नियमावली के अन्तर्गत सचिव को १४ दिन की सूचना देनी चाहिए। उसके उपरान्त इस सदन में वह प्रश्न उठाया जायगा। उसके बाद अनुज्ञा मांगेंगे। अगर सदन अनुज्ञा दे दे तो यह प्रस्ताव विचाराधीन होगा। उस वक्त आदरणीय सदन जो निर्णय दे वह निर्णय होगा। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव आज इस सदन में नहीं आ सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप ३१९ (२६) देखें, इसमें लिखा हुआ है "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा का प्रस्ताव", "जबतक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों की सापेक्ष पूर्वता होगी।" तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी इसको पढ़ें। श्रीमन्, मुझे दुख है कि अनुज्ञा मांगने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने में क्या अन्तर है, यही उन्हें नहीं मालूम पड़ रहा है। यह छोटी-मोटी बात नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सूचना देने के बाद में अनुज्ञा मांगी जानी चाहिए और अनुज्ञा की स्वीकृति मिलने पर १४ दिन की नोटिस पर प्रस्ताव हाउस में पेश हो सकता है और उस पर बहस हो सकती है। तो बहस के लिए हाउस में प्रस्ताव पेश करने के लिए १४ दिन के नोटिस की आवश्यकता है, न कि प्रस्ताव पर अनुज्ञा मांगने के लिए १४ दिन की जरूरत है। जब हम अनुज्ञा मांगते हैं और हमारे पक्ष में ८५ सदस्य खड़े हो जायेंगे तो अनुज्ञा हो जायगी। जब अनुज्ञा प्राप्त हो जायगी तब उसमें है कि १४ दिन के अन्दर पेश होना चाहिए। कल्पनाथ सिंह जी यह पढ़ ही नहीं पाते हैं या पता नहीं कि पढ़ कर समझ नहीं पाते हैं अथवा जानबूझ कर यह गलत बयानी करते हैं। यह सारी बातें ३१९, २७० और नियम २७१ में साफ-साफ लिखी हुई हैं, किन्तु आप यों ही भ्रम पैदा कर रहे हैं । जब इस तरह का प्रस्ताव पेश होगा, अनुज्ञा मांगी जायगी और अनुज्ञा मिलने पर १४ दिन की नोटिस पर बहस होगी।

एक उदाहरण और दे दूं, श्रीमन्। इस सदन की पराम्परा का उदाहरण देना चाहता हूं खेर साहब के जमाने में भी उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था और जिस समय पेश किया गया था, उस समय उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी और उस आदरणीय कुर्सी पर उन्होंने रामनारायण त्रिपाठी जी को पीठासीन किया था और कहा था कि यह सदन की कार्यवाही अब हमारी मौजूदगी में नहीं होगी। फिर उस पर कहा कि अब इस पर अनुज्ञा मांगी जाए तो इस प्रकार के आदेश माननीय खेर साहब ने किए। मैं आपकी बात कहता हूं आप भी कुर्सी पर थे जबकि इधर से अविश्वास का प्रस्ताव आया था। श्री कमलापति त्रिपाठी इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं, जब माननीय नेकराम शर्मा ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा था उस पर अनुज्ञा मांगी गयी थी, लेकिन उनकी सिफारिश पर उन्होंने उसे अनुज्ञा प्रस्ताव की वापसी के प्रस्ताव पर वापस ले लिया था। तो मैं समझता हूं यह नियमानुकूल है और सदन की परम्परा के अनुसार है। इस प्रकार अब आपका इस कुर्सी पर बैठे रहना, उस कुर्सी, सदन और नियमों की मर्यादा

[राम सुन्दर पांड़ेय, श्री]

के अनुकूल नहीं है। टंडन जी ने तो यहां तक कहा था कि मैं एक आदमी के कहने पर भी कुर्सी छोड़ दूंगा। किन्तु यहां पर तो हम १२५ लोग बैठे हुए हैं। सारे के सारे हम आपके कामों के खिलाफ हैं और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप इस कुर्सी को छोड़ें और इस प्रस्ताव पर बहस करायें। यदि आप कल्पनाथ सिंह की बातों पर ध्यान देंगे तो यह सदन के साथ और आपकी कुर्सी के साथ पक्षपात होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, आप तो नियमों को मानने वाले हैं। कल विरोधी दलों की तरफ से इस बात की नोटिस दे दी गयी थी कि आपके खिलाफ आपको हटाने का प्रस्ताव लाया जायगा, और यह अविश्वास का प्रस्ताव कल आपके दफ्तर में दे दिया गया था। आप से आशा की जाती थी कि आज आप उस प्रस्ताव को एजेण्डे में लायेंगे, किन्तु अफसोस है कि वह एजेन्डा में नहीं दिया गया है। श्री कल्पनाथ सिंह का कहना है कि १४ दिन बाद आना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं अब हिन्दी वाली बात कह रहा हूं तो भी आप लोग हल्ला मचा रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

तो वह नोटिस तो आपको हो गयी। आज आपको सबसे पहले अनुज्ञा लेनी चाहिए और जब अनुज्ञा मिल जाय तो १४ दिन की नोटिस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए होगी। संविधान और नियमों से स्पष्ट है कि प्रस्ताव पर बहस के लिए १४ दिन की नोटिस होनी चाहिए, अनुज्ञा के लिए नहीं। यह व्यवस्था माननीय खेर साहब भी कर चुके हैं और इसके पूर्व टंडन जी भी कर चुके हैं। इसी सदन में १९६२ के बीच आपने भी व्यवस्था दी थी जिस वक्त अविश्वास का प्रस्ताव मैंने आपके विरुद्ध रखा था और आपने अनुज्ञा दी थी। आज इधर भी और उधर भी सदन में माननीय सदस्य मौजूद हैं जो आपमें विश्वास नहीं करते। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले तो आप कुर्सी छोड़कर....

श्री अध्यक्ष--

आप, जो प्रश्न इस समय प्रस्तुत है उस पर बोलिए। जब यह निश्चित होगा कि हो सकता है तो मैं बड़ी खुशी से जाऊंगा।

श्री नेकराम शर्मा--

नोटिस तो आपके कार्यालय में पहुंच चुकी है और समाचारपत्रों में भी छप चुकी है तो आपके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि आप इसको अनुज्ञा के लिए रखने दें।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने संविधान के अनुच्छेद १७९ को पढ़कर सुनाया उसको दुबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। माननीय रामसुन्दर पांडेय ने हमारा ध्यान ३१९ के २६ की ओर आकृष्ट किया है। उसमें लिखा है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा का प्रस्ताव। आप अब श्रीमन्, यह देखें कि प्रक्रिया नियमावली की धारा २७१ है जिसमें यह है कि "अनुच्छेद १८१ (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब पूर्वगामी नियम के अन्तर्गत कोई हटाने का प्रस्ताव आवे" तो पूर्वगामी धारा २७० के अन्तर्गत उसमें अनुज्ञा दी जायगी। २७० में स्पष्ट लिखा है कि १४ दिन की पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी। इसी तरह से २७० (३) भी आप देखें। उसके अनुसार आप माननीय सदस्यों को खड़े होने के लिए कहेंगे और वह अनुज्ञा मांगेंगे प्रस्ताव को प्रस्तुत

करने की और वह प्रस्तुत २७१ के अनुसार होगा। उसमें स्पष्ट है कि २७० की शर्तों को पूरा किए बिना वह प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। इससे निश्चित है कि १४ दिन की बिना पूर्व सूचना के यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

बहुत सीधी बात है। प्रस्ताव की सूचना आपको है, अब अनुज्ञा के लिए है। जब प्रस्ताव प्रस्तुत होगा तब आप पीठासीन नहीं रहेंगे। इस समय तो अनुज्ञा के लिए रखा जा रहा है। प्रस्ताव के लिए १४ दिन की सूचना चाहिए कि लोग इधर से उधर जा सकें। जब अनुज्ञा के लिए रखा जा रहा है तो चूंकि आपके खिलाफ ही यह प्रस्ताव है इसलिए आपको अनुज्ञा देने में हिचकिचाहट नहीं हो सकती।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली में एक शब्द माननीय सदस्यों को भ्रम में डाल रहा है। वह शब्द है नियम १८१ में वाक्य "प्रस्तुत नहीं किया जायगा" में शब्द "प्रस्तुत" भ्रम में डाल रहा है। "प्रस्तुत" शब्द का अर्थ माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि अनुज्ञा लेने से "प्रस्तुत" शब्द का तात्पर्य है और उस पर विवाद के लिए उस प्रस्ताव को सदन के समक्ष आना यह दोनों बातें सन्निहित हैं इस "प्रस्तुत" शब्द के अन्दर। प्रस्तुत करने केलिए १४ दिन पहले वह सचिव के कार्यालय में जाना चाहिए।

जहां तक इस लोक सभा की प्रक्रिया नियमावली का सम्बन्ध है, उसमें मान्यवर साफ-साफ यह लिखा हुआ है कि "(२)उपनियम (१) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए किसी दिन की कार्यसूची में सम्बन्धित सदस्य के नाम में दर्ज कर दिया जायगा परन्तु उस तरह निश्चित किया गया दिन संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से १४ दिन बाद का कोई दिन होगा।"

श्री नेकराम शर्मा—

इसका मतलब यह हुआ कि १४ दिन की नोटिस और १४ दिन के बाद उस पर बहस, तो २८ दिन में वह बहस होगी?

श्री रामायण राय—

वह तिथि १४ दिन के पहले नहीं हो सकती है। वह प्रस्ताव अनुज्ञा के लिए १४ दिन के बाद सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुज्ञा लेने के बाद यानी अनुज्ञा मिलने के बाद वह तिथि अध्यक्ष निश्चित करेंगे कि उस प्रस्ताव पर कब विवाद किया जाय। यह इस लोक सभा की नियमावली में दिया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सदन में तो १४ दिन की नोटिस चाहिए और उस पर बहस कितने दिन के बाद होगी इसका कोई प्राविजन है?

श्री रामायणराय—

जहां तक बहस के लिए दिन का सवाल है अनुज्ञा मिलने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, को यह अधिकार दिया गया है कि वह कोई दिन निश्चित करेंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस नियम २७१ को भी देखने का कष्ट करें। उसके (२) में यह दिया हुआ है कि "जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो वह प्रस्ताव वापस ले सकेगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगेगा।" तो यह वापस लेने का अधिकार, अनुज्ञा मांगने का अधिकार, यह सारी बातें इस बात को दरशाती हैं कि १४ दिन के पहले सदन के सामने

[रामायण राय, श्री]

अनुज्ञा के लिए वह प्रस्ताव कदापि नहीं लिया जा सकता है। नियम २७२ का हवाला दिया गया। उसमें बहुत बारीक बात छिपी हुई है। उसकी शब्द रचना इसी प्रकार की है। उसकी तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उसमें यह दिया है कि "यदि पूर्वगामी नियम के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तावक संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा सदन से प्राप्त कर ले तो संकल्प किसी नियत दिन पर लिए जाने के लिए कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया जायगा।" आप यदि अनुज्ञा प्राप्त कर लें १४ दिन के पूरा होने पर तब, मान्यवर, आप यह तय करेंगे कि उसपर कब विवाद होगा। इसलिए, मान्यवर, जहां तक हमारी प्रक्रिया नियमावली का सम्बन्ध है उसके अनुसार मैं इसको नहीं मानता हूं। कल रामसुन्दर पांडेय जी ने ४ बजकर २० मिनट पर हमारे सचिव के कार्यालय में इस प्रस्ताव को दिया। तो, मान्यवर, इस प्रस्ताव पर बहस में सदन का समय नष्ट न किया जाय। इसको अनियमित घोषित किया जाय और इस पर कोई अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में सन १९६२ में प्रश्न पैदा हुआ था। उस समय मैंने एक व्यवस्था दी थी और व्यवस्था देने के बाद मैंने जो विभिन्न दल के नेता थे उनको आमंत्रित किया था और दिखलाया था। जो व्यवस्था थी वह इस प्रकार है--"संविधान के अनुच्छेद १७९ के प्रथम प्रतिबन्धक में उपबन्धित है" परन्तु खण्ड (ग) के प्रयोजन के हेतु...जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गयी हो। इसका आशय यह प्रतीत होता है, जैसा कि लोक सभा के नियमों से स्पष्ट होता है--कि अनुज्ञा की सूचना की तिथि से १४ दिन के भीतर नहीं मांगी जा सकती। तो अनुज्ञा का विषय १९-१०-६२ को ही आ सकता है। अतः प्रस्तावकगण को १५ अक्तूबर, १९६२ को साढ़े तीन बजे दिन के लिए आमंत्रित कर लिया जावे ताकि इस विषय में बातचीत कर के उचित कार्यवाही की जावे। उन के आने के पूर्व यह टिप्पणी उन्हें सब को दिखा भी दी जावे।" इसके बाद १९ अक्तूबर को अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव हुआ। तो यह विषय सदन के आदरणीय विभिन्न दल के नेताओं की राय से निश्चित हो चुका है। इस लिए मैं समझता हूं कि कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह ठीक है और यह यहां नहीं आ सकता।

(व्यवधान)

अब यह विषय समाप्त हुआ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं तो उस समय एक दल का नेता था। पता नहीं आप ने किस से सलाह ली थी और यह टिप्पणी कब लिखी गयी थी। हम को इसका कुछ पता नहीं है। एक मुस्लिम लीग के सदस्य ने टंडन जी के खिलाफ वक्तव्य दिया था। दूसरे दिन टंडन जी आए और उस के बाद उसने सारे सदन से खड़े हो कर माफी मांगी। आप को इस के बाद यह कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आपको शाब्दिक जाल में फंस कर संसदीय परम्परा का गला नहीं घोंटना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मुझे बड़ी तकलीफ है। माननीय टंडन जी और माननीय खेर साहब ने जो रूलिंग्स दीं उन को तो आप ने पढ़ा नहीं, आप ने अपना उद्धरण पढ़ कर सुना दिया। यह क्या है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त हुआ।

श्री नेकराम शर्मा—

प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप टंडन जी और खेर साहब की रूलिंग्स को पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

अब सहकारी समिति विधेयक पर विचार आरम्भ होगा। माननीय कमलासिंह जी बोल रहे थे।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं ५ मिनट के लिए सदन छोड़ता हूं।

(व्यवधान)

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री नेकराम शर्मा—

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि अनुज्ञा मांगने की तारीख की सूचना तो आप सदन को दे दें। तारीख दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

११२ तो आपके खिलाफ इस समय हम लोग हैं, १०० से ज्यादा उधर के लोगों का आपमें विश्वास नहीं है। इसलिए आप यहां कुर्सी पर नहीं बैठ सकते।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वारणसी)—

आप मुझे २ मिनट का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर या तो बैठिए, या सदन छोड़िए।

श्री रघुनाथसिंह—

आपने मुझे २ मिनट का समय नहीं दिया, इसलिये आपकी व्यवस्था के विरोध में मैं २ मिनट के लिए सदन त्याग करता हूं।

(श्री रघुनाथसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था के विषय में जो यह स्थिति उत्पन्न हुई, उस आपकी व्यवस्था के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु एक विषय जो अनुज्ञा के लिए आपके सामने आया उस पर आपने अपनी व्यवस्था दी, मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि असेम्बली स्थगित हो जाय। मैं यह चाहूंगा कि सरकार ऐसी परिस्थिति न लाए जिससे कि जो लोग कुछ कहना चाहते हैं वे कह न सकें और यह प्रश्न न आ सकें। मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

(श्री कमला सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय कमलासिंह जी को बुलाया है, आप कृपया बैठिए।

श्री भगवान सहाय—

आपने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिये आपकी व्यवस्था के खिलाफ में दो मिनट के लिए वाक आउट करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

हम लोग भी इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल ने एक मांग की है। उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी। आप जरूर यह व्यवस्था दें कि यह सदन कब तक चलेगा?

श्री अध्यक्ष—

अगर नियमों के सम्बन्ध में कोई गलती हो तो आप बतलाएं, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपना एक सुझाव रखा, सरकार उस पर सोचेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आपकी इस सदन में एक विशेष गरिमा है और उसको देखते हुए मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। चूंकि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसी समय यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। उस पर आपने एक व्यवस्था दे दी। हम लोगों को उस व्यवस्था की जानकारी नहीं थी कि वह सदन में दी थी या बाहर दी थी। हम लोग उस नियम का इन्टरप्रेटेशन दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन जिस बात की मांग नेता, विरोधी दलने की है कि वह पहले स्वयं प्रस्ताव आएगा या नहीं। आप स्वयं इस बात को कहते हैं कि चौदह दिन के बाद ही वह उपस्थित हो सकता है, इसलिए आप इतना आश्वासन दें कि वह चौदह दिन का मौका मिलेगा। कम से कम आप इतना तो आश्वासन दें। जिस बात की आशंका नेता, विरोधी दल ने की वह आशंका इस सदन में है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं विचार करूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री चन्द्रजीत यादव ने सदन का परित्याग किया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का सवाल है। अगर चौदह दिन के अन्दर की नोटिस चाहिए तो वह हम मान लेते हैं, लेकिन चौदह दिन की नोटिस का तो आप एलान कर दें।

(व्यवधान) (शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप तारीख बताएं कि चौदह दिन के बाद कौन-सी तारीख है जिस दिन अनुज्ञा मांगी जाएगी। उस तारीख की घोषणा कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं उस तारीख को निश्चित कर दूंगा।

अनेक सदस्य—

इसी वक्त कीजिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, आपसे सादर निवेदन है कि आप उस तारीख की घोषणा कर दें। श्रीमन्, यदि आप तारीख घोषित नहीं करते हैं तो यह सारे प्रदेश का अपमान है। जिस दिन चतुर्भुज शर्मा का मामला आया था तो आपने कहा था कि यह सदन प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता का रक्षक हैं। जब आप पर प्रस्ताव आया तो कहां गया यह सब ?

(व्यवधान)

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपसे सम्बन्धित मामला है। इतना जजबा इस तरफ है, मुझे बात समझ में नहीं आती....

श्री अध्यक्ष—

मैं तारीख मुकर्रर करने का वायदा कर रहा हूं लेकिन इस वक्त देख लें कि क्या सूरत हो सकती है।

श्री भगवान सहाय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं खड़ा हुआ था कि आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी, आपने इजाजत दी श्री चन्द्रजीत यादव को, इजाजत दी श्री रामसुन्दर पांडेय को, और इजाजत दी श्री जेड० ए० अहमद को....

श्री अध्यक्ष—

आप पहले बैठ जाइए।

श्री भगवान सहाय—

मैं जरूर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप मेम्बर-मेम्बर में भेद करते हैं। यह क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

श्री भगवान सहाय—

मैं यह कह रहा था कि मामला बहुत नाजुक है। आपसे सम्बन्धित है, हीला-हवाला करना, टालना आपको शोभा नहीं देता, न उस कुर्सी को शोभा देता है। आपसे पहले इस कुर्सी पर बहुत-बहुत सम्मानित व्यक्ति बैठ चुके हैं, आप मेहरबानी करके इस कुर्सी की इज्जत को कायम रखें और उस तारीख को बतायें....

(व्यवधान)

अच्छा तो यह था कि आप इस समय प्रेसाइड न करते....

(व्यवधान)

तो आप वह तारीख बता दें।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसी दास))—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सदन के कार्य का सवाल है गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में हमेशा सोमवार को कार्यक्रम की घोषणा करती है और सोमवार को जिस वक्त यहां पर सदन ६ तारीख को शुरू होगा, हम कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। यह मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कार्यक्रम होगा, कितने दिन सदन चलेगा इसका निर्णय करना गवर्नमेंट का काम है....

(व्यवधान)

श्रीमन्, यह गरिमा की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं। गरिमा की बात वह आदमी कर सकता है कि जो खुद नियमों का पालन करता हो। दस-दस आदमी मिलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर गरिमा की बात करते हैं।

मैंने अर्ज किया कि ६ तारीख को हम सदन के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब एक व्यवस्था भगवान सहाय जी ने उठायी है, उसको सुन लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो माननीय बनारसी दास जी ने कहा है कार्यक्रम के सम्बन्ध में उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय बंशीधर पांडेय ने एक हफ्ते का कार्यक्रम कल पेश कर दिया और अगर यह बात सही है तो फिर मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव जो आया है उसको नहीं लेना चाहिए था जिसके लिए उपनेता, सदन ने तारीख ७ निश्चित कर दिया। तो माननीय बनारसीदास जी पहले अपनी तरफ देखें, अपने सहकारी मन्त्रियों की तरफ देखें, मन्त्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के लिए तिथि कैसे निश्चित कर दी गई? यह आपको बचाने के लिए और हम माननीय सदस्यों को जो अधिकार मिले हुए हैं उसको जबर्दस्ती खींचने के लिए इस तरह की बात होती है। नहीं तो कल जब बंशीधर जी पांडेय ने कार्यक्रम सप्ताह का पेश कर दिया था तो अविश्वास के प्रस्ताव के लिए ७ तारीख नियत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ७ तारीख नियत हो गई है, फिर उसके बाद यह बात कही जाती है तो मैं समझता हूं कि वह अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि १४ दिन की नोटिस आपने स्वीकार कर ली है तो उस की तारीख इस कुर्सी से, आपके मुंह से घोषित हो जानी चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि सरकार तय करेगी कि कब तक सदन चलेगा या नहीं चलेगा। श्रीमन् इस सत्र के शुरू होने से पहले आपके कार्यालय से एक विज्ञप्ति तमाम माननीय सदस्यों के पास गयी है जिसमें कहा गया है कि ३० सितम्बर तक सदन चलेगा और ३० सितम्बर तक का कार्यक्रम भी उसमें है। तो यह किस परम्परा और किस नियम के अनुसार माननीय बनारसी दास जी यह कह रहे हैं कि कब तक सदन चलेगा या नहीं चलेगा, इसका निश्चय वह करेंगे। यह तो आपके अधिकार का अतिक्रमण है और तमाम संसदीय परम्पराओं का अतिक्रमण है। यह आपका और आपके कार्यालय का अपमान है। आपकी तरफ से यह घोषणा हो चुकी है कि ३० सितम्बर तक यह सदन चलेगा, तो ३० सितम्बर से पहले खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात की घोषणा कर दें कि १४ तारीख को आप इसको लेंगे, १५ को लेंगे या १३ को लेंगे, कब लेंगे?

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया कि इस समय नहीं करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय नहीं करूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, यह आशंका बराबर बढ़ती जायगी कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आज ही इस तरह की घटना हुई है । माननीय सहकारिता मन्त्री ने एलान कर दिया कि यह गवर्नमेंट तय करेगी कि यह हाउस कब तक चलेगा। जब कि आपकी तरफ से पहले ही ३० सितम्बर तक का एजेन्डा हम लोगों के पास पहुंच चुका है जिसमें बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं। समझ में नहीं आता है कि फिर उसके बारे में बदलने की बात क्यों हो रही है ?

दूसरी बात आपने जो अभी व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—

उस सम्बन्ध में कुछ नहीं होगा। वह विषय समाप्त हो गया।

श्री रामचन्द्र विकल—

आपने सभी लोगों को सुना है। मैं इस विषय में केवल इतना आपसे पूछ रहा हूं कि अनुज्ञा मांगे बगैर यह प्रस्ताव एजेन्डे पर आ नहीं सकता और उसकी तारीख आपने १४ दिन की लगायी है, तो अनुज्ञा मांगने की तारीख कोई हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय संसदीय मन्त्री ने बताया कि ६ तारीख को वे सदन का अगला कार्यक्रम बतायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

संसदीय मन्त्री से मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल मैं आपकी राय से इत्तफाक कर गया कि शायद आप हमारे अधिकारों के रक्षक होंगे, लेकिन आज जो बनारसी दास जी ने कह दिया उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ । अभी माननीय काशीनाथ जी ने जो सवाल उठाया है वह सही है कि आपकी ओर से ३० सितम्बर तक का एजेन्डा हमारे पास गया था और ८ तारीख को चौथी पंचवर्षीय योजना पर विचार होना था और यह आश्वासन माननीया मुख्य मन्त्री का था कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर विचार होगा, लेकिन यह सरकार ढुलमुल हो रही है। सदन के सामने महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है और उस पर वाद-विवाद होना आवश्यक है। सरकार को अन्यथा एलान करने का क्या अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है।

माननीय संसदीय मन्त्री ६ तारीख को एलान करने वाले हैं। जब वे एलान करें तब कहिए। श्री बनारसीदास....

श्री बनारसीदास—

माननीय नेता विरोधी दल ने....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप संसदीय मन्त्री की बात सुन लीजिए। वह भी एक व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं।

श्री बनारसीदास—

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है....

(व्यवधान)

(श्री रघुनाथसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुनाथ सिंह जी, जब एक आदमी खड़ा हो तो आप नहीं खड़े हो सकते हैं। आपकी जितनी बातें हैं सब अनियमित हैं। माननीय संसदीय मन्त्री बोलें।

(श्री बनारसीदास के खड़े होने पर)

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप नहीं बैठना चाहते हैं तो कृपा करके सदन छोड़ें।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।....

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न आप बाद को उठाइएगा। अभी सहकारिता मन्त्री खड़े हैं, वे बोल लें तो फिर आप बोल लेंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

व्यवस्था का प्रश्न पहले आना चाहिए। उसको पहले आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था का प्रश्न मैं बाद को सुनूंगा। माननीय संसदीय मन्त्री खड़े हैं, अभी आप ।

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी, जरा आप उनको समझाइए।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

लेकिन आप ही बिगाड़ते हैं सारा काम। आप अनुज्ञा मांगने की तारीख नियत कर दीजिए सारा मामला खतम हो जाता है। माननीय बनारसीदास जी तो चाहते हैं कि इस सदन का काम बन्द हो जाय ताकि आपके खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश है वह सदन के सामने न आवे।

श्री अध्यक्ष—

यह बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यही बात है। फिर आप तारीख क्यों नहीं तय कर देते?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

जब आप अपने नेता की बात नहीं मान सकते हैं, तो फिर मैं और क्या कहूं?

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए। जितनी बातें आप कह रहे हैं, सब को मैं बाद में सुनूंगा।

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपके प्रति माननीय रामसुन्दर पांडेय द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, क्या आपने उसको संकल्प समझ लिया है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। दूसरी बात यह कि जो संकल्प की परिभाषा इसमें दी है, उसमें क्या आप कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं?

श्री बनारसीदास—

माननीय रामसुन्दर पांडेय ने....

(व्यवधान)

श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है आप माननीय रघुनाथसिंह जी को दो-चार घंटे तक बोलने की इजाजत दे दें ताकि वे जो कुछ कहना हो कह लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुनाथ सिंह जी, मैं अपनी व्यवस्था दूंगा, आप कृपा करके बैठ तो जायं।

(व्यवधान)

आप शान्त तो हो जायं। आप बैठिए।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा ३० सितम्बर तक असेम्बली चलने का प्रोग्राम हम लोगों को दिया गया है। माननीय संसदीय मन्त्री तो केवल कार्यक्रम बतला सकते हैं। लेकिन आपके प्रति जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसके लिए तारीख तो आपको ही तय करना है, उसमें संसदीय मन्त्री क्या तय कर सकते हैं? कौन-कौन तारीख को क्या प्रोग्राम होगा, यह माननीय संसदीय मन्त्री बतलाते हैं। वे यह नहीं बतला सकते कि असेम्बली कब बन्द होगी या कब तक चलेगी। कार्यक्रम में छपा है कि असेम्बली ३० सितम्बर तक चलेगी और आपने ही इस असेम्बली को बुलाया है, तो आपके द्वारा ही यह बताया जाना चाहिए कि किस तारीख को १४ दिन के बाद आप अपने प्रति अविश्वास के प्रस्ताव रखने की तारीख तय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको यह बता दिया जायगा।

श्री बनारसीदास—

माननीय राम सुन्दर पांडेय ने....

श्री रघुनाथसिंह—

मेरी व्यवस्था पर आप अपना निर्णय दें ....

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, यह बड़ा अनुचित है कि वह सदन की तमाम कार्यवाही को भंग कर रहे हैं। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप यहां व्यवस्था कायम करें।

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी व्यवस्था पर अपना निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दूंगा, आप बैठ जायं।

श्री रघुनाथसिंह—

आप पहले अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। व्यवस्था यह है कि जो प्रश्न माननीय रघुनाथ सिंह ने उठाया है वह अभी जो मैंने व्यवस्था दी है उसके अन्तर्गत आ जाता है। जो मैं समझता हूं वह मैंने पढ़कर सुना दिया है, संकल्प के विषय में आप कहते हैं। उसके विषय में भी व्यवस्था में आ गया है, अब उस की फिर से व्याख्या की जरूरत नहीं है।

(श्री रघुनाथ सिंह ने सदन का पुनः त्याग किया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप जरा श्रीमन्, मेरी बात सुन लें, अगर बनारसी दास जी तारीख तय होने का समर्थन करें तो हम सुन लें।

श्री बनारसीदास—

अभी पांडेय जी ने इस सप्ताह का कार्यक्रम सदन को बताया और आज हमने ७ तारीख को मन्त्रि परिषद् के विरुद्ध जो प्रस्ताव आया है उसके लिए भी घोषणा की है लेकिन जहां तक मन्त्रिपरिषद् का सवाल है अनुज्ञा जब आप दे देंगे दस दिन के अन्दर या १४ दिन का जो नियम है उसके अनुसार होगा, इस में घबराने की कोई बात नहीं है, बाध्य करने का सवाल नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

आप घोषणा करा दें कि ३० सितम्बर तक असेम्बली जरूर चलेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय बनारसीदास ने हमारे प्रस्ताव के समय के बारे में कुछ नहीं कहा, उस समय तक वह असेम्बली चलायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस समय तारीख निश्चित नहीं कर रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप कब निश्चित करेंगे? आज करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आज नहीं तो कल कर दूंगा।

श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आप को धन्यवाद दूंगा कि सदन में जो व्यवस्था बड़ी देर से हो रही थी उस के बाद कम से कम आपने एक तो व्यवस्था देने का अपना वादा कर दिया, देर आयद दुरूस्त आयद....

श्री उग्रसेन—

ऐसा तो नहीं है कि आप कल ही प्रस्ताव ले लेंगे।

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (क्रमागत)*

### खण्ड १२ (जारी)

†श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने प्रस्ताव रखा था कि "खण्ड १२ के उपखण्ड (२) के भाग (३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धित करने से इन्कार करने के पूर्व सम्बन्धित समिति तथा व्यक्तियों को निबन्धक नोटिस देगा और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित आदेश देगा।"

(इस समय १ बजकर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट, पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका खास कारण जो है उसे मैं बता देना चाहता हूं। आज ११ बजे से अभी तक जो अव्यवस्था रही है उससे स्पष्ट है कि यह सरकार डंडे के बल पर सारा कार्य चलाना चाहती है और अपोजीशन की बात या जो सही बात है हम लोग सदन में उपस्थित करते हैं यह सरकार उसको भी सुनना नहीं चाहती है। जितने भी यहां पर विधेयक बन रहे हैं वे सब रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक हैं। इसका कारण यह है कि धारा १२ में जिस पर यह सदन विचार कर रहा है उसके खण्ड २ की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खण्ड १२ के उपखण्ड १ में यह दिया हुआ है कि:

"(१) सहकारी समिति इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियत रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय।"

कल मैंने एक प्रस्ताव रखा था इसी माननीय सदन में। जब उपविधि में अगर कोई संशोधन हो तो उसका एक सर्टीफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार है, वह इश्यू करेगा। बाई-लाज का जो संशोधन होगा उसके मुताबिक यह धारा है। इसमें यह दिया हुआ है कि बाई-लाज का कोई संशोधन या कोई प्रस्ताव या रेजोल्यूशन अगर रजिस्ट्रार के सामने आयेगा तो वह यह देखेगा कि धारा ४ में जो निर्दिष्ट बातें हैं उनके प्रतिकूल तो नहीं है और दूसरी बात अधिनियम और नियम के अनुकूल और उपबन्धों के प्रतिकूल तो नहीं है। अगर इन दो बातों का समर्थन करेगा तो उस वक्त रजिस्ट्रार इसका अनुबन्ध करेंगे। तो जहां तक निबन्धन करने का सवाल ओरिजिनल सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन का सवाल है उसमें साफ दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के बाद वह सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन इश्यू करेगा। लेकिन इस धारा के अन्दर हमने देखा

---

*३० अगस्त, १९६५ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कमलासिंह यादव श्री]

कि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि बाई-लाज के संशोधन की स्वीकृति की सूचना दी जा सके। ऐसी हालत में जो सोसाइटी होगी या जो व्यक्ति होंगे वे अपनी एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित करेंगे तो यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी वहां मौजूद हो। जब वह मौजूद नहीं होंगे तो रजिस्ट्रार अपनी इच्छा से इस बात को देखेंगा कि जो-जो शर्तें इस बात के लिये लगाई गयी हैं उसकी पूर्ति वह करता है या नहीं और अगर पूर्ति हो गयी है तो वह उस पर अपनी मंजूरी दे देगा और उसका निबन्धन कर देगा, लेकिन उस आर्डर को कम्युनिकेट करनेके लिये जब कोई व्यवस्था नहीं है तो सहकारी समिति के लिये यह जानना मुश्किल हो जायगा जो कि अमेंडमेंट उसने रजिस्ट्रेशन के लिये भेज रखा है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ अथवा नहीं हुआ। अगर रजिस्ट्रार इंकार करता है तब तो कारणों सहित उसकी एक प्रतिलिपि वह भेज देगा लेकिन स्वीकृति की सूचना भेजने की व्यवस्था इस धारा के अन्तर्गत कोई नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, धारा ८ की उपधारा (२) में लिखा है "कोई व्यक्ति या समिति किसी सहकारी समिति के नाम से या अपने को सहकारी समिति व्यक्त करते हुए तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेंगे जब तक कि उस समिति के लिये उपधारा (१) के अधीन निबन्धन प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति या समिति का सदस्य, जो इस उपधारा का उल्लंघन करके कारोबार करे, उक्त कारोबार में उपगत समस्त दायित्वों का व्यक्तिगत रूप से भागी होगा।"

तो जब कोई भी सहकारी समिति अपने बाई-लाज को संशोधन करती है तो जैसा मैंने बतलाया उसके लिये कोई प्रतिलिपि देने की व्यवस्था नहीं है ऐसी हालत में धारा ८ की उपधारा २ के अन्तर्गत वह अभ्यर्थी कोई भी कारोबार नहीं कर सकता क्योंकि इसके अन्दर यह जरूरी है कि उसके पास निबन्धन प्रमाण-पत्र अवश्य हो। अब अगर कोई सहकारी समिति बिना निबन्धन के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि के कोई कारोबार करना चाहती है तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका प्रासीक्यूशन ८ (२) में होगा या नहीं क्योंकि उसके पास कोई जानकारी नहीं है। आपके अधिकारी वहां जायेंगे तो उनको दिखाने के लिये उसके पास काई प्रमाण पत्र नहीं होगा। वह क्या दिखायेगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ी भारी एनोमली है। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र के विधेयक की धारा १३ (२) की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह दिया हुआ है कि :

"When the Registrar registers an amendment of the Bye-laws of a Society, he shall issue to the society a copy of the amendment certified by him, which shall be conclusive evidence that the same is duly registered."

उसमें साफ दिया है कि जिस समय बाईलाज का अमेन्डमेन्ट होगा और उसकी स्वीकृति रजिस्ट्रार देगा तो एक सर्टीफाइड कापी देगा और हमारे यहां दिया हुआ है कि बिना प्रमाण-पत्र कोई आदमी कोई कारोबार नहीं कर सकता है।

(व्यवधान)

मैं प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी बात सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी क्या दिक्कतें होंगी।

श्री अधिष्ठाता—

उनका ध्यान निरंतर आपकी ओर आकर्षित है।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, ८ (२) में यह दिया हुआ है कि बिना प्रमाण-पत्र के कोई कारोबार नहीं कर सकता है। अगर कोई आदमी कोई रोजगार चलाना चाहता है और रजिस्ट्रार के पास दरख्वास्त देता है। अगर रजिस्ट्रार उसको रिजेक्ट करेगा तब तो एक कापी उसको देगा और स्वीकार करेगा तो प्रतिलिपि देने का कोई प्राविधान नहीं है। बिना रजिस्टर हुए कोई बाईलाज अमेंडमेन्ट नहीं माना जायगा और बिना सर्टीफिकेट के रोजगार नहीं कर सकता है। उसकी कोई व्यवस्था हमारे विधेयक में नहीं है। ऐसी दशा में सहकारी समितियों को जो आगे बढ़ाने का उद्देश्य है उसको हम समाप्त कर रहे हैं।

दूसरे श्रीमन्, जब बाईलाज अमेन्ड होंगे तो गजट में प्रकाशित करने का कोई प्राविधान नहीं है कि आप गजट में प्रकाशित कर दें कि बाईलाज का कौन-सा भाग प्रभावी होगा। तब तक श्रीमन्, हम जान नहीं सकते। अगर गजट में कोई व्यवस्था हो जाय तो गजट में प्रकाशन इस बात का प्रमाण होगा कि कौन से बाइलाज की धारा कब से प्रभावित होगी। खण्ड १३ में दिया हुआ है--"यदि यह अभिव्यक्त हो कि सहकारी समिति की उप-विधियों का कोई संशोधन निबन्धन के पश्चात् किसी विशेष दिनांक से प्रवर्ती होगा तो वह उसी दिनांक से प्रचलित होगा, किन्तु अन्य सब दशाओं में उस दिनांक से प्रचलित होगा जब वह निबंधित हुआ हो।" आगे की जो धारा है इन्फोर्समेन्ट के बारे में उसमें भी गजट की व्यवस्था नहीं है। इसलिये बाइलाज में संशोधन करवाने वाले को किसी प्रकार जानकारी नहीं हो सकती कि रजिस्ट्रार ने निबन्धन का आदेश दिया है या नहीं। इसलिये या तो उसको सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन मिल जाय या धारा १३ के अन्तर्गत कोई व्यवस्था कर दे कि गजट में प्रकाशन हो जाय ताकि उस आदमी को मालूम हो जाय। मेरा संशोधन मान लेने से अगर रजिस्ट्रार निबन्धन से रिजेक्ट करना चाहे तो उसकी सुनवाई करेगा और अमेन्डमेन्ट करना चाहे तो कराने का मौका देगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन आवश्यक है।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह ने इतना समय ले लिया लेकिन इसमें बात केवल इतनी है कि विधेयक में कहीं भी यह नहीं कहा है कि जिसने संशोधन दिया है वह निबन्धक के समक्ष अपना दृष्टिकोण रख सकेगा। केवल इतनी बात है। आपने सुनवाई के लिये अवसर नहीं दिया है। माननीय कमला सिंह की राय है कि उसको राइट आफ हियरिंग तो दें। उसने संशोधन पेश किया और आपने रिजेक्ट कर दिया उसको सुना तक नहीं। उसको मौका देने के लिये कमला सिंह जी ने संशोधन रखा है। अगर संशोधन के रूप में न रखें तो कहीं और रख दें कि जिसने संशोधन रखा है उसको सुनने का मौका दे दें।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पान्डेय)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह ने वास्तव में बहुत समय ले लिया। इतनी धाराएं हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कुछ समय बना दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

इसका समय नियमों में बना हुआ है। जितना समय निश्चित है, उसी के अन्दर समाप्त होगा।

श्री बंशीधर पान्डेय---

यह जितनी बहस कमला सिंह जी ने कही, वह तथ्य से परे है। यह जो है वह सोसाइटी से संबंधित है, नियमों और उप-नियमों से संबंधित नहीं है। जैसा तिवारी जी ने कहा है हम इसे ऐक्ट में न मानकर, नियमों के अन्तर्गत इसकी भावना को लाने की कोशशिश करेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, कारोबार के बारे में जो महाराष्ट्र का विधेयक है, उसमें साफ दिया हुआ है :

"When the Registrar registers an amendment of the bye-laws, of a society, he shall issue to the society a copy of the amendment certified by him, which shall be conelusive evidence that the same is duly registered."

तो, श्रीमन्, जब एक विधेयक है महाराष्ट्र का जो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, उन्होंने अपरचुनिटी दिया है सुनवाई की। उस पर भी यदि माननीय मंत्री जी को मानने में कोई आपत्ति है तो समझ में नहीं आता है।

श्री बंशीधर पान्डेय—

आठवां में पढ़ लूंगा, उसमें कहीं उपविधियों का एक वर्ड भी आ गया है तो मैं करूंगा, विचार करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

इस आश्वासन के बाद जो सहकारिता मंत्री ने सदन के सम्मुख दिया, क्या कमलासिंह जी आप इस संशोधन को लेने को तैयार हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

जब मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि वह संशोधन की भावना को नियमों के अन्तर्गत ले आएंगे तो मुझे इसे वापस लेने में कोई एतराज नहीं है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

उपविधियों के संशोधन कब प्रचलित होंगे

यदि यह अभिव्यक्त हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का कोई संशोधन निबन्धन के पश्चात् किसी विशेष दिनांक से प्रवर्ती होगा तो वह उसी दिनांक से प्रचलित होगा, किन्तु अन्य सब दशाओं में उस दिनांक से प्रचलित होगा जब वह निबंधित हुआ हो।

श्री कमला सिंह यादव—

खंड १३ में यह दिया हुआ है। यदि यह अभिव्यक्त हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का कोई संशोधन निबन्धन के पश्चात् किसी विशेष दिनांक से प्रवर्ती होगा—

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—

नहीं, सुन लें—तो वह उसी दिनांक से प्रचलित होगा, किन्तु अन्य सब दशाओं में उस दिनांक से प्रचलित होगा जब वह निबंधित हुआ हो। तो मैं केवल यह चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जब तक गजट वगैरह में या प्रकाशन वगैरह न करेंगे बाई-लाज आदि का तब तक कैसे इसके इन्फोर्समेन्ट की जानकारी होगी ? तो जैसा मैं पहले कह चुका हूं, आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि यह गजट में प्रकाशित हो जाये और लोगों को जानकारी हो जाए और लोग गजट को अपने प्रमाण के रूप में पेश कर सकें।

श्री बनारसीदास—

मैं एक अपील करना चाहता हूं। इस विधेयक पर कल विवाद समाप्त होना है और यह एक लम्बा हिसाब है, इसमें १३५ संशोधन है। किन्तु यदि इस रफ्तार से यहां पर साधारण संशोधन पर इतना समय लिया गया तो मैं समझता हूं कि आगे के जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं उस पर समयाभाव के कारण विचार करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिये मैं, श्रीमन् और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह छोटे मोटे इस प्रकार के विवादों को व्यवस्थित करें, जिससे कि जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं, उन पर अच्छी तरह विचार हो सके और हमें महत्वपूर्ण विचार मालूम हो सकें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया वह बहुत ही उचित है। खंडों की संख्या को देखते हुए और सीमित समय को देखते हुए, मैं आशा करता हूं कि इस बात को उचित मानकर जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करें, समय का पूरा ध्यान रखें, नहीं तो शेष महत्वपूर्ण संशोधन रह जाएंगे। मैं कोई नियम नहीं बना रहा हूं। न कोई पाबन्दी ही लगाना चाहता हूं, केवल आपसे निवेदन है। आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

कल भी कई ऐसे एमेण्डमेन्ट थे, जो मैं उचित समझता था किन्तु समय को देखते हुए, उसे....

श्री अधिष्ठाता—

आपसे यही आशा की जाती है, आपका आचरण तो स्वयं ही इसका प्रमाण है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

उपविधियों में संशोधन करने का निदेश देने का अधिकार

१४—(१) यदि सहकारी समिति के किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर या अन्यथा निबन्धक की यह राय हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन उक्त समिति के हित में, अथवा सार्वजनिक हित में, आवश्यक या वांछनीय है तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जायें, रजिस्ट्री डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके, समिति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे, जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करे।

(२) यदि समिति निर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन न करे तो निबन्धक समिति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संशोधन को निबंधित कर सकता है तथा समिति को रजिस्ट्री डाक द्वारा संशोधन की एक प्रति जो उसके द्वारा एक प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गयी हो, भेज सकता है तथा उक्त प्रति इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि संशोधन यथाविधि किया गया है और निबंधित कर दिया गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इसमें कुछ शाब्दिक संशोधन करके मैं इस संशोधन को रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आप अपना संशोधन पढ़ दीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड १४ के उपखन्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"१४—(१) जब निबन्धक स्वयं अथवा किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर इस राय का हो कि सहकारी समिति के हित में अथवा सार्वजनिक हित में समिति के उप-विधियों का संशोधन आवश्यक या वांछनीय है, तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जायं रजिस्ट्री डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके समिति से अपने विशेष प्रस्ताव द्वारा दो-तिहाई बहुमत से अपेक्षा करेगा कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करें ।"

श्रीमन्, हर जगह का कायदा है कि बाईलाज में संशोधन के लिये जरूरी होता है कि वह २ बटा ३ के बहुमत से होना चाहिये और इस विधेयक में भी जगह-जगह यही मंशा है कि २ बटा ३ के बहुमत से ऐसे संशोधन हुए हैं। मैं इसलिये चाहता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय और कोई रिजोल्यूशन पास करना चाहे तो २ तिहाई के बहुमत से हो ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, माननीय कमलासिंह जी ने संशोधन किया है वह केवल शाब्दिक है। लेकिन अगर २ तिहाई बहुमत की बात इसमें रख दी जाय तो बहुत सी सोसाइटियों के काम करने में मुश्किल आयेगी। इसमें यह व्यवस्था है कि रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से हर सूरत में होगी और यह भी लिखा है कि अगर २ तिहाई के बहुमत से न भी हो तो अगर रजिस्ट्रार समझता है कि होना चाहिये और संशोधन करना हित में है तो वह कर सकता है। इसलिये २ तिहाई बहुमत रखने से जटिलता हो जायेगी और कठिनाइयां हो जायेंगी। इसमें व्यवस्था इसकी रखना उचित नहीं लगता है ।

श्री अधिष्ठाता—

इस स्पष्टीकरण के बाद क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ? (एक क्षण के अनन्तर) प्रश्न यह है कि "जब निबन्धक स्वयं अथवा किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर इस राय का हो कि सहकारी समिति के हित में अथवा सार्वजनिक हित में समिति के उपविधियों का संशोधन आवश्यक या वांछनीय है तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जायं रजिस्ट्री डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके समिति से अपेक्षा करेगा कि वह उक्त संशोधन को अपने विशेष प्रस्ताव के द्वारा २ बटा ३ के बहुमत से ऐसे समय के भीतर करे जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड १४ के उपखन्ड (२) की तृतीय पंक्ति में शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय ।

खन्ड १४ के उपखन्ड (२) की पंक्ति में शब्द "भेज सकता है" के स्थान पर शब्द "भेजेगा" रख दिया जाय ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप इसका इन्फोर्समेन्ट करने जा रहे हैं जबरदस्ती रजिस्ट्रार के द्वारा तो उसको आप्शन करना, भेज सकता है या कर सकता है, यह ठीक नहीं मालूम होता है। इसमें मेंडेटरी प्राविजन होना चाहिये। इसलिये मैंने इसको रखा है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

कल भी मैंने निवेदन किया था। 'मे' के स्थान पर 'शैल' करने पर रजिस्ट्रार फंस जायगा। कोई कभी गलत सूचना भी दे सकता है क्योंकि उसके लिये ऐसा करना जरूरी हो जायगा। ऐसी दशा में मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर मंत्री जी ऐसा समझते हैं कि यह उचित है तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड १५

सहकारी समिति का समामेलन और विलयन

१५—(१) निबन्धक [के अनुमोदन से] को यथा विधि सूचित करने के पश्चात् कोई दो या अधिक सहकारी समितियां इस प्रयोजन के लिये बुलायी गयी अपनी-अपनी साधारण सामान्य बैठक में, जिसके लिये उनके सदस्यों को कम से कम पूरे [सात] पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जायगा उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से एक समिति में समामेलित (amalgamate) होने का या उनमें से किसी एक में विलीन होने का संकल्प कर सकती है। ऐसे संकल्प (जिसे आगे प्रारंभिक संकल्प कहा गया है) में यथास्थिति समामेलन या विलयन के समस्त ब्यौरे होंगे जिनके अन्तर्गत समामेलन की दशा में नयी समिति को और विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति को उसकी परिसम्पतियों तथा दायित्वों का संक्रमण और ऐसी समिति की उपविधियां भी हैं।

(२) प्रारम्भिक संकल्प की एक-एक प्रति उस समिति के समस्त सदस्यों तथा ऋणदाताओं को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायगी।

(३) (१) ऐसी किसी समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल कोई उपविधि होने पर भी, प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति उसे प्राप्त होने से तीन मास की अवधि के भीतर नोटिस द्वारा उस समिति को जिसका वह सदस्य हो, [नयी समिति का सदस्य न बनने] समामेलन की दशा में नयी समिति का सदस्य न बनने अथवा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति का सदस्य न होने या न रहने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(२) ऐसी किसी समिति का कोई ऋणदाता, इसके प्रतिकूल कोई अनुबन्ध होते हुए भी, उस समिति को, जिसका वह ऋणदाता हो, उक्त अवधि के भीतर नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि वापस मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(४) समस्त समितियों के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने के तीन मास व्यतीत होने के पश्चात् उन समितियों के सदस्यों की संयुक्त बैठक, जिसके लिये उन्हें कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जायगा, प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिये बुलायी जायगी। यदि उस बैठक में प्रारंभिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ

जो निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगी) महत्वपूर्ण न हों, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय तो वह—

(१) समामेलन की दशा में उपधारा (५) तथा (६) और धारा ७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नयी समिति और उसकी उपविधियों को निबंधित करेगा, तथा

(२) विलयन की दशा में उपधारा (५) तथा (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस पर अपनी स्वीकृति देगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पद "सदस्यों" के अन्तर्गत सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधि (delegates) भी होंगे जो तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार इस प्रयोजन के लिये चुने गये हों।

(५) उपधारा (४) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय अन्य संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जायगी :

(१) धारा ४१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन समस्त सदस्यों की अंश पूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (३) के खन्ड (१) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(२) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (३) के खन्ड (२) के अधीन नोटिस दिया हो।

(६) यदि ऐसे समय के भीतर, जिसे निबन्धक उचित समझे, उपधारा (५) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंश पूंजी का प्रतिदान अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो निबन्धक नयी समिति को यथास्थिति, निबंधित करने से या विलीन करने की स्वीकृति देने से इंकार कर सकता है।

(७) उपधारा (४) के अधीन नयी समिति के निबंधन अथवा विलयन की स्वीकृति यथास्थिति, समामेलित समितियों अथवा विलीन समिति या समितियों की समस्त परिसंपत्तियों अथवा दायित्वों के समामेलन की दशा में नयी समिति में तथा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति में निहित होने के लिये पर्याप्त हस्तान्तरण होगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कोई बात हो और यथास्थिति नयी समिति के इस प्रकार निबंधित किये जाने या विलीन करने की स्वीकृति दिये जाने पर, समामेलित समितियों या उस समिति अथवा उन समितियों का, जिसे या जिन्हें अन्य समिति में विलीन कर दिया गया हो, निबन्धन रद्द कर दिया गया समझा जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, म प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड १५ के उपखन्ड (१) की चौथी पंक्ति में "जायगा" शब्द क स्थान पर "गया हो" रख दिया जाय।

यह भी शाब्दिक संशोधन है। इसमें है "१५ दिन का नोटिस दिया जायगा" के स्थान पर १५ दिन का नोटिस दिया गया हो, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से एक समिति में समामेलित होने का या उनमें से किसी एक में विलीन होने का संकल्प कर सकती है। यह हो जायगा। तो मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यदि अंग्रेजी में देखा जाय तो है "नोटिस शैल बि गिवेन" इसका अर्थ वही है।

श्री अधिष्ठाता—

अंग्रेजी की बात अनुवाद में भी आ जाय तो क्या हर्ज है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

हमारे मद्रास के ऐक्ट में भी इसी तरह से है और जो शब्द हैं वे उचित हैं इसलिये इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

चूंकि दो तिहाई बहुमत से एक समिति में समामेलित होने या विलीन होने की बात है इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन वजन रखता है और मंत्री जी को इसे मान लेना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड १५ के उपखन्ड (१) की चौथी पंक्ति में "जायगा" शब्द के स्थान पर "गया हो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड १५ के उपखन्ड (१) में से "दो तिहाई" के स्थान पर "तीन चौथाई" कर दिया जाय।

इस संशोधन का अभिप्राय केवल इतना है कि विधेयक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से वह प्रस्ताव पास होने का विधान है जिसके द्वारा समिति समामेलित अथवा विलीन की जा सकती है। यदि यह दो तिहाई बहुमत समिति के कुल सदस्यों का हो तो कोई हर्ज नहीं होता, किन्तु उपस्थित सदस्यों की चूंकि बात है इसलिये अच्छा हो कि यह बहुमत तीन चौथाई रख दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बनारसीदास—

यदि यह तीन चौथाई कर दिया जाय तो कार्य में बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। जैसा मैंने आम बहस में कहा था, बहुत सी सोसाइटियां बहुत बड़ी हैं, बहुत सी काफी छोटी हैं। उनको मजबूत बनाना है। यह काम ज्यादा से ज्यादा दो, तीन साल का है। उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। पार्लियामेन्ट के अन्दर भी किसी महत्वपूर्ण संशोधन के लिये उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यह व्यावहारिक दृष्टि से रखा गया है और आशा है कि सदस्य महोदय अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड १६

**सहकारी समितियों का विभाजन**

१६—(१) कोई सहकारी समिति, निबन्धक [के पूर्व अनमोदन से] को यथाविधि सूचित करने के पश्चात् किसी ऐसी सामान्य बैठक में जो इस प्रयोजन के लिये बुलायी गयी हो और जिसके लिये कम से कम पूरे [सात] पन्द्रह दिन का नोटिस उसके सदस्यों को दिया जायगा, अपने को दो या अधिक समितियों में विभाजित करने का संकल्प कर सकती है। इस संकल्प में (जिसे आगे इस धारा में "प्रारम्भिक संकल्प" कहा गया है) समिति को परिसम्पत्तियों और दायित्वों के उन नयी समितियों में विभाजित करने के प्रस्ताव समाविष्ट होंगे जिनमें उसे विभाजित करने का प्रस्ताव हो, और उसमें प्रत्येक नयी समिति का कार्यक्षेत्र नियत किया जा सकता है और उसे संघटित करने वाले सदस्यों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(२) प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के समस्त सदस्यों और ऋण-दाताओं को भेजी जायगी।

(३) (१) समिति का कोई सदस्य, इसके प्रतिकूल किसी उपविधि के होते हुए भी, प्रारम्भिक संकल्प उसे प्राप्त होने से तीन मास की अवधि के भीतर समिति को नोटिस द्वारा किसी भी नयी समिति का सदस्य न बनने के लिए अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(२) समिति का कोई ऋणदाता, इसके प्रतिकूल किसी अनुबंध के होते हुए भी, उक्त अवधि के भीतर समिति को नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि वापस मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(४) समिति के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने से तीन मास व्यतीत होने के पश्चात् प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए एक सामान्य बैठक बुलायी जायगी, जिसके लिए उसके सदस्यों को कम से कम पूरे पंद्रह दिन का नोटिस दिया जायगा। यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जो निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगी), महत्वपूर्ण न हों, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय, तो वह उपधारा (५) तथा (६) और धारा ७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नयी समितियों और उनकी उपविधियों को निबंधित करेगा। इस निबन्धन के पश्चात् पुरानी समिति का निबन्धन रद्द किया गया समझा जायगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय दूसरे संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायगी :—

(१) धारा ४१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन समस्त सदस्यों की अंश-पूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (३) के खंड (१) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(२) सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (३) के खंड (२) के अधीन नोटिस दिया हो,

(६) यदि, ऐसे समय के भीतर जो निबन्धक उचित समझे उपधारा (५) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंश-पूंजी का प्रतिदान अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है तो निबन्धक नयी समितियों को निबंधित करने से इंकार कर सकता है।

(७) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, नयी समितियों का निबन्धन मूल समिति की समस्त परिसम्पतियों और दायित्वों का नयी समितियों में, उपधारा (४) के अधीन पुष्टीकृत प्रारम्भिक कल्प में निर्दिष्ट रीति से निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा।

*श्री कमलासिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "सदस्यों को दिया जायेगा" और "अपने को" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें---

"उपस्थित सदस्यों से कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से"। यह श्रीमन्, बहुत आवश्यक है। श्रीमन्, जहां तक समामेलन या एमलगमेशन का प्रश्न है उसमें यह व्यवस्था है कि कम से कम २/३ के बहुमत से समामेलन होगा। इसी तरह से जहां तक उसके विभाजन का प्रश्न है उसमें यह है कि वह २/३ के बहुमत से होगा। चूंकि इस खंड में इसका कोई प्राविजन नहीं है, उसकी व्यवस्था होना जरूरी है। यह संशोधन जरूरी है कि कम से कम २/३ से हो उसका विभाजन हो। माननीय मंत्री जी की तरफ से जो भूल हो गयी है, उसी की दुरुस्ती करने के लिये यह संशोधन मैंने पेश किया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं समझता हूं कि यह संशोधन आवश्यक है कि "दिया जायेगा" के स्थान पर "दिया गया हो....

श्री अधिष्ठाता---

यह तो उन्होंने पेश नहीं किया, दूसरे पर बोलिये अगर बोलना हो तो।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अगर पेश नहीं किया गया तो गलती की। श्रीमन्, यह संशोधन समिति के विभाजन का है। कानाफूसी तो आप जानते हैं चलती ही है। एक आदमी के बहुमत से यदि सोसाइटी का बहुमत होने लगा तो फिर कोआपरेटिव मूवमेंट ही फेल हो जायेगा। इसलिये यह बहुत ठीक है कि २/३ हम मान लें। अगर सिर्फ बहुमत ही रख दिया जायेगा तो सोसाइटी का चलना मुश्किल हो जायेगा। इससे बड़ी बाधा पड़ेगी और उससे काम भी बढ़ जायेगा। इतने दुश्मन बढ़ जाते हैं जिनका कोई अन्त नहीं। अगर मंत्री जी जरा इसे देख लें तो कोई ऐसी बात नहीं है। यह कोई मान अपमान का सवाल नहीं है।

*श्री बनारसीदास---

१६(१) के अन्दर जो व्यवस्था की गई है, जो आपका ध्येय है वह इसकी धारा (४) से दूर हो जायेगा, जिस समय प्रारम्भिक कार्यवाही होगी उसमें लिखा है कि--समिति के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने के तीन मास व्यतीत होने के पश्चात्, प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिये एक सामान्य बैठक बुलायी जायेगी जिसके लिये उसके सदस्यों को कम से कम पूरे दिन का नोटिस दिया जायेगा। "यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जो निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगी) महत्वपूर्ण न हो, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय, तो वह उपधारा (५) तथा (६) और धारा ७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नयी समितियों और उन को उपविधियों को निबन्धित करेगा।" यह इसमें दिया गया है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मद्रास का विधेयक था या जो महाराष्ट्र का विधेयक था उसकी धारा १७ में दिया हुआ है

17.(1) The *S*ociety may, with the previous aproval of the Registrar, by resolution passed by two-third majority of the members present and voting at a special general meeting held for the purpose decide:

(*a*) Amalgamate with another society;

(*b*) To transfer its assets and liabilities in whole or in part to any other society ;

(*c*) To divide itself into two or more societies or

(*d*) To divide itself into another class of society.

तो श्रीमन्, जहां तक मद्रास और महाराष्ट्र का विधेयक है उसमें भी ऐसा प्राविधान है कि जहां अमलगमेशन का सवाल होगा या डिवीजन का सवाल होगा वहां दो तिहाई से कम का कोई प्राविधान नहीं होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर धारा ४ में गिर जाय तो इतनी स्टेज के आगे आप को धारा ३ लाने की क्या जरूरत है। अगर वाकई कोई सोसाइटी चाहती है अपना डिवीजन तो पहली स्टेज में भी दो तिहाई आदमी होंगे। वे अपनी वोटिंग से वहां वैसी व्यवस्था कर लें। उसमें आप को एतराज क्या है। मैंने सहूलियत के लिये लिख दिया है, "उपस्थित सदस्यों से कम से कम दो तिहाई के बहुमत से"। श्रीमन्, यही चीज सदन में भी है। अगर कोरम ४६ है तो आधा उसका २३ होगा। २४ आदमी जो पास कर देंगे तो वह सदन की चीज मान ली जायेगी। तो मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इतना भी पास नहीं करेंगे तो उसे वेस्ट-पेपर -बास्केट की ही चीज कहा जायेगा।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वेस्ट पेपर बास्केट की क्या बात है, वह तो मैं नहीं कह सकता। अगर हर जगह दो तिहाई कर देंगे, एक सामान्य सूचना होगी १५ दिन के लिये यह। इस समिति के विभाजन को इससे हटा लेते हैं तो उसकी तीन महीने की अवधि होने पर एक मीटिंग बुलाई जायेगी, विधिवत् उसमें दो तिहाई सदस्य हों। जब तक दो तिहाई नहीं होंगे तब तक वह हो ही नहीं सकती। ४ में लिखा है कि—कम से कम दो तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय तो वह उपधारा (५) (६) और धारा (७) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नयी समितियों और उनकी उपविधियों को निबंधित करेगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड (१६) के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द 'सदस्यों को दिया जायगा" और "अपने को" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिया जाय—

"उपस्थित सदस्यों से कम से कम दो तिहाई का बहुमत से"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमला सिंह जी, २१-ग जो आप का है उसके सम्बन्ध में आपकी सूचना के लिए मैं आप को बता दूं कि हमारे नियमों में इतना तो निहित है ही कि "को" "का" इत्यादि जो प्रीपोजीशन हैं वह बिला संशोधन के भी ठीक कर सकते हैं। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, ठीक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड १७

सहकारी समिति के कौन व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं

१७—(१) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्—

(क) धारा १८ की उपधारा (४), धारा ८० तथा धारा ८१ की उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित्त का हो और अपने पर प्रवृत्तविधि के अनुसार संविदा करने के लिए अनर्हित न हो,

(ख) कोई अन्य सहकारी समिति,

(ग) राज्य सरकार,

(घ) केन्द्रीय सरकार,

ऐक्ट संख्या ५८, १९६१

(ङ) वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला राज्य गोदाम निगम (वेयर हाउसिंग कारपोरेशन),

(च) कोई निगमित निकाय, जो किसी अन्य खंड के अन्तर्गत न आता हो तथा जिसे निबंधक ने सामान्य रूप से सहकारी समितियों की या किसी विशेष समिति अथवा समितियों के वर्ग की नाम-मात्र या साधारण सदस्यता के लिए इस आधार पर अनुमोदित किया हो कि वह ऐसी समितियों के अथवा ऐसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के विकास के लिये उपयोगी है।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी कोई संयुक्त स्कन्ध समवाय (Joint Stock Company) या व्यक्ति ऐसी सहकारी समिति या समितियों अथवा समितियों के वर्ग, में जो नियत किया जाय, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें थोड़ा चेंज है। प्रतिबन्ध की जगह स्पष्टीकरण करके इसको मैं पढ़ रहा हूं। खंड १७ के उपखंड (१) के भाग (ख) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय —

"सहकारी कृषि समितियों, के ही अवयस्क अथवा पागल की दशा में जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मंडल से भूमि धारण करता हो सदस्य अपने अभिभावक के माध्यम से हो सकता है अन्य दशाओं में नहीं।"

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, इस प्रकार के संशोधन की सूचना पहले से होनी चाहिए। इस समय भी अगर आप इसको लिखित भेज दें तो कुछ समाधान हो जायगा। आप आवश्यक समझते हैं इसको पेश करना?

श्री कमलासिंह यादव—

यह जरूरी है, श्रीमन।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसे लिख कर भेज दें।

श्री कमलासिंह यादव—

प्रस्तुत करने के बाद भेज दूंगा। लिखा तो था, कहीं मिसप्लेस हो गया है।

श्री अधिष्ठाता—

यह बिलकुल परिवर्तित रूप हो गया है और इस समय भी आप लिख कर नहीं दे सकते हैं। मुझे इसके तुरन्त बाद सदन में, प्रस्तुत करना होगा। यह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है और नियमों के अनुसार काफी समय पहले आना चाहिये था। मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १७ के उपखंड (१) के भाग (ख) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"और इसके अन्तर्गत सहकारी कृषि समितियां, सहकारी भूमि विकास बैंक तथा सहकारी क्रय-विक्रय समितियां भी हैं।"

श्रीमन्, धारा १७ में यह लिखा है कि निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, जिसमें कोई अन्य सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक इसके अन्तर्गत हीं आ सकता है क्योंकि वह एक अलग ऐक्ट से बनाया गया है। सहकारी भूमि विकास बैंक में जब हम अपनी चीज को मार्टगेज करना चाहेंगे तभी हम रुपया वगैरह ले सकेंगे। लेकिन इस विधेयक की धारा ८६ में कोई भी आदमी बगैर भूमि को बन्धक रखे हुए लोन ले सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि इसके अन्तर्गत ऐसी चीजें जो कि जरूरी हैं वे आ जावें। यह इस संशोधन से ही फाइनल नहीं हो जायगा बल्कि और भी समितियां हो सकती हैं और वे भी इसमें शामिल होंगी। सहकारी समिति से जहां तक कर्ज लेने की बात है, सहकारी समिति में भूमि विकास बैंक वगैरह नहीं आते हैं। पहले माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को एक जगह माना है। इसलिये सहकारी समिति में भूमि विकास बैंक भी आ जावे।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसमें ये शब्द पहले से ही हैं कि कोई अन्य सहकारी समिति, इसलिये इसमें सभी आ जावेंगी और इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"और इसके अन्तर्गत सहकारी कृषि समितियां, सहकारी भूमि विकास बैंक तथा सहकारी क्रय-विक्रय समितियां भी हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड १८

सदस्यों के वर्ग

१८—(१) सहकारी समिति में, साधारण सदस्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रकार के सदस्य हो सकते हैं :—

(क) सहानुभूतिकर सदस्य,
(ख) नाममात्र सदस्य,
(ग) सम्बद्ध सदस्य।

(२) (क) कोई व्यक्ति जो समिति के उद्देश्य की पूर्ति तथा सदस्य कार्यकर्ताओं के कल्याण में वास्तविक अभिरुचि रखता हो सहानुभूतिकर सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) समिति में सहानुभूति कर सदस्यों की संख्या, किसी भी समय, साधारण सदस्यों की कुल संख्या के ५ प्रतिशत से अधिक न होगी और प्रबन्ध कमेटी में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या न तो [तीन] दो से अधिक होगी और न सहकारी समिति के सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक होगी, और न प्रबंध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से ही अधिक होगी।

(३) (क) वह व्यक्ति जिसके साथ सहकारी समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो, नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) नाममात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न वह प्रबंध कमेटी की सदस्यता के लिए पात्र होगा।

(४) (क) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी है, जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थायी कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार का अन्य रूप रूप से हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध सदस्य प्रबंध कमेटी की सदस्यता के लिए पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा।

(५) इस धारा में या इस अधिनियम में अन्यत्र की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, नाममात्र अथवा सम्बद्ध या सहानुभूतिकर सदस्य को सदस्य के ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे और वह सदस्य के ऐसे दायित्वों का भागी होगा जो समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किये जायें।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (४) के भाग (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी है" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस विधेयक में, माननीय मंत्री जी कहेंगे, कि एसोशियेट मेम्बर्स का सिर्फ हमने प्राविधान किया है। (४) (क) में है कि कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी है, जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थायी कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है। कन्ट्राक्ट ऐक्ट में सोसाइटी मेम्बर वही हो सकते हैं जिन्हें इंडियन कंट्राक्ट ऐक्ट के अनुसार कोई कंट्राक्ट करने का अधिकार हो। यानी जब आदमी वयस्क न हो तब तक कोई भी कंट्राक्ट नहीं कर सकता है।

दूसरी बात यह है कि विधेयक में कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है कि एक ही फैमिली के कई आदमी मिलकर सोसाइटी न बना लें। एक खानदान के ४, ६ आदमी मिलकर सोसाइटी कायम कर सकते हैं और जितना लाभ हो सकेगा उससे वही खानदान फायदा उठा सकेगा। महाराष्ट्र के ऐक्ट में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी फैमिली का मेंबर कोई नाबालिग है तो उस मेंबर को लेकर वह सोसाइटी नहीं बना सकते। अगर डिफरेंट फैमिली होगी तो मेम्बर हो सकते हैं लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे यहां नहीं रखी गयी है। इसलिये यह खतरा हो सकता है कि एक ही फेमिली का सारा लाभ हो सकता है। इस विधेयक से हमारा मन्तव्य तो यह था कि कृषकों को लाभ पहुंच सके और जिसमें अधिक से अधिक खानदान शामिल हो सकें। इससे हमारा वह मन्तव्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। वह लोग जो कान्ट्रैक्ट ऐक्ट के अन्दर कान्ट्रैक्ट के अधिकारी हों ऐसे ही लोग उनके मेम्बर हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो सोसाइटी होगी वह लिमिटेड लाइबलिटी की भी होगी और अनलिमिटेड लाइबलिटी की भी होगी इसलिये कोई भी आदमी हो वह ऐसा हो जिसको इस बात का ज्ञान हो कि उसका हित किसमें है। ऐसे ज्ञान रखने वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को ही मेंबर होना चाहिए। किसी दूसरे आदमी के द्वारा उसको रिप्रेजेन्ट करने का सवाल पैदा नहीं होता। इसलिये मैंने यह लिखा है कि यह चीज निकाल दी जाय क्योंकि इसमें भी यह दिया हुआ है कि कारबार करने में वह हित रखता है।

जहां तक कृषि सहकारी समितियों का ताल्लुक है उसमें नाबालिग को अधिकार दिया जाना चाहिये। उसमें मान लीजिये एक खानदान में १० आदमी हैं जिसमें से ६ बालिग है और ४ नाबालिग हैं, उनको आप अलाहदा कर नहीं सकते क्योंकि सब शामिल हैं। दूसरा यह कि उसमें हर एक का इन्टरेस्ट एक सा है। वहां पर किसी को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंच सकता है। इसलिये जहां तक माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में धारा १७ में दिया है कि धारा ८०–८१ की उप धारा (२) में की गयी व्यवस्था के रहते हुये कृषि सहकारी समिति के लिये यह दिया हुआ है कि कृषि सहकारी समिति के मेंबर अवयस्क भी हो सकेंगे क्योंकि उसमें उनका सत्व है। मैं भी उनके लिये चाहता हूं कि उनके लिये ऐसा प्राविधान होना चाहिये। लेकिन उद्योग धंधों में यह बात नहीं होनी चाहिये।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, यह बात कल मैं माननीय कमलासिंह जी को बता चुका हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको अवयस्क से चिढ़ क्या है। फैक्ट्री के मजदूरों, स्कूलों की सोसाइटी के लड़कों के लिये महाराष्ट्र और एम० पी० के ऐक्ट में सुविधा दी गयी है कि वह भी खरीद सकते हैं। उनको राइट आफ वोट नहीं दिया गया है लेकिन इससे वे भी ट्रेनिंग ले लेंगे। उसमें क्या नुकसान होगा। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इसमें जो यह सहानुभूतिकर सदस्य, नाम मात्र के सदस्य और संबद्ध सदस्य प्रकार के सदस्य रखे हुये हैं, यह तो कोरा शब्दजाल है। इनको बदल कर सीधे सीधे यह रख दिया जाना चाहिये कि कारबार के जो लोग होंगे वे सदस्य इस शब्द जाल को यहां से हटा दिया जाना चाहिये इसलिये मेरी राय है कि इस वर्तमान धारा १८ को यहां से हटा दिया जाय और उस स्थान में २ लाइन रख दी जायं कि सदस्य होंगे। समिति की परिभाषा में दिया हुआ है कि सहकारी कानून के अन्दर कोई कमेटी रजिस्टर्ड हो, उसमें बैंक भी आ जाता है, फिर इसको पृथक से भाववाची शब्दों में रखने की क्या जरूरत है। यही जब सरकारी ट्रिब्यूनल के सामने जायेगा तो उसका बे मतलब भाष्य किया जायगा और सब नष्ट हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि खंड १८ को हटा कर कुल दो लाइन लाकर इसकी जगह रख दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने एक विधेयक का जिक्र किया है, मैं आपके सामने दो विधेयक महाराष्ट्र और मद्रास का रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र के ऐक्ट की धारा २२-ए में दिया हुआ है—

An individual who is competent to contract under the Indian Contract Act 1872.

इसी तरह से मद्रास ऐक्ट की धारा १७(१) (ए) में दिया हुआ है—

Every individual competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act, 1872.

इसके बाद अगर माननीय मंत्री जी कुछ बतलाना चाहते हैं और मेरी बात को नहीं मानना चाहते तो मैं क्या कहूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आखिर इस सहानुभूतिकर सदस्य रखने का मतलब क्या है। इसमें दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति जो समिति के उद्देश्य की पूर्ति तथा सदस्य कार्यकर्ताओं के कल्याण में वास्तविक अभिरुचि रखता हो सहानुभूतिकर सदस्य बनाया जा सकता है। श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से इस तरह के लफ्जी शब्दों को निकाल दिया जाय। क्योंकि इसके होते हुये ऐसे ही एम०एल०एज० बैंकों के डाइरेक्टर वगैरह बना दिये जायेंगे जिनको गवर्नमेंट चाहेगी। जैसे गवर्नर महोदय बड़े-बड़े विद्वानों को कौंसिल के मेम्बर बना देते हैं वैसे ही ये भी बनाये जायेंगे। जबकि आप भी श्रीमन्, जानते हैं कि वे सब ग्रामीण यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन यह कह कर कि वे विशेष विषयों के विद्वान हैं, उनको कौंसिल का सदस्य बना दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (४) के भाग(क) की प्रथम पंक्ति से शब्द "जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी हैं" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

सदस्य उस समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि देय का भुगतान न कर दिया जाय।

१९—सहकारी समिति का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो समिति के नियमों अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०

सदस्यों के मत

२०—सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) नाममात्र अथवा सम्बद्ध सदस्यों को मतदान का अधिकार न होगा ;

(ख) यदि कोई सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति के सदस्य हो, तो ऐसी सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो उपविधियों के अनुसार ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा ;

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों को, जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा

केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नाम निर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा; और

(घ) नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के कार्यों में प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २०(क) के प्रारम्भ में शब्द 'सहानुभूतिकर' सदस्य जोड़ दिया जाय तथा उसके बाद अर्ध विराम लगा दिया जाय ।

यह मेरा संशोधन केवल एक शब्द जोड़ने का है । इसमें नाममात्र तथा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार (वोट का) नहीं दिया गया है, मैं चाहता हूं कि इसमें सहानुभूतिकर सदस्य जोड़ दिया जाय और उनको भी वोट का अधिकार न दिया जाय । सहानुभूति कर सदस्य की परिभाषा में लिखा है कि कोई व्यक्ति जो समिति के उद्देश्य की पूर्ति तथा सदस्य कार्यकर्त्ताओं के कल्याण में वास्तविक अभिरुचि रखता हो सहानुभूतिकर सदस्य बनाया जा सकता है । केवल रुचि रखने वाला ही यह सदस्य होगा जिसका पैसा इस शेयर में न लगा होगा और कोई अन्य बात भी न होगी उसको भी इसमें वोट का अधिकार दिया गया है । मेरा कहना है कि ऐसे व्यक्ति को वोट का अधिकार न हो, यही मेरे संशोधन का आशय है । आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जरा माननीय सदस्य २०(क) की व्याख्या पढ़ें तो मालूम होगा कि उसमें है कि पूंजी कितनी ही क्यों न हो सदस्य को एक वोट का अधिकार होगा तो जब सहानुभूतिकर सदस्य की कोई पूंजी ही नहीं होगी तो उसका क्या सवाल है, उसका नाम जुड़वाने से कोई लाभ न होगा ।

(इस समय २ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

श्री रक्षपालसिंह—

इसमें सदस्य की परिभाषा में ३ प्रकार के सदस्य बताये हैं साधारण सदस्यों के अतिरिक्त । जैसा कि वह कह रहे हैं कि उनको अधिकार वैसे ही न होगा, तो उनको इसको यहां जोड़ने में आपत्ति भी न होनी चाहिये । अगर भावना यही है कि उनको अधिकार न होगा तो फिर माननीय कृष्णानन्द राय को इसमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसको तो श्रीमन् खंड १८ में हम पास कर चुके हैं और उसके बाद यह आवश्यक नहीं होता क्योंकि खंड १८ के उपखंड (२) (ख) में दिया हुआ है कि "समिति में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या", किसी भी समय, साधारण सदस्यों की कुल संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक न होगी और प्रबन्ध कमेटी में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या न तो दो से अधिक होगी और न सहकारी समिति के सहानुभूति कर सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक होगी और न प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से ही अधिक होगी ।" तो इसलिये सदस्यों को अपने अधिकार से वंचित रखना उचित न होगा । इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, धारा १८ में केवल इतना ही दिया हुआ है कि कौन-कौन सदस्य हो सकते हैं लेकिन कोई ऐसा सदस्य जो केवल सहानुभूतिकर होगा उसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २(क) के प्रारम्भ में शब्द "सहानुभूतिकर सदस्य" जोड़ दिया जाय तथा उसके बाद अर्ध विराम लगा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २१

मतदान की रीति

२१—प्रत्येक व्यक्ति विशेष सदस्य प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी ।

श्री रक्षपालसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ में जहां कहीं 'नाम निर्दिष्ट व्यक्ति" आया हो, निकाल दिया जाय ।

ये जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति हैं, एक प्रकार से देखा जाय तो सरकार अपनी तरफ से इन आदमियों को रखती है और वे आन्दोलन को प्रभावित करते हैं । सहकारिता में विश्वास रखने वालों ने एक कमेटी बनायी हुई है, एक कार्यक्रम चल रहा तो वहां पर ऐसे नाम निर्दिष्ट सदस्यों को रखने की कोशिश की है जो उचित नहीं है । जहां पर सरकार की पूंजी हो, वहां तो रख सकते हैं लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को यदि वोट देने का अधिकार होगा तो सहकारिता की जो भावना ले कर काम करते हैं ये उसे प्रभावित करते रहेंगे । अनेक स्थानों का अनुभव है कि जो जिले में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने उनके अन्दर २-२ प्रतिनिधियों का मनोनयन किया है और यहां पर हमारे माननीय गोविन्द सहाय जी, माननीय बनारसीदास के ऊपर आर्टिकिल लिखते हैं कि पार्टीबाजी का खयाल करके कार्य किया जाता है । तो मैं, चाहता हूं कि वे सदस्य रहें, वाच करें, वहां पर भाग भी लें, वे सरकार को इंफार्म भी कर सकते हैं, वहां पर अगर गड़बड़ी भी हो तो उसकी भी देखभाल करें परन्तु उन सदस्यों को जिनको वहां पर नियुक्त किया गया है उनको वोट देने का अधिकार यदि दिया गया तो यह सहकारिता आन्दोलन के विरुद्ध होगा और यह अधिकार ऐसे नाम निर्दिष्ट सदस्यों को नहीं होना चाहिये ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने नाम निर्दिष्ट सदस्य को निकालने की बात कही है । सरकार अधिकांश संस्थाओं में अपनी पूंजी भी लगाती है, अपना हिस्सा भी लगाती है । तो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति ही इफेक्टिव रोल कर सकता है । उनका वहां पर रहना अनिवार्य है । जो डिस्ट्रिक्ट के लेविल की सोसाइटियां हैं उनमें ही प्रायः सरकार करती है । इसलिये मैं माननीय सदस्य की बात को स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री रक्षपालसिंह—

जहां तक सदस्य की परिभाषा का सम्बन्ध है उसमें दिया हुआ है कि १८ साल के ऊपर का कोई व्यक्ति सदस्य होगा । उसमें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का भी सदस्य हो सकता है उनको अधिकार हो सकता है पर जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति हों या अन्य प्रकार के रिप्रेजेन्टेटिव हों, उनको नहीं होना चाहिये ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, अन्य प्रकार का कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो हैं वह धारा ३४ के अन्तर्गत आते हैं और वह दूसरी बात है। इसलिये नाम निर्दिष्ट व्यक्ति पर एतराज करना ठीक नहीं है।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

अब तक प्राक्सी का जो रिवाज था वह खतरनाक था इसलिये यह क्लाज रखा गया है जो बहुत आवश्यक है कि स्वयं वह प्रतिनिधि आ कर वोट दे, प्राक्सी के जरिये किसी को लिख कर वोट न दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २१ में जहां कहीं "नाम निर्दिष्ट व्यक्ति" आया हो निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२ व २३

२२—व्यक्ति विशेष सदस्य—

अंशधारण करने पर निबन्धन

(क) न तो समिति की कुल अंश पूंजी के ऐसे भाग से, जो उसके १/५ से अधिक न हो और जो नियत किया जाय, अधिक धारित करेगा, और

(ख) न पांच हजार रुपये से अधिक अंकित (Nominal) मूल्य के अंशों में कोई हित रखेगा और न उनमें किसी हित का दावा करेगा।

अंश या हित के संक्रमण पर निबन्धन

२३—(१) किसी सहकारी समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण धारा २२ में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा सम्बन्धी शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगा।

(२) किसी सदस्य द्वारा किसी सहकारी समिति की पूंजी में अपने अंश या हित का संक्रमण वैध न होगा, यदि—

(क) सदस्य ने वह अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारित न किया हो;

(ख) संक्रमण, समिति या समिति के किसी सदस्य के पक्ष में न किया गया हो; या

(ग) संक्रमण का अनुमोदन समिति की प्रबंध कमेटी द्वारा किया गया हो।

(३) उपधारा (२) में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, सहकारी [समिति] समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण, अर्जन अथवा उसे वापस करने की अनुज्ञा दे सकती है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ के उपखंड (ख) में प्रथम पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर "एक" रख दिया जाय।

श्रीमन, वह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। अगर समिति में पांच हजार तक के शेयर खरीदने वालों को इस में रखा गया तो बड़े धनी मानी लोग इसमें घुस जायेंगे। लिहाजा इस ओर सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना है क्योंकि सरकार की नीति यह है कि जनसाधारण के लोगों को समिति में सम्मिलित होना चाहिये और पूंजीपति और धनवान लोगों के लिये ये समितियां नहीं बनायी गयी हैं कि वे छोटी-छोटी समितियों में भाग ले सकें। जिस समिति में ५ हजार के शेयर्स लेने वाले हो जायेंगे उनको खंड ५८(२) (क) के मुताबिक ९ प्रतिशत तक लाभांश मिलने की स्वीकृति दी जा सकेगी। तो ५ हजार के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको सोसाइटी का अधिक लाभांश मिल जायगा और छोटे शेयर होल्डर्स को कम लाभांश मिलेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें केवल १ हजार तक की सीमा निर्धारित कर दी जाय। वह संशोधन जनहित में होगा।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि एक व्यक्ति को ५ हजार तक के शेयर्स लेने की छूट दी गयी है तो ५ हजार रुपये इंवेस्ट करने वाले कितने व्यक्ति होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ५ हजार रुपया इंवेस्ट कर देंगे। ऐसे लोग ४, ६ अथवा १० की संख्या में मिल जायेंगे और जो अधिकार होंगे वे पूंजीपतियों के हाथ में होंगे। किन्तु सरकार बचाना चाहती है जनता को पूंजीपतियों से। लेकिन इस हिसाब से तो ऐसी सोसाइटियां बनेंगी जिन पर पैसे वालों का अधिकार होगा और वे सरकार से जितना पैसा वसूल कर पायेंगे उसका दुरुपयोग करेंगे।

श्रीमन्, आमतौर से जो लाभ उठाया जाता है इंवेस्टमेंट का वह ५ या ६ परसेंट होता है। इसमें ९ परसेंट तक का अधिकार है। तो जितने इंवेस्टमेंट करने वाले होंगे वे ९ परसेंट तक लाभ उठा सकेंगे। छोटे लोग जिनके हित के लिये यह सहकारी आन्दोलन चलाया गया है उनको फायदा पहुंचने वाला नहीं है। इसमें अधिकार उनको ही दिया जायगा जो पैसे वाले हैं इसलिये जो संशोधन है वह उचित है और उसको मंत्री जी को स्वीकार करना चाहिये।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

श्रीमन्, जो यह कहा गया है कि ५ हजार रुपया देने वाले व्यक्ति आ जायेंगे तो सोसाइटी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक बात है कि बिजनेस करने वाली सोसाइटीज होती हैं उनको पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके पहले खंड में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के कितने ही शेयर क्यों न हों १/५ से ज्यादा हिस्सा नहीं दिया जायगा। अगर किसी सोसायटी की कुल २५ हजार की पूंजी है तो ५ हजार वाले लोग आकर क्या करेंगे और एक ही वोट देने का अधिकार होगा। वह हावी कैसे हो सकते हैं। उनको डिवीडेंट जरूर ज्यादा मिलेगा। सोसाइटी जो बिजनेस करती है उसको कैपिटल की जरूरत होगी और एक-एक रुपया करके कैपिटल जमा नहीं हुआ करता है।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विजय सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह जनता के हित के लिये है। जिसके पास पैसा नहीं है वह क्या करेंगे। इसलिये इसको कम कर दिया जाय।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

श्रीमन्, पता नहीं माननीय विजयसिंह जी ने यह संशोधन कैसे उपस्थित किया है क्योंकि यह तो उनकी इच्छा के अनुकूल है। १९१२ के ऐक्ट में यह दिया हुआ है और अब कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। किसी सोसाइटी के पास जितना रुपया होगा उसी के अनुपात से उसको ऋण मिलेगा। आप देखेंगे कि पंजाब और मैसूर में १० हजार रुपये तक की अधिकतम सीमा रखी है। इसलिये वहां सोसाइटीज अच्छी हैं। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटीज छोटी-छोटी रहें तो उनको ऋण भी कम मिलेगा। इसलिये यह जैसा है ठीक है।

श्री विजयसिंह--

मान्यवर, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा और माननीय मंत्री जी ने उसका समर्थन किया और कहा कि पंजाब और मैसूर में दस हजार रखा है। लेकिन हमको तो अपने यहां जन आन्दोलन चलाना है। आपको अगर पूंजी इकट्ठा करना है तो एक रुपया दे कर बहुत से रुपये जमा हो जायेंगे। एक आदमी पांच हजार दे वह अच्छा, या ज्यादा आदमी थोड़-थोड़ा रुपया दें वह अच्छा है। सरकार ज्यादा शेयर खरीदे। हमारी मंशा यह है कि बड़े-बड़े पूंजीपति हो जायेंगे तो नाजायज फायदा उठायेंगे। ९ परसेंट तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब मंत्री जी समाजवादी सिद्धांत लागू कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

मान्यवर, मुझे कुछ कहना नहीं है। सोसाइटी को व्यावहारिक रूप से देखें। समाजवादी सरकार यह है ही लेकिन समाजवाद में भी रुपये की जरूरत पड़ती है। रुपये को एकत्र करके जुटाना पड़ता है। सहकारी समितियों को मजबूत करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २२ के उपखंड (ख) में प्रथम पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर "एक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २२ और २३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४ व २५

किसी सदस्य की मृत्यु होने पर हित का संक्रमण

२४--(१) सहकारी समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति मृत सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करेगा जो नियत रीति से नामनिर्दिष्ट किये गये हों, अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नामनिर्दिष्ट न किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को करेगी जो प्रबन्ध कमेटी को मृत सदस्य का दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा संक्रमण तब तक न किया जायगा जब तक कि, यथास्थिति, ऐसा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति का सदस्य न बना लिया जाय [।] :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति मृत सदस्य का दायाद या विधिक प्रतिनिधि है अथवा नहीं तो वह निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायगा जो तदुपरान्त उसे धारा ७१ के अधीन मध्यस्थ

निर्णय के लिए भेजेगा। और सहकारी समिति इस धारा के प्रयोजनों के लिए, मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाहियों में इस प्रकार अवधारित व्यक्ति को मृत सदस्य का दायाद या विधिक प्रतिनिधि मानेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, कोई ऐसा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति से इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसे मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का, जो नियत रीति से निर्धारित किया गया हो, भुगतान करे और समिति दायित्व के बने रहने के लिए धारा २५ में व्यवस्थित अवधि के व्यतीत हो जाने के तीन मास के भीतर देय राशि का भुगतान कर देगी।

(३) सहकारी समिति ऐसी अन्य समस्त धनराशियों का भुगतान, जो समिति द्वारा मृत सदस्य को देय पायी जाय, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि को करेगी।

(४) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सहकारी समिति द्वारा किये गये सम्पूर्ण संक्रमण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति से की गयी किसी मांग के विरुद्ध भी वैध और प्रभावशाली होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी हुई किसी बात का अधिकार—सम्पन्न दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे इस धारा के अधीन कोई संक्रमण या भुगतान किया गया हो।

(५) उपधारा (२) और (३) की किसी बात का इस अधिनियम के अधीन समिति के मृत सदस्य के विरुद्ध अपने अवशिष्ट दावों को मृत सदस्य को देय अंश अथवा हित के मूल्य का अन्य धनराशियों से वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

भूतपूर्व सदस्य का और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व

२५—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी समिति के ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का, अथवा किसी मृत सदस्य की सम्पदा का, समिति के ऐसे ऋणों के लिए दायित्व जो—

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस दिनांक को, जब वह सदस्य ही रह न गया हो; और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु के दिनांक को, विद्यमान थे,

उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए बना रहेगा।

(२) यदि धारा ७२ के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया जाय, तो ऐसे भूतपूर्व सदस्य का या ऐसे मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व जो समापन–आदेश के दिनांक के पूर्व दो वर्षों के भीतर, यथास्थिति, सदस्य न रह गया हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी न हो जाय, किन्तु ऐसा दायित्व समिति के केवल उन ऋणों के सम्बन्ध में होगा जो, यथास्थिति, उसके सदस्य न रह जाने या मृत्यु हो जाने के दिनांक को विद्यमान थे।

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २४ के उपखण्ड (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के शब्द "वह निबन्धक के लिए भेजेगा" हटा दिए जायं और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय "वह न्यायालय द्वारा निर्णीत व्यक्ति को मानेगा", तथा इसी प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ५ से "मध्यस्थ" निकाल दिया जाय।

मान्यवर, समितियों में झगड़ों का बड़ा जोर है। इस विधेयक में जो व्यवस्था की गयी है उससे और झगड़े बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। विधेयक में व्यवस्था है कि मध्यस्थ प्रतिनिधि का निर्णय करेगा। मन्त्री जी यही जवाब देंगे कि कोर्ट में वर्षों लग जाते हैं। धारा ७१ में जो व्यवस्था है उसमें भी विलम्ब होगा। इसमें भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। किसी समिति के सदस्य के लड़का नहीं है। दो लड़कियां हैं। बड़ी लड़की प्रतिनिधि लिखी है और उस व्यक्ति के मरने के बाद बड़ी लड़की को प्रतिनिधि बना दिया गया। इसी बीच में उसकी सम्पत्ति दो हिस्सों में चली जायगी, क्योंकि दोनों लड़कियों में कोर्ट से बंटवारा हो जायगा। एक बड़ी लड़की को और एक छोटी को। बड़ी लड़की जिसको प्रतिनिधि बनाया गया है वह भी इसी बीच मर जाती है और सम्पत्ति छोटी लड़की को मिलती है तो फिर कहां से वसूल करेंगे जो सोसाइटी को लेना देना होगा? क्योंकि कोर्ट की तरफ सम्पत्ति का अधिकार छोटी लड़की प्राप्त कर लेगी। मेरी जानकारी में ऐसा केस है। यहां के निबन्धक महोदय से पूछा गया कि अब क्या किया जाय, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। कोर्ट में जो निश्चित हो जायगा वही अन्तिम होगा और वही प्रतिनिधि भी होगा। इस संशोधन से सारा झगड़ा समाप्त हो जायगा। इसलिए माननीय मन्त्री जी इसको मान लें।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, प्रवर समिति ने इस प्रतिबन्ध को जोड़ रखा है। गांव के किसान अशिक्षित होते हैं। बार-बार न्यायालय में जाना खर्चीला होगा। आर्बिट्रेशन भी एक तरह से जुडीशल प्रोसीडिंग होगी। प्रवर समिति ने भी इसकी सिफारिश की है। इसलिए न्यायालय को देने का मैं विरोध करता हूं।

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो सहकारिता में बहुत विश्वास करने वाले हैं, आप भी देखें। जैसा मन्त्री जी ने स्पष्ट किया यह कैसे सही रूप में हो सकता है। कोर्ट जिसे रखेगा वह ज्यादा ठीक होगा। यदि कोर्ट द्वारा बात होगी तो उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा वरना उसमें झगड़े होने और विवाद की काफी सम्भावना है। जिस भावना से आपने सहकारिता का आन्दोलन चलाया है, उसे सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कोर्ट द्वारा निश्चित किया गया ही उचित प्रतिनिधि माना जाय वरना काफी झगड़े उठेंगे जिससे सहकारिता का अहित होगा। वैसे तो आपकी इच्छा है, लेकिन मान लें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

आप देखें, धारा ७१ में लिखा हुआ है, "यदि पक्ष लिखित रूप से अनुरोध करे तो उसे निर्णय के लिए ऐसे मध्यस्थ मण्डल को अभिदिष्ट कर सकता है जिसमें तीन सदस्य होंगे जो नियत रीति से नियुक्त किए जायेंगे।" तो इन सदस्यों का ट्रिब्यूनल भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २४ के उपखण्ड (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के शब्द "वह निबन्धक के लिए भेजेगा" हटा दिए जायं और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय "वह न्यायालय द्वारा निर्णीत व्यक्ति को मानेगा", तथा इसी प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ५ से "मध्यस्थ" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २४ का उपखण्ड (४) निकाल दिया जाय।

मान्यवर, खण्ड २४ जो है, इसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि "अगर किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य मर जाए तो उस समिति में उस सदस्य के जो हित या अंश होंगे, उनके जो दायित्व होंगे, वे उसके दायाद या विधि के प्रतिनिधि को संक्रमित हो जायेंगे। इसकी उपधारा (१) में इसका प्राविधान किया गया है और उप धारा (२) में यह प्राविधान किया गया है कि अपने अंशों या हितों को यदि कोई वापस लेना चाहे तो समिति उसका भुगतान करेगी। इसी प्रकार उपधारा (३) में यह प्राविधान किया गया है कि समिति को अगर कोई भुगतान करना है उस सदस्य को तो वह भी उसके दायादों को देय हो। और वह उनसे वसूल किया जायगा और उसके अंशों से काट लिया जायगा। किन्तु मान्यवर, उपधारा (४) जो दी हुई है उसमें यह प्राविधान किया गया है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति का कोई धन मृत सदस्य से जिनका वाजिब हो और वह समिति के जरिए से मांग करे तो समिति उसे उस सदस्य के हितों से काट कर देगी। मैं नहीं समझता कि समिति ने यह दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने सिर पर क्यों ले ली है। अगर कोई व्यक्ति उस समिति का सदस्य होता और उसकी समिति के सदस्य पर कोई धनराशि वाजिब होती, तो यदि वह काट कर उसके हितों से दे दी जाती तो इसमें कोई अनुचित न होता, किन्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो समिति का सदस्य नहीं है, इस तरह की समिति से मांग करना और उस पर समिति द्वारा भुगतान किया जाना अनुचित है। अन्य व्यक्ति के लिए तो न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है कि यदि उसका किसी पर कोई धनराशि बाकी है तो वह कानूनी कार्यवाही करे, दावा करे, कुर्की कराये। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य के हितों से अपने कर्जे की वसूली की मांग कर सकता है और समिति उसे कैसे कर सकती है। इसमें एक और प्राविधान कर दिया गया है कि उस व्यक्ति के कर्जे को सदस्य के हितों में से समिति द्वारा भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में यदि उस सदस्य के वारिस को कोई एतराज हो तो वह कोर्ट में जाए। तो उस मृतक सदस्य के वारिस अदालत में जाए किन्तु वह व्यक्ति अदालत की शरण न ले, यह कैसी अनुचित बात है। यह बात ही घातक है, समिति के हित के लिए अनुचित है। इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

पहले ही मैंने निवेदन कर दिया है जब उसका कोई वारिस बनेगा, उस वक्त ही यदि कोई कर्जे की बात को, झगड़े को पेश करना चाहेगा तो करेगा। विवाद ट्रिब्यूनल में तो जाएगा ही, वहां पर उसे अपने वारिस को प्रमाणित करने का मौका मिल जायगा।

श्री भीखालाल—

शायद आप मेरी बात को समझ नहीं सके हैं। २४ (४) के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

२४ (४) का मतलब वही है कि उसे मिले जो व्यक्ति यह कहता है कि यह रुपया हमें मिलना चाहिए था। आपका कहना यह है कि समिति को कहना चाहिए था कि आप अदालत में जायं। आप असल वारिस के लिए अदालत में जाने की बात करते हैं। ट्रिब्यूनल इस बात को तय करेगा कि वारिस को मिलना चाहिए या नहीं। उसके बाद अगर कोई झगड़ा है तो उसको अदालत में जाना चाहिए। समिति से वह रुपया वसूल नहीं होगा क्योंकि वह रुपया एक व्यक्ति को दिया जा चुका है।

श्री भीखालाल—

हमारे मंत्री जी का वही हाल है कि मारे घुटना फूटे आंख। मैं तर्क क्या दे रहा हूं और पांडेय जी जवाब क्या दे रहे हैं। मृत सदस्य का वारिस कौन हो इसका निर्णय उपधारा (१) में हो जायगा। इसका निर्णय होने पर उपधारा २, ३ और ४ में आगे की कार्यवाही होगी। उपधारा (४) में इस बात का निर्णय नहीं होगा। पांडेय जी इसकी शब्दावली को पढ़ लें। इसमें यह है कि " इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सहकारी समिति द्वारा किए गए सम्पूर्ण संक्रमण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति से की गयी किसी मांग के विरुद्ध भी वैध और प्रभावशाली होंगे।" इसका अर्थ यह है कि कोई एक तीसरा व्यक्ति समिति से मांग करे कि आपका सदस्य मर गया है उसके जिम्मे हमारा रुपया बाकी है तो उसको समिति पूरा कर सकती है। जब समिति इसको पूरा कर दे तो आप यह प्राविधान करते हैं कि मृत व्यक्ति के वारिस अदालत में जायं। तो आप यह क्यों करते हैं? मेरा मतलब यह है कि अगर तीसरे व्यक्ति का किसी सदस्य पर जो मृत हो गया है, कोई बकाया है तो उसको अदालत में जाने के लिए कहें कि वह अदालत का रास्ता ले। उसकी जिम्मेदारी समिति न ले। मैं यह तो नहीं कहता जो मैं कह रहा हूं उसको माननीय मन्त्री जी समझ नहीं पाए, लेकिन शायद मैं अपनी बात उनको समझा नहीं पाया। मैं कुछ और कह रहा हूं और उनका समझना दूसरी तरह का है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं २४ (४) को पढ़ रहा था। हमको भी कोआपरेटिव में काफी रहने का मौका मिला है। मैं उसको प्रैक्टिकल रूप में भी जानता हूं। इसकी उपधारा (२) में यह दिया है कि "उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, कोई ऐसा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति से इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसे मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का, जो नियत रीति से निर्धारित किया गया हो, भुगतान करे....।" तो वह भुगतान कर देगी। किसी आदमी ने मांग की या दायाद का झगड़ा ऊपर आ चुका है तो वह न्यायालय से तय करे। मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद कोई यह कहता है कि हम इसके दायाद हैं हमको मिलना चाहिए और उस समय समिति ने किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान कर दिया, तो उस दायाद को वह कैसे भुगतान कर सकती है? उसके लिए कहा गया है कि वह अदालत में जाकर अपना तय करें। आप कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को दें। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री भीखालाल—

धारा २४(१) इस प्रकार है कि "...किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति मृत सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करेगी जो नियत रीति से नाम निर्दिष्ट किये गये हों, अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नामनिर्दिष्ट न किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को करेगी जो प्रबन्ध कमेटी को मृत सदस्य का दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो।" यदि इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा हो जाय तो मामला न्यायाधिकरण को चला जायगा और वह तय करेगा कि अमुक व्यक्ति उसका सही वारिस है। इसका फैसला हम उपधारा १ में ही करा लेंगे। उपधारा २ कहती हैं कि उसे जो देय होगा समिति उस व्यक्ति को भुगतान कर देगी, जो हित उसके होंगे वे उस के वारिस को भुगतान कर दिए जायेंगे।

उपधारा (३) कहती हैं कि इसके अतिरिक्त जो और देय होंगे वे भी उसे भुगतान कर दिए जायेंगे। और उपधारा (४) कहती हैं कि उस वारिस के अलावा यदि और कोई तीसरा व्यक्ति आ जाय और कहे कि उस वारिस पर मेरा इतना-इतना बकाया है, यह रुपया बकाया है, इसका रुपया काट कर मुझे दे दीजिए तो वह उसे देय होगा। यह शब्दावली है उपधारा (४) की। उपधारा (५) का अर्थ यह है कि यदि कोई रुपया बकाया हो उसके जिम्मे तो वह उसमें से काट लिया जायगा। मेरा मतलब साफ है। उपधारा ४ किसी तीसरे व्यक्ति की मांग के बारे में है, जो अपने को वारिस नहीं कहता।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मतलब आप कहां से ले आए, तीसरे आदमी की मांग जो भी हो, समिति ने जो तय किया वही होगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस उपधारा के अनुसार जो देय होंगे वे वारिस को भुगतान कर दिए जायंगे। किसी तीसरे व्यक्ति का सवाल यहां नहीं है। यदि वह उठा तो वह न्यायालय में जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २४ का उपखण्ड (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २४ तथा २५ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २६

सदस्य बनाना अथवा सदस्यता छोड़ना

२६--(१) इस अधिनियम, नियम तथा उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

(२) यदि किसी व्यक्ति को किसी सहकारी समिति का सदस्य बनाना अस्वीकार कर दिया जाय तो अस्वीकार करने के निर्णय की संसूचना समिति द्वारा उस व्यक्ति को निर्णय के दिनांक से सात दिन के भीतर दे दी जायगी।

(३) सहकारी समिति का कोई सदस्य, यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभू न हो, समिति को कम से कम एक मास का नोटिस देने के बाद समिति की सदस्यता छोड़ सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कम से कम इतनी न्यूनतम अवधि तक, यदि कोई हो, सदस्य रहा हो, जो समिति की उपविधियों में निर्धारित की जाय और जिनमें छः महीने तक की अवधि के नोटिस की भी व्यवस्था की जा सकती है। सदस्यता छोड़ देने के नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है, और धारा २५ में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अंशों के सम्बन्ध में, जो नियत रीति से सुनिश्चित किए गए हों, समिति द्वारा उसे देय धनराशियों की वापसी का हकदार होगा।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २६ के उपखण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति सदस्य चुने जाने के लिए अनर्हित होगा यदि वह--

(१) नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए सिद्ध दोष हो अथवा राज्य साक्षी होने के नाते क्षमादोष हो।

(२) अनुन्मुक्त दिवालिया हो।

(३) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(४) सहकारी समिति के लाभप्रद पद पर हो।

(५) सदस्यता से निकाला गया हो और निश्चित अवधि समाप्त न हुई हो।"

श्रीमन्, जो मद्रास का ऐक्ट है उसकी धारा १८ में भी मेम्बरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई हैं। इस विधेयक में उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मद्रास ऐक्ट की धारा १८ में यह है—

"*Disqualification for membership*—(1) No person shall be eligible for admission as a member of a society, if he—

(*a*) is an undischarged insolvent ; or

(*b*) has been sentenced for any offence involving moral turpitude, such sentence not having been reversed or the offence pardoned and a period of five years has not elapsed from the date of the expiration of the sentence; or

(*c*) is a paid employee of the society or of its financing bank or of any registered society for which it is the financing bank; or

(*d*) has been expelled from membership under this Act and a perid of two years has not elapsed from the date of such expulsion;

Provided that the Registrar may, for reasons to be recorded in writing, sanction the re-admission or admission within the said period of any such member as a member of the same society or of any other society, as the case may be.

(2) A member of a registered society shall cease to be a member of the society, if he—

(*a*) applies to be adjudicated, or is adjudicated an insolvent; or

(*b*) is sentenced for any such offence as is described in clause (*b*) of sub-section (1) ."

तो मैं यह देख रहा हूं कि इस तरह की जो डिस्क्वालिफिकेशन मद्रास ऐक्ट में भी दी हुई हैं वह इसमें नहीं हैं। इसमें यह दिया हुआ है कि अगर कोई दिवालिया हो, नैतिक अपराध में सजा पाया हुआ हो, या सहकारी समिति के लाभप्रद पद पर हो आदि तो वह सोसाइटी का मेम्बर नहीं हो सकेगा। हमारे विधेयक में इस तरह का कोई प्राविजन नहीं है। अगर यह नहीं किया जायगा तो वह एक मल्टी परपज आदमियों की एक सोसाइटी बन जायगी, जैसे कि मल्टी परपज ट्रेनिंग दी जाती है। यह सोसाइटी बहुत जिम्मेदारी की सोसाइटी होती है, इसकी लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलीटीज होती हैं, इसलिए इस तरह का प्राविजन बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति योग्य न हो वह मेम्बर न हो। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय सदस्य ने अगर २६ (१) को ठीक तरह से पढ़ा होता तो यह संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें लिखा है कि इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त १७ (१) (क) में भी यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति उसका सदस्य हो सकता है। उसके रहते हुए इस संशोधन के रखने की जरूरत ही नहीं है। माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो कहा है वह ठीक है। १७ (१) में यह दिया गया है कि कौन व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकेगा, कौन हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर एतराज है तो वह इसकी उप-विधियों में आ जाएगा, विधेयक में उसको लाने की जरूरत नहीं है।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय कृष्णानन्द राय तो भूलभुलइयों में डालने वाली बात कर देते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, माननीय कृष्णानन्द राय जी अंग्रेजी की प्रति पढ़ लें, हिन्दी में हो सकता है समझ में न आया हो। जैसा कि कृष्णानन्द जी ने कहा मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि धारा १८ की उपधारा (४) तो ऐसे मैम्बर्स के लिये है जो कि कारोबार में या अन्य उद्योग-धन्धों में लगे हों और फिर मैं कृष्णानन्द राय जी को बता दूं कि धारा ८० में लिखा है कि यदि सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य पागल हो जाय, तो वह अपने अभिभावक के माध्यम से सदस्य बना रह सकता है जो उसकी ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानों वह सदस्य हो। तो हमारा मतलब यह है कि ऐसा सदस्य जो कि पहिले पागल न हो, सदस्य हो, अगर सदस्य होने के बाद पागल हो जाय तो किसी आदमी को, जो उसका क्युरेटर होगा, रिप्रेजेन्ट अपने लिये करवा सकता है।

इसी प्रकार मैं धारा ८१ की उपधारा (२) की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है—"कोई अवयस्क अथवा पागल जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मंडल में भूमि धारण करता हो, यथास्थिति अपने विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक के माध्यम से उस मंडल में किसी सहकारी कृषि समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और ऐसी दशा में संरक्षक या अभिभावक, अवयस्क या पागल की ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानों वह स्वयं सदस्य हो।" तो मैं कृष्णानन्द जी से यह कहना चाहता हूं कि यह दो किस्म की बात दी गई है। एक तो अवयस्क के लिये और दूसरी पागल के लिये। जो मैंने बताया इनसाल्वैन्ट हैं अथवा नैतिक पतन के लिये जिनको सजा मिल चुकी है अथवा अनुन्मुक्त दिवालिया है, अथवा सहकारी समिति के लाभप्रद पद पर है, यदि आप ऐसे सदस्य को बना देंगे तो मैं नहीं समझता कि सहकारी समिति का ध्येय क्या होगा। मैं नहीं कहता कि आप इसको रख दीजिये। मेरी मंशा यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो हो, अगर वह रख देंगे तो पागल और माईनर के अलावा तो जैसा कि धारा १८ में, धारा ८० तथा ८१ में दिया गया है, और भी लोग आ सकेंगे। उनके लिये कोई भी प्राविधान नहीं हैं १८ के अन्दर, और न ८० और ८१ के अन्दर मैं चाहूंगा कि सरकार इस विधेयक के अन्दर यदि न ला सके तो नियम और बाइलाज के अन्दर उसे ले आये जिससे कोई ऐसा व्यक्ति समिति का मेम्बर न हो सके।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय कमला सिंह जी ने कहा धारा १७ (१) का मतलब यह नहीं है। उसमें लिखा है कि —निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्—

(क) धारा १८ की उपधारा (४), धारा ८० तथा धारा ८१ की उपधारा (२) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित्त का हो और अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिये अनर्हित न हो। श्रीमन्, इसका मतलब यह होता है कि उसके अतिरिक्त नहीं होगा। यह नहीं होगा कि धारा १८ और ८० पर तो लागू हो गया और उसके अलावा अवयस्क आदि पर भी लागू होगा। श्रीमन्, वह विधेयक हिन्दी का है और माननीय कमलासिंह जी हिन्दी के उतने अभ्यस्त हैं नहीं इसलिये अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने, श्रीमन्, पांच डिस्क्वालिफिकेशन दी हैं और इसमें जो प्राविधान किया गया है वह केवल पागल के लिये और माइनर के लिये है। इनके अलावा और जो पांच लोग हैं जिनका प्राविधान मैंने किया है वह बिलकुल इससे परे हैं और उनके लिये कोई प्राविधान इसमें नहीं है। मद्रास का जो ऐक्ट है उसके अन्तर्गत यह दिया है कि इस डिस्क्वालीफिकेशन के जो आदमी होंगे उनको भी मेम्बर होने से वंचित रखा जायगा। इसीलिये मैंने रखा है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, नैतिक पतन का जो लिखा है तो एक बार कहीं कुछ हो जाय तो वह वंचित हो जायगा जब कि बहुत से चुनावों में आपने यह रखा है कि सात साल बीत जाय तो वह खड़ा हो सकता है। तो उसको एकदम सदा के लिये छोड़ देना उचित नहीं होगा और आजकल तो तमाम समाजसुधार वगैरह की बातें आप कर रहे हैं। इसलिये मैं इसको अनावश्यक समझता हूं और अगर समितियों को आवश्यकता होगी तो वह अपने बाईलाज में इसका प्रबन्ध कर सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २६ के उपखन्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाय—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति सदस्य चुने जाने के लिये अनर्हित होगा यदि वह—

(१) नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये सिद्ध दोष हो अथवा राज्य साक्षी होने के नाते क्षमा दोष हो।

(२) अनुन्मुक्त दिवालिया हो।

(३) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो।

(४) सहकारी समिति के लाभप्रद पद पर हो।

(५) सदस्यता से निकाला गया हो और निश्चित अवधि समाप्त न हुई हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

सदस्य का समिति या निबन्धक द्वारा हटाया जाना

२७—(१) सहकारी समिति, संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को, अपनी सदस्यता से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे कारणों से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, हटा या निकाल सकती है।

(२) निबन्धक भी किसी व्यक्ति को सहकारी समिति की सदस्यता से हटा या निकाल सकता है—

(क) यदि वह व्यक्ति सदस्यता के लिये अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या वह इस अधिनियम, या नियमों, अथवा समिति की उपविधियों के अधीन सदस्य होने के लिये अनर्हित हो जाय, और

सहकारी समिति उस दशा में भी जब निबन्धक द्वारा लिखित आदेश देकर अपेक्षा की जाय, उसे उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार निबन्धक के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर न हटाये या न निकाले या

(ख) यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों, या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो ।

(३) उपधारा (१) के अधीन कोई संकल्प और उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश तक तब पारित न किया जायगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को उन कारणों के संबंध में जिनके आधार पर उसे हटाने या निकालने का प्रस्ताव हो, सुनवाई के लिये समुचित अवसर न दे दिया गया हो ।

(४) उपधारा (१) के अधीन संकल्प, या उपधारा (२) के अधीन आदेश का, यथास्थिति संकल्प या आदेश के विरुद्ध अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए, उक्त संकल्प या आदेश की प्राप्ति के दिनांक से, यह प्रभाव होगा कि इस प्रकार हुए, गये या निकाले गये सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायगी, किन्तु इसका इस अधिनियम, तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन भूतपूर्व सदस्य के रूप में उसके अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

(५) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन निकाला गया सहकारी समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से, जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक उक्त समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी पात्र नहीं होगा ।

श्री विजयसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड २७ के उपखन्ड (५) की पंक्ति ३ के शब्द "दो" की जगह "एक" कर दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में "और वह फिर" से "पात्र नहीं होगा" तक हटा दिया जाय ।

श्रीमन्, आप इस धारा को देखें । यह सदस्य के समिति द्वारा या निबन्धक द्वारा हटाये या निकाले जाने के संबंध में है । २७ (१) में सहकारी समिति, संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति की सदस्यता से निकाल सकती है और २७ (२) में निबन्धक भी किसी व्यक्ति को सहकारी समिति की सदस्यता से निकाल सकता है तो पहले तो यही बात है कि दोनों के लिये प्राविधान आ ने क्यों कर दिया है । इसका मतलब यह है कि आपको या तो समिति पर विश्वास नहीं है या निबन्धक पर विश्वास नहीं है । दोनों के लिये वह प्राविधान रखा है । अगर राज्य मंत्रियों को कोई नाराजी हो जाय तो निबन्धक निकाल देगा अगर समिति नहीं निकालती है या अगर निबन्धक नहीं निकालता है तो समिति निकाल दें । आप देखें उपखण्ड (५) में दिया है "उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन निकाला गया सहकारी समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से, जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक उक्त समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा. .।" मान्यवर, आपने दो वर्ष के लिये किसी को निकाल दिया और आगे और है—और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन

वर्ष की अवधि के लिये उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसको प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी पात्र नहीं होगा।

आपने दो वर्ष के लिये किसी को निकाल दिया और इसी बीच में आपने चाहा कि कोई सदस्य पुनः सदस्यता प्राप्त कर ले तो सदस्यता तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन प्रबन्धक कमेटी में उसको पद प्राप्त नहीं होगा। जब आपने उसे सदस्य मान लिया तो सदस्यता की पूरी योग्यता उसे प्राप्त हो गई। फिर किसी पद को प्राप्त करने के लिये वह अयोग्य क्यों होगा। दूसरे यह कि दो वर्ष का समय आपने रखा है। कम से कम समय रखना चाहिये था। एक वर्ष के लिए उसका रखा जाना मुनासिब है जैसा कि मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। एक बार जब आप उसे सदस्य मान लेते हैं तो फिर किसी पद के लिये उसको वंचित नहीं करना चाहिए। यह शक्ति सरकार जो ले रही है वह उचित नहीं है। अपनी कृपा करने का अधिकार अपने हाथ में न लें। तो श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि अनधिकार चेष्टा किसी को भी नहीं करनी चाहिये। एक सदस्य मान लिया गया है तो फिर उसको पुनः किसी पद पर आने के लिये रोक नहीं लगाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, यदि माननीय विजय सिंह जी यह संशोधन उपस्थित करते कि २ वर्ष बिलकुल ही निकाल दिया जाय तब तो ठीक रहता, लेकिन यह कहना कि २ वर्ष के बजाय एक वर्ष कर दिया जाय, यह प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि इसमें अपील की पावर दी गयी है। जब वह निकाला जायगा तो वह अपील भी करेगा। एक वर्ष तो अपील करने में ही लग जायगा। इसलिये मेरा खयाल है या तो यह मानना चाहिये कि २ वर्ष रखा जाय या यह कहिये कि यह बिलकुल ही निकाल दिया जाय।

दूसरी चीज यह है कि सहकारिता समिति के सदस्यों और प्रबन्धकों में अन्तर होता है। जब कोई किसी डिसक्वालीफिकेशन की वजह से निकाला जाता है तो वह सदस्य तो रह सकता है, लेकिन उसका प्रबन्धकों में रहना ठीक नहीं है क्योंकि वह उसकी गलती के लिये निकाला गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो बात कही उसके लिये मैं गाजीपुर जिले की बात उनको बताना चाहता हूं। उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत से ऐसे हैं जो निकाल दिये गये हैं त्रिपाठी जी वाले ग्रूप की ओर से। और गुप्ता जी वाली पार्टी ने यहां से लोगों को निकाल दिया है। फिर बताइये कौन निकाला गया है? माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिक से अधिक लोग उसके मेम्बर होने चाहिये और किसी को डिटेन नहीं किया जाना चाहिये। अगर मेजारिटी किसी को वैमनस्य की वजह से निकाल देती है और अपील से वह उसी असर के कारण हार जाता है, उस वक्त ऐसे आदमी को किस स्थिति में रखा जायगा? इसलिये दो वर्ष तक के लिये निकाले जाने का प्राविधान नहीं होना चाहिये। एक साल काफी है। एक साल के बाद अगर वह अपने को अमेन्ड कर लेता है तो उसको ले लिया जाना चाहिये। इसलिये २ साल के बजाय एक साल ही रखा जाना अधिक उपयुक्त होगा।

श्री बंशीधर पान्डेय—

श्रीमन्, पहले तो कमला सिंह जी कह रहे थे कि अनन्तकाल तक के लिये उसको हटा दिया जाय। जहां तक दो साल की बात है वह इसलिये जरूरी है कि एक साल तो अपील आदि

में ही लग जायगा फिर उसको अपनी गतिविधियों को चेन्ज करने के लिये भी समय की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि हमने एक प्रतिबन्ध रखा था जिसको प्रवर समिति ने निकाल दिया। रजिस्ट्रार को पावर्स रखी गयी थीं, लेकिन उन पावर्स को प्रवर समिति ने हटा दिया। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री विजयसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि दो वर्ष से कम में क्या होगा। दो वर्ष में उसे अपील वगरह करने का अधिकार हो जाता है और इसके लिये उसे समय मिल जाता है। यह बात जो उन्होंने कही वह इस आधार पर कही कि इसके पहले यह प्राविधान हो गया है कि दो वर्ष का समय ही उसके लिये रहेगा। मैं समझता हूं कि अच्छा हो कि आप अपने अधिकारियों से भी इस बारे में पूछ लें क्योंकि आपके इस कानून को कार्यान्वित करने के लिये जो आपकी मशीनरी है उसमें कहां तक क्षमता है कि वह इसको पूरा कर सकेगी। मैं समझता हूं कि किसी को पनिशमेन्ट देने के लिये एक वर्ष काफी है। अपील वगैरह करने की बात जो आपने कही है वह ठीक नहीं है, क्योंकि जब आदमी किसी समिति की सदस्यता के लिये योग्य हो गया तो किसी प्रबन्ध समिति में कोई पद धारण करने से उसे वंचित रखना, मेरी समझ से उचित नहीं है। सदस्य बन जाने के बाद किसी पद को धारण करने का अधिकार तो उसे मिलना ही चाहिये। अगर कोई राजनीतिक बात हो और यहां भी आप राजनीति की बात लावें तब तो बात दूसरी है वरना आपको उसके सदस्य हो जाने के पश्चात् किसी प्रबन्ध समिति में शामिल करने का प्राविधान इस विधेयक के अन्दर मान लेना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इसको जरा पढ़ लें और माननीय मंत्री जी को समझा दें कि वे मेरे इस संशोधन को मान लें क्योंकि यह जनहित की बात है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, दो वर्ष की अवधि रखना बहुत आवश्यक है इसलिये मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इस धारा को आप पढ़ें, उसमें बाकायदा माना गया है कि जब किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है और किसी संस्था से उनको निकाला जाता है तो उसके रिफार्म के लिए भी कुछ समय मिलना चाहिये। इसीलिये दो साल का समय रखा गया है। एक साल में वह अपना रिफार्म नहीं कर सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

तो तीन वर्ष तक पद न धारण करने की बात आप निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड २७ के उपखन्ड (५) की पंक्ति ३ के शब्द "दो" की जगह "एक" कर दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में "और वह फिर" से "पात्र नहीं होगा" तक हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २८

२८—इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी समिति के अंतिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा ।

सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि उन परिस्थितियों में जो नियत की जायें, ऐसे सदस्यों के, समिति की उपविधियों में व्यवस्थित रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवत, प्रतिनिधियों, में अन्तिम प्राधिकार निहित करने की व्यवस्था की जायगी और उस दशा में इस अधिनियम , नियमों या उपविधियों में सामान्य निकाय तथा सामान्य बैठक के निर्देश उस निकाय के प्रति जो सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो तथा ऐसे प्रतिनिधियों की सामान्य बैठक के निर्देश समझे जायेंगे :

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड २८ के प्रतिबन्ध की जगह निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह है कि उनके जहां किसी सहकारी समिति के उपबन्ध या नियम उस सहकारी समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों की छोटी उपसमिति बनाने की योजना रखते हों तो वह सदस्य उपबन्ध या नियमों के अनुसार, जो उस संबंध में बने हों, गुप्त मतदान से चुने जायें ।

प्रतिबन्ध यह है कि यह धारा उन अधिकारों को, जो किसी समिति या अधिकारी को नियमों के अनुसार दिये गये हों, सुरक्षित रखेगी ।"

श्रीमन्, जो धारा इस विधेयक में रखी गयी है उसको आप देखेंगे तो जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, उसकी और इसकी भावना में और अर्थ में कोई अन्तर नहीं है । केवल इतना ह कि उसको मैंने ठीक कर दिया है । मेरे पास केन्द्रीय सरकार के खाद्यान्न एवं कृषि मंत्रालय का एक प्रकाशन है उसका एक उदाहरण आपके सामने रखूं । केन्द्रीय सरकार ने सहकारिता की विधि के ऊपर एक कमेटी बनायी थी उसकी जो रिपोर्ट है (Report of the Committee in co-operative law) उससे मैं आपको बतलाना चाहता हूं । हमारा यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है हमारे इस बिल में शीर्षक दिया है 'सहकारी समिति के अन्तिम प्राधिकार" अब आप माडल बाई लाज में देखें कि कोआपरेटिव सोसाइटी क्या है । यह अंग्रेजी में है, मैं पढ़ रहा हूं बाद में इसका अनुवाद कर दूंगा । श्रीमन् इसका शीर्षक है Final authority in a co-operative Society, यह वही है जो शीर्षक उस खंड में दिया है —

"The final authority in a co-operative society shall vest in the general body of members :

Provided that, where the bye-laws of a co-operative society provide for the Constitution of a smaller body consisting of delegates of members of the society elected in accordance with such bye-laws, the smaller body shall exercise such powers of the general body as may be prescribed or as may be specified in the byelaws of the society;

Provided further that nothing in this section shall effect any powers conferred on a committee or any officer of a co-operative society by the rules or by the byelaws."

मैं इसका अनुवाद करूं तो वह वही होगा जो कि जो संशोधन मैंने आपके सामने रखा है । उसमें अन्तर केवल यह है कि मैंने इसमें गुप्त मतदान की बात और रखी है बाकी अनुवाद शत-प्रतिशत वहीं है । जो प्राविधान इसमें हैं आप इस प्रतिबन्ध को पढ़ें तो इसमें है कि प्रतिबन्ध यह है कि उन परिस्थितियों में जो नियत की जाय, ऐसे सदस्यों के, समिति की उपविधियों में

व्यवस्थित रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवत प्रतिनिधियों में अन्तिम प्राधिकार निहित करने की व्यवस्था की जाय और उस दशा में इस अधिनियम, नियमों या उप विधियों में सामान्य निकाय तथा सामान्य बैठक के निर्देश उस निकाय के प्रति जो सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो तथा ऐसे प्रतिनिधियों की सामान्य बैठक के निर्देश समझे जायेंगे। इसके पढ़ने के बाद में नहीं समझ सकता कि लोग इसके आशय को एकदम से समझ सकेंगे, इसको पढ़ने के बाद मतलम खब्त हो जाता है और मतलब साफ नहीं निकलता, आपको तमाम खण्ड को देखना पड़ेगा तब कुछ समझ में आयेगा लेकिन मेरे शब्दों से मतलब साफ स्पष्ट हो जाता है। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन जगदीश प्रसाद जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हू। अभी तक यह बराबर देखा जा रहा है कि कोई भी समिति जिले में हो वहां हमेशा जनरल बाडी ही फाइनल अथारिटी है। इस बिल में भी वही चीज है लेकिन इसके मेम्बरों का निर्वाचन किस तरह से हो इस बारे में मैं कुछ भिन्न विचार रखता हूं। जनरल बाडी के चुनाव में अभी तक यह परिपाटी रही है कि जिले के लोग इकट्ठा होते हैं और हर समिति का एक आदमी चुना जाता है और एक जगह बैठकर सब हाथ उठाकर निर्वाचन करते हैं। लेकिन जैसा कि श्री जगदीश प्रसाद ने रखा है कि कोई भी चुनाव हो चाहे जनरल मेम्बरशिप का हो या किसी कमेटी का हो हर चीज के लिये गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग हो, यह ज्यादा अच्छा होगा और अच्छे लोग जनरल बाडी में आ सकेंगे सब कमेटियों में भी अच्छे लोग आ सकेंगे। हो यह रहा है कि पार्टी पालिटिक्स के कारण कुछ लोगों की मानोपली होती जाती है और जब से समितियां कायम हुई हैं कुछ खास लोग ही बराबर उनमें छाये हुए हैं और वह मनमाने ढंग से काम करते हैं, गबन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उनका पर्दाफाश करने में भी कठिनाई होती है। इसलिये यह जरूरी है कि अच्छे आदमियों को लाने, मोनोपली को खत्म करने के लिये जरूरी है कि गुप्त मतदान द्वारा लोग आये। मंत्री जी अगर ख्याल करें तो इससे बहुत सुधार होगा। तो इसमें पार्टीबन्दी खत्म हो जायगी और अच्छे आदमी आ जायेंगे। उससे कोआपरेटिव सोसाइटीज के जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति में मदद मिलेगी और यह आन्दोलन सफलता के साथ चल सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

जैसा माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि इसमें कोई समिति बनने का प्रश्न नहीं है। जनरल बाडी जो होती है उसमें सामान्य और उसमें सर्वोच्च अधिकार होते हैं। अगर समिति बनाने का प्रश्न है तो वह तो धारा २९ में आलरेडी दिया हुआ है। धारा २८ जो है वह सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकार के सम्बन्ध में है। तो जो समिति का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है यह केवल एक भ्रम है। इस धारा में दिया हुआ है कि "इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी समिति का अन्तिम प्राधिकार (अथारिटी) उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा"। इसमें यह दिया है कि उन परिस्थितियों में जहां काफी सदस्य बन गये हैं, जहां नियत हैं वहां पर जनरल बाडी के सब सदस्यों के डेलिगेट, सौ, पचास या १ हजार, ऐसे लोग एक एक क्षेत्र में संचित रूप में वे रिप्लेस करेंगे उस स्थान को जो साधारण सभा और साधारण एसेम्बली करती है। तो इसमें समिति बनाने के या क्षेत्र समिति बनाने की बात उचित नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी स्वयं स्पष्ट नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि माडल बाई लाज हैं जैसे केन्द्रीय सरकार के हैं। उसका शीर्षक वही है और उसका अर्थ उसी

[श्री जगदीशप्रसाद]

कार्यकारिणी से है। यदि और डेलिगेट चुने जायेंगे तो उनके कार्य क्या होंगे, मेरी समझ में नहीं आता है। सार्वभौम जो पावर होगी वह तो जनरल बाडी में निहित होगी, लेकिन, उसके बाद एक छोटी समिति चुनी जायगी यदि उन्हें गुप्त रीति से चुनाव पर आपत्ति है तो वह उसे निकाल दें जितना ठीक समझते हैं वह रखें। तो जहां तक मेरा प्रश्न है मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मेरा जो संशोधन है वह बिल्कुल ठीक है परन्तु यदि अब भी माननीय मंत्री जी स्वीकार करने में असमर्थ हैं, मैं उसको वापस ले लूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

इसमें जो ज्यादा जोर "गुप्त मतदान से चुने जायं" पर दिया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद--

यदि इन शब्दों को आप चाहें, तो छोड़ दें।

श्री बंशीधर पांडेय--

गुप्त मतदान को तो नियमों में कर सकते हैं, बाईलाज में हो सकता है, लेकिन समिति का जहां तक सवाल है कि छोटी उपसमिति बनाने की योजना रखते हों तो ऐसी कोई योजना नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को वापिस कर लें। प्रबन्ध समिति आलरेडी बनी हुयी है।

श्री जगदीश प्रसाद--

मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९ व ३०

प्रबन्ध कमेटी

२९--(१) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार संघठित प्रबंध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें।

(२) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वही होगा जिसकी व्यवस्था नियमों अथवा समिति की उपविधियों में की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि वे अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध कमेटी के तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन नये निर्वाचन न हो जायें अथवा उपधारा (५) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्देशन न कर दिये जायें।

(३) उपधारा (२) में उल्लिखित कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् सहकारी समिति अपनी आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्यों का निर्वाचन करेगी, जैसी कि धारा ३२ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में व्यवस्था है, और तदुपरान्त इस प्रकर निर्वाचित सदस्य उन सदस्यों को प्रतिस्थापित करेंगे जिनका कार्यकाल उपधारा (२) अधीन समाप्त हो गया हो।

(४) यदि समिति उपधारा (३) की अपेक्षानुसार प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्यों का निर्वाचन न करे तो, निबन्धक लिखित आदेश द्वारा तथा उस आदेश की संसूचना के दिनांक से तीन महीने के भीतर समिति से ऐसे सदस्यों का निर्वाचन करने को कहेगा।

(५) यदि समिति इस पर भी प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन न करे तो निबन्धक स्वयं ऐसे व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकता है जो नियमों तथा उप-विधियों के अधीन प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए अर्ह हों, और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य तुरन्त प्रबन्ध कमेटी के उन निर्वाचित सदस्यों को प्रतिस्थापित करेंगे जिनका कार्यकाल उपधारा (२) के अधीन समाप्त हो गया हो।

(६) उपधारा (५) के अधीन निबन्धक द्वारा किये गये नामनिर्देशन के दिनांक से ६ महीने के भीतर, निबन्धक प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्यों का निर्वाचन करने के निमित्त समिति के सामान्य निकाय की एक समान्य बैठक बुलायेगा। जब समान्य बैठक प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्यों का निर्वाचन कर ले तब उपधारा (५) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति तुरन्त अपना पद रिक्त कर देंगे और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए बने रहेंगे।

३०—(१) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति तथा एक उप सभापति होगा जो नियमों तथा उप विधियों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित होंगे। **सभापति**

(२) सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ-प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा प्रबन्ध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायं। उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(३) उप सभापति, नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सभापति की अनुपस्थिति में, सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, और ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए, सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये जायें।

श्री विजय सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध में तीसरी लाइन से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :—

"अथवा उपधारा (५) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्देशन न कर दिये जायं।"

[श्री विजयसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व वाले खंडों में भी जगह-जगह उपरोक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और प्रबन्ध समिति से यह सम्बन्धित है। इसके जरिये अगर कोई निबन्धक ताकत ग्रहण कर ले तो फिर अतिक्रमण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर का, इसमें नाम भी नहीं रह जायगा। हर जगह इसमें नाम निर्देशन की प्रथा को अपनाया गया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब सामान्य मीटिंग बुलाई जा रही है तो साधारणतया सभी चुनाव हो ही जायगा। लोग अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होंगे। लाभान्वित होने के लिये प्रत्येक कार्य में। फिर नाम निर्देशन की क्या जरूरत है। बिल्कुल चुनाव न हो तो नाम निर्देशन रजिस्ट्रार की तरफ से हो जायगा इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल निष्कपट भाव इसमें प्रतीत नहीं होता। इस धारा के अनुसार ३ साल तक कोई आदमी प्रबन्ध समिति में रहता है इसके बाद देखा यह गया है कि ९, १० साल तक उसका नाम निर्देशन होता रहता है निबन्धक की मर्जी से। पी० सी० एफ० जब से बनी वही एक आदमी आज तक उसमें सभापति चले आते हैं क्योंकि नाम निर्देशन का अधिकार रजिस्ट्रार को मिला हुआ है। नये लोगों को मौका नहीं मिलता है। नाम निर्देशन से वही लोग बार-बार आते रहेंगे तो सोसाइटी को भी कोई लाभ नहीं होगा और सिद्धान्ततः अभिलक्षित आदेश फेल होगा। जो कार्य होगा वह दूषित होगा, जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस वाक्यांश को अगर निकाला नहीं जाता है तो जनतांत्रिक अधिकारों का भी अपहरण होता है। इसलिये मंत्री जी इसे मान लेंगे। नियम में रखने की बात अगर कही जाती है तो नियम तो रोज बदलते रहते हैं।

श्री कमलासिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विजय सिंह जी ने उपस्थित किया है उससे तो मैं सहमत नहीं हूं। इस मानों में यदि उस चीज को निकाल दिया जायगा जैसा कि संशोधन रखा गया है...

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

मान्यवर मेरा अगला संशोधन इसी से सम्बन्धित है। इसमें कुछ शब्द निकालने हैं और मेरा संशोधन यह है कि उपखंड (५) और (६) को निकाल कर नया उपखंड (५) रख दिया जाय दोनों बिल्कुल एक ही हैं। इसलिये वह भी संशोधन पेश हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मूव कर लीजिये।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ के उपखंड (५) व (६) निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर एक नया उपखंड (५) निम्न प्रकार से रख दिया जाय--

"यदि उपधारा (४) के अपेक्षानुसार समिति प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन न करे तो उस उपधारा में उल्लिखित अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् समिति विधिवत् गठित न समझी जायगी और वह तब तक कार्य करना बन्द कर देगी जब तक वह प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन विधिवत न कर ले।"

मान्यवर, जैसा माननीय विजय सिंह जी ने कहा कि धारा २९ में प्रबन्ध कमेटी के गठन का प्राविधान किया गया है। हर समिति नियमों के अनुसार अपनी प्रबन्ध कमेटी का गठन करेगी और जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जायगा तो जनरल बाडी की मीटिंग बुला कर नई कमेटी बनायेगी। अगर कोई समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी नहीं बनाती है तो निबंधक आदेश देगा कि जनरल बाडी की मीटिंग बुला कर ३ महीने में चुनाव कर ले। इसके बाद भी यदि वह समिति चुनाव नहीं करती है तो उपखंड (५) में अधिकार दिया गया है कि निबंधक प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों को नामजद कर दे और उपखंड (६) में यह प्राविधान किया गया है कि वह

६ महीने में जनरल बाडी की मीटिंग बुला कर चुनाव करायेगा। मेरे संशोधन का आशय यह है कि यह अधिकार निबन्धक को नहीं देना चाहिये क्योंकि अगर कोई समिति इस स्थिति में न हो कि वह प्रबन्ध समिति का निर्वाचन कर सके तो निबन्धक द्वारा नामजदगी से उसके ऊपर कमेटी थोप दी जायगी तो व्यावहारिक रूप से उनमें सहयोग नहीं होगा और आये दिन दिक्कतें पड़ेंगी।

मान्यवर, मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि मुझे इस बात में विश्वास नहीं है कि निबन्धक निष्पक्ष होकर ' कमेटी के मेम्बरों का निर्वाचन करेगा क्योंकि सोसाइटियों में राजनीतिक दांव पेंच चलते रहते हैं और अक्सर सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष में टकराव होता है। निबन्धक सरकार के प्रभाव में आकर नामजद करेगा। वह निष्पक्ष नहीं रह सकता है। जब मैं इस बात को कहता हूं कि मुझे रजिस्ट्रार में विश्वास नहीं है तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि रजिस्ट्रार एक जिम्मेदार अधिकारी है। हमें उसमें विश्वास रखना चाहिये। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब मैं यह शब्द कहता हूं क्योंकि आज जो परिस्थिति है और जिस तरह से नौकरशाही निरंकुश हो रही है तो मेरा विश्वास कुंठित हो जाता है और ऐसे संशोधन रखने की जरूरत पड़ जाती है। नौकरशाही का इस प्रकार निरंकुश होने में उसका कोई दोष नहीं है, बल्कि सरकार स्वयं उसको निरंकुश बनाती है क्योंकि सरकार अपने कर्त्तव्य की अवहेलना कर रही है और मनमाने ढंग से नौकरशाही को अपने निजी व राजनैतिक हितों के लिये निरंकुश बना रही है। आज तक मैंने ऐसा कोई कानून नहीं देखा जिस में यह कहा गया हो कि किसी अधिकारी के यह कर्त्तव्य हैं और साथ ही यह भी प्राविधान किया गया हो कि वह उन्हें पूरा करे या न करे बल्कि कर्त्तव्य पूरा न करने पर उसे दंडित करने का प्राविधान अवश्य होता है। ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें यह प्राविधान है कि निबंधक के जो कर्त्तव्य है उन्हें वह चाहे पूरा करें या न करें।

इस सम्बन्ध में मैं उदाहरण दे कर बताना चाहता हूं। धारा ७ में पिछले दिन सरकार की तरफ से माननीय कृष्णानन्द राय के नाम से जो संशोधन स्वीकार किया गया उसमें प्रतिबन्ध है कि किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिये निबंधक के पास दरख्वास्त जाती है तो उसका कर्त्तव्य है कि या तो रजिस्टर करे या उसको रजिस्टर करने से इनकार कर दे। लेकिन इसी धारा में निबंधक को सरकार ने छूट दे दिया कि चाहे वह यह आदेश दे या न दे और तीन महीने तक बिना किसी कार्यवाही के प्रार्थना पत्र को दबाये बैठा रहे। रजिस्ट्रार के लिये बिलकुल छूट है। प्रार्थी को जरूरत होगी तो तीन महीने की अवधि के बाद सरकार के पास जायगा और प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेगा। तीन महीने तक रजिस्ट्रार को छूट है कि चाहे तो निबन्धन करे या न करे। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर निबंधक अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी, बल्कि प्रार्थी दौड़ेगा और सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन करेगा। हम अपने अनुभवों के आधार पर दृढ़ता से कह सकते हैं कि सरकार अधिकारियों को अपने हितों में, पार्टी के हितों में, अपने गुट के हितों में प्रयोग करती है और निरंकुश बनाती है। इसलिये जो प्रबन्धक कमेटी निबन्धक के जरिये नामिनेट होगी उससे निष्पक्षता नहीं होगी और प्रबन्धक कमेटी और जनरल बाडी में टकराव होगा। इसलिये निबन्धक को प्रबन्ध कमेटी को नामजद करने का अधिकार कतई नहीं होना चाहिये। इन दोनों धाराओं को निकल जाना चाहिये और एक नई उपधारा जिसका मैंने प्रस्ताव किया है जोड़ दी जानी चाहिये। माननीय विजय सिंह जी ने जो संशोधन रखा है वह इसका पार्ट है। इसलिये यह दोनों संशोधन स्वीकार होने चाहिये।

*श्री कमलसिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भीखालाल जी को धन्यवाद दूंगा। जो दिक्कत हमारे सामने थी उन्होंने हल कर दी। माननीय विजय सिंह का संशोधन अगर मान लिया जाता और उनका संशोधन न रहता तो बड़ी दिक्कत होती। माननीय विजय सिंह और माननीय भीखालाल जी ने मिल कर जिस रूप में संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। रजिस्ट्रार को पावर है कि यह इनकार कर सकता है या निबन्धन कर सकता है। लेकिन जब वह चुप रहे तो छूट है। सहकारी समिति अगर समय से निर्वाचन नहीं करवाती है तो उसके लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला सिंह यादव]

कोई छूट नहीं है। विधेयक के खंड ४ में साफ दिया हुआ है कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी से निर्वाचन करवायेंगे । शब्द शैल है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब रजिस्ट्रार तुल जायगा यहां कि इतने सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिये और सोसाइटी का निर्वाचन करना होगा, तो मैं समझता हूं कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होगी जो कि ऐसे सदस्यों का निर्वाचन न कर सके । श्रीमन्, ऐसी हालत में जब कि सोसाइटी अपने सदस्यों का निर्वाचन खुद करने के लिये तैयार है, उस वक्त कोई भी नामांकन की प्रथा नहीं डालनी चाहिये और न रजिस्ट्रार को पावर देनी चाहिये कि वह किसी भी प्रकार के सदस्य का नामांकन कर सके । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो पावर आप रजिस्ट्रार को देने जा रहे हैं, वह बहुत बड़ी पावर है, जो किसी भी कीमत पर उसे नहीं दी जानी चाहिये। नियमों में यह भी है कि यदि कोई सदस्य गलत काम कर रहा हो, बाइ-लाज के खिलाफ काम कर रहा हो तो उस स्थिति में उसके रिन्यूवल की भी व्यवस्था इसमें की गयी है, तो किसी भी सदस्य के रिन्यूवल की व्यवस्था इस नियम में दी हुई है । तो केवल ऐसी परिस्थितियों के लिये रजिस्ट्रार को ज्यादा से ज्यादा पावर यह होना चाहिये कि ऐसे सदस्य को जो बाई-लाज के प्रतिकूल काम करे, निकाल दिया जाये । लेकिन यह कहा जाय कि रजिस्ट्रार को यह पावर दी जाये कि वह किसी सदस्य का नामांकन कर दे तो मैं समझता हूं यह किसी भी कीमत पर काबिले बरदाश्त की बात नहीं है। सहकारी समिति जनता के सहयाग से और उनकी भावनाओं के अनुकूल चलनी चाहिये, उसको सरकारी हमें नहीं बनाना है । उस सहकारिता का जो भाव है, उस सहकारी भाव से हमें उसे आगे बढ़ाना है । रजिस्ट्रार वगैरह को हम नामांकन करने की ताकत देंगे तो वह उन्हीं आदमियों का नामांकन करेंगे जो सरकारी आदमी होंगे । इसलिये आवश्यक यह है कि उसमें समाजसेवी और सहकारिता के जानकार लोग सदस्य हो, इसलिये ऐसे ही आदमियों को बढ़ावा दिया जाये जो सहकारिता की भावना में पूर्ण तरह से विश्वास रखते हों । इसलिये अधिकारियों को इस तरह का नामांकन का मौका बिलकुल नहीं देना चाहिये, बल्कि समितियों को पूरा मौका देना चाहिये कि वह अपने सदस्यों का चुनाव स्वयं करें ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

जो संशोधन विजय सिंह जी ने प्रस्तुत किया है और श्री भीखालाल जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, विजय सिंह जी ने कहा कि यह संशोधन करने से विधेयक डेमोक्रेटिक ज्यादा हो जायगा । मैं कहता हूं यह बिलकुल उल्टी बात है, इससे बिलकुल अप्रजातांत्रिक हो जायगा । उसमें ऐसा है क्लाज २—३ के अनुसार अगर कोई समिति अपनी प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव नहीं करती है, उन्हीं पुराने सदस्यों को कन्टीन्यू किये जाती है तो क्या इलाज है ? यह इलाज है कि हम रजिस्ट्रार को पावर दें कि वह नामंकित कर दे क्योंकि वह यदि पुराने सदस्य ही चलते रहेंगे तो वह अपनी मनमानी और निरंकुश कार्य करेंगे तथा यह प्रजातंत्र की भावना का हनन होगा। क्लाज ५ में साफ दिया हुआ है "यदि समिति इस पर भी प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन न करे तो निबन्धक स्वयं ऐसे व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकता है जो नियमों तथा उप विधियों के अधीन प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अर्ह हों" यानी जो ऐसी योग्यता रखते हैं, ऐसे आदमियों में से ही वह नामंकित होंगे, ऊपर से नहीं थोपे जायेंगे । यह तो एक प्रजातांत्रिक नियमों में ढालने की बात है । इसके आगे उपधारा ६ में स्पष्ट है जिससे सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है—"उपधारा (५) के अधीन निबन्धक द्वारा किये गये नाम निर्देशन के दिनांक से ६ महीने की भीतर, निबन्धक प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्यों का निर्वाचन करने के निमित्त समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक बुलायेगा। यदि सामान्य बैठक प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्यों का निर्वाचन कर ले तो उपधारा (५) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति तुरन्त अपना पद रिक्त कर देंगे और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिये बने रहेंगे । तो यह चीज मेरी समझ में नहीं आती कि उलटे चश्में से इस चीज को देखा जाय । एक चीज और भीखालाल जी न कही कि कामकाज बन्द कर देना चाहिये, यह कैसी अप्रासंगिक बात है । आजकल सोसाइटियां जो हैं वह जीवन का एक आवश्यक अंग बन गयी हैं ।

कि चुनाव नहीं हो पाये तो सोसाइटी को खत्म कर दे यह तो बड़ी अव्यावहारिक बात है। धारा ७ का उदाहरण दिया गया कि निबन्धक को छूट दे दी गयी है। छूट नहीं दे दी गयी है बल्कि उस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आप उसको भी गलत समझे हैं। उसमें यह है कि ३ महीने के लिये लागू करें और उस बीच में अपील वगैरह भी हो सकती है। इन शब्दों के साथ मूल विधेयक में जो कुछ है उसका मैं समर्थन करता हूं और भीखालाल जी और विजयसिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री प्रेमसिंह ---

मैं, मान्यवर, विजयसिंह जी, भीखालाल जी और कमलासिंह जी की बातों से सहमत हूं। नाम सहकारिता का है मगर बात यहां बिलकुल उलटी दिखाई देती है। सहकारिता का मतलब है कोआपरेशन लेकिन विधेयक में जो कुछ है उससे तो बिलकुल असहकारिता दिखाई देती है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

मान्यवर उपखंड ५ और ६ के हट जाने के बाद अब जो संशोधन करने का प्राविधान भीखालाल जी प्रस्तावित कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यहां निबन्धक के अधिकारों की सराहना करते हुये यह चर्चा की गयी कि निबन्धक तो सही समय पर काम को चलाने के लिये कार्यवाही करेगा और अगर निबन्धक वह नहीं करता है तो सोसाइटियों का काम बन्द हो जायगा। लेकिन अगर सोसाइटियों पर अंकुश रखा जाय कि अगर तुम इस समय के अन्दर निर्वाचन नहीं कर लोगे तो तुम्हें अपना काम बन्द करना पड़ेगा, अगर सोसाइटियों का जो विशेष व्यापार चल रहा है उनको हानि पहुंचेगी तो वे जरूर समय के अन्दर निर्वाचन करा लेंगे। निबन्धक को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी और नामिनेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निबंधक का प्राविधान जो किया गया है वह ऐसा मालूम पड़ता है जैसा कि ब्रिटिश राज्य में नाममात्र के लिये गवर्नर बिठाल दिया जाता था जब असेम्बली का संगठन किया जाता था और जब उसमें कोई अड़चन आती थी तो फौरन गवर्नर साहब का अंकुश आ जाता था और असेम्बली के सदस्यों को अधिकार नहीं रहता था। सहकारिता का सिद्धान्त ही निर्वाचन पर आधारित है और सब सदस्य अपनी जिम्मेदारी ले कर चलते हैं और अपने व्यापार और कृषि को चलाने की कोशिश करते हैं अब उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं आ पायेगी। इसलिये इस दृष्टि से यह संशोधन मान्य है और उसी के साथ-साथ तीन महीने की मियाद के लिये उन्होंने कहा है माननीय विजयसिंह का पूरक संशोधन है जिसका अच्छा खासा विश्लेषण माननीय कमलासिंह जी ने किया है। उनके रहते हुये सहकारी समिति के सदस्य कोई गफलत नहीं करेंगे और न कोई गलत कार्य करेंगे।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री---

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन हाउस के सामने रखा गया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जैसा यह कहा जाता है कि जो टाइम निर्दिष्ट हो उस टाइम के भीतर अगर एक्जीक्यूटिव फार्म न कर ले तो रजिस्ट्रार नामिनेशन कर देगा। मुझे यह चीज खटकती सी है वह जो कहते हैं कि ६ महीने के बाद बुलाकर फिर उसको कायदे से चुनाव करायेगा तो यह ५ महीने का सवाल क्यों पैदा होता है। वह काम रजिस्ट्रार तभी कर सकता है। हमेशा रजिस्ट्रार को अधिकार है कि किसी भी समय वह जनरल बाडी को बुला सकता है। साधारण सभा की तो बात ही क्या है। तो उस सभा को बुलाकर वह इस बात को देख सकता है। इस कारण जो यह नामनिर्देशन वाली बात है यह कुछ खटकती है। मैं समझता हूं उस चीज के बजाय यह रखिये कि रजिस्ट्रार साहब उस सभा को बुलाकर एक कमेटी फार्म कर दें।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

इस बात पर बड़ा विवाद हो गया। माननीय भीखालाल जी और कमलासिंह जी ने अपने भाषण दे दिये। मान्यवर, इसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया कि रजिस्ट्रार किन

[श्री बंशीधर पाण्डेय—]

परिस्थितियों के अन्दर नाम निर्देशन करेगा। आये दिन इस हाउस में चर्चा होती रहती है। कितने ही गबन हो गये लेकिन वे लोग जमे रहते हैं और हटना नहीं चाहते हैं। मैंने कई इस तरह की सोसाइटी देखी हैं कि उन्होंने उस सोसायटी पर कब्जा किया हुआ है। प्रबन्ध समिति में आये दिन रजिस्ट र गायब है, पूंजी वाले रोते हैं और उनका टाइम बढ़ता चला जाता है। वे निकलने का नाम नहीं लेते हैं। इस चीज को रोकने के लिये यह किया जा रहा है। चुनाव का प्राविधान है। पुराने निर्वाचित सदस्य प्रबन्ध समिति में काम करते रहते हैं और उसके सदस्य बने रहते हैं जब तक कि उपधारा ३,४ के मुताबिक पूरा निर्वाचन न हो जाय। धारा ५ के मुताबिक रजिस्ट्रार कितना भी कहता रहे, तीन महीने का चुनाव का कार्य भी हो जाय वे रजिस्टर गायब कर देते हैं और इस तरह से पुरानी कमेटी बनी रहती है। रजिस्ट्रार किसी धारा के अन्तर्गत उनको बाध्य नहीं कर सकता है कि हटाये और चुनाव कराये। माननीय सदस्य को पता नहीं है कि इसका क्या असर होने वाला है। इस सारी कमी को दूर करने के लिये यह किया जा रहा है। पहले वह ३ महीने का नोटिस देगा कि उस अवधि के अन्दर वह चुनाव करा दे। उसके बाद भी अगर वह नहीं करते हैं तो फिर उसके लिये पावर दी गई है। अगर आप रजिस्ट्रार की उस पावर को काट देते हैं तो फिर कोई ताकत नहीं रह जाती है जो उस कमेटी को भंग कर सके। वह सैकड़ों साल तक चलती चली जायगी। किसी नियम के अनुसार उसको रोकने का अधिकार नहीं है।

भोखालाल जी ने कामरोको प्रस्ता वही पेश कर दिया कि अगर कमेटी चुनाव न करे तो नाम निर्देशन भी न करें। सब कारोबार ठप्प हो जायगा। रजिस्टर गायब हो जायगा तो पूंजी वाले लोग चिल्लाते रहेंगे। कोई चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिये यह रखा गया है कि एक अपने कार्यकाल की समाप्ति पर वह चुनाव कर लें। अगर नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार के आदेश पर ३ महीने का नोटिस चला जायगा। फिर भी नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार नामजदगी कर देगा। वह नामजद कर के ६ महीने की जो अवधि है उसमें वह फार्म हो जायगी। माननीय सदस्य कहते हैं कि यह अवधि ज्यादा है।

कभी-कभी उसको रजिस्टर बनाना पड़ता है, कभी साधारण सभा के सदस्यों का रजिस्टर उसे तैयार करना पड़ता है और रसीदें मिला-मिला कर काम करना पड़ता है। मेरे सामने ऐसे केसेज आये हैं और इसलिये ६ महीने का समय आवश्यक है। यह तो आपके ही हित में है। यह अनावश्यक समय के लिये प्रोलांग नहीं किया जायगा और इसी के लिये रजिस्ट्रार आया है। वह कोई फारेन एलीमेन्ट नहीं है और इसलिये उस पर अविश्वास करने की बात भी नहीं हो सकती। इसलिये मैं इसको अनावश्यक समझता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

श्री विजय सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बड़े जोर-शोर से अपनी बात कही। अगर कमेटी वाले बेईमान हैं तो सरकार नाम निर्देशन करेगी और ६ महीने के भीतर चुनाव करवा लेगी और इसके बाद भी अगर कमेटी चुनाव नहीं करवाती है तो उन का कहना है कि वही लोग हावी रहेंगे। अगर कोई दूसरे आदमियों के आने की बात होती है तो वह कह देंगे कि कागजात खो गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप में कहां से क्षमता आयेगी कि आप ६ महीने के अन्दर चुनाव करा लेंगे। अगर सोसाइटी में अच्छे लोग होंगे तो आप चुनाव पहले भी करा सकते हैं। अगर वे सदस्य निकृष्ट हैं तो आप सोसाइटी को समाप्त कर दीजिये। दूसरी बात मंत्री जी ने कही कि वह निष्पक्ष तरीके से यहां काम करेगा। लेकिन इस में कौन-सा प्रजातांत्रिक ढंग है इसका निर्णय करना कठिन है। आप के अधिकारी तो इस संशोधन की बात बिलकुल नहीं मानना चाहेंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि यदि आप इसको नहीं मानते तो उस सोसाइटी को वाइंड अप कर देना ज्यादा अच्छा होगा

श्री कमलासिंह यादव —

सरकार को अधिकार है कि सोसाइटियों में वह अपने आदमियों का नामांकन कर दे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे विरोधी पक्ष के किसी आदमी का नाम बता दें जिसका सरकार ने नामांकन किया हो।

श्री भीखालाल—

मैंने मंत्री जी की बातों को बड़े गौर से सुना। मैं महसूस करता हूं कि इस धारा में मंत्री जी ने निबंधक को यह अधिकार दिलाने के लिये बड़ी खूबसूरती से प्राविधान किया है और जब अधिकारों को काटने की बात की जाती है तो सरकार कहती है कि लोग हाई कोर्ट में चले जायंगे तो हम क्या करेंगे। उपधारा २ में दिया है कि अगर प्रबंध कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो जाय और जनरल बाडी नयी प्रबंध कमेटी न बनाये तबतक वह पुरानी कमेटी ही काम करती रहेगी। आप भय दिखाते हैं कि सामान्य सभा प्रबंध समिति का निर्माण नहीं करेगी तो वही पुरानी समिति वर्षों तक चलती रहेगी। आपको यहीं पर लिखना चाहिये था कि सामान्य सभा को नयी प्रबंध समिति का निर्माण ६ महीने के अन्दर कर लेना पड़ेगा। आपने यह भी कहा कि अगर रजिस्ट्रार को नाम निर्देशन का अधिकार न दिया जाय और प्रबन्ध कमेटी न बन सके और रजिस्टर गायब कर दे या फाड़ डाले तो कैसे कार्य चलेगा और कमेटी बनेगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिये रजिस्ट्रार ने उपधारा (५) के अन्तर्गत कमेटी का नाम निर्देशन कर दिया और धारा ६ के अन्दर अगर ६ महीने तक उसने उस कमेटी को नहीं बुलाया और सामान्य बैठक बुलाने पर भी बैठक नहीं हो पाती तब क्या परिस्थिति पैदा होगी? उस समय समिति की क्या हैसियत होगी। वह फंकशन करेगी या नहीं? कौन से अधिकार से आप उसको चलायेंगे? यह जो दलील दी गयी कि रजिस्टर फाड़ दिये जायेंगे, यह होगा, वह होगा कभी ऐसा नहीं होता। जब अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप होता है तभी यह हो सकता है। उन्हीं के हस्तक्षेप से रजिस्टर भी फाड़ा जा सकता है और गबन तक होता है। इसलिये सरकार आबिट्रेरी अधिकार देने के लिये जो यह लूपहोल्स रखती है मैं इसका विरोध करता हूं। यह जो आशंकायें व्यक्त की गयी है यह गलत हैं। ऐसा होने वाला नहीं हैं। मैं कहता हूं कि ६ महीने के बाद अगर कोई रजिस्टर फाड़ता है तब क्या होगा? इसलिये मैं कहता हूं कि यह जो अधिकार रजिस्ट्रार को दिये जा रहे हैं यह अवांछनीय हैं इसमें जरूर परिवर्तन होना चाहिये, वह चाहे आप यहां कर दें या दूसरी जगह कर दें। उसके लिये कोई दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं। लेकिन यह पावर्स रजिस्ट्रार को देना उचित नहीं है।

श्री बनारसी दास —

संयुक्त प्रवर समिति में क्या आपने इसका विरोध किया था?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उसकी परम्परा तो माननीय बनारसीदास जी ने स्वयं कल तोड़ दी।

श्री भीखालाल—

यह आवश्यक नहीं है कि वहां हर संशोधन का विरोध हो और उसके संबंध में अपनी टिप्पणी दी जाय। वहां जो भी संशोधन स्वीकार होते हैं वे ऐसा नहीं है कि सर्व सम्मति से होते हों।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय भीखालाल जी ने जो कहा ठीक हैं, मगर प्रवर समिति में इस पर विचार हुआ था। इसको आप अंग्रेजी में जरा पढ़े, उसमें यह है:—

"रजिस्ट्रार को ६ महीने के अन्दर मीटिंग बुलाना अनिवार्य होगा।"

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

समय का ध्यान रखिये। १३३ क्लाजेज हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बाद प्रस्तावक महोदय बोलें और गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब हो जाय।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

मैं मानता हूं भीखालाल जी का कोआपरेटिव का अनुभव है। मैं भी मानता हूं कि हमारा भी है लेकिन इसमें राधेश्याम जी को नहीं होगा। मैं कहता हूं कि कोआपरेटिव सोसायटी का चुनाव आवश्यक करने के लिये यह धारा अनिवार्य है। आप रोजाना कहते हैं कि कोआपरेटिव में गबन हो गया, इसमें आठ-दस साल चुनाव नहीं होते।

श्री राधेश्याम शर्मा--

एक बुराई को रोकने के लिये दूसरी बुराई नहीं पैदा की जा सकती।

श्री वंशीधर पांण्डेय--

दूसरी बुराई स्टाफ के प्लेटफार्म बनाने में है। हमारी सूचना देने के बाद भी नहीं करती है जबकि एक तो कार्यकाल समाप्त हो गया हो और दूसरे तीन महीने और रजिस्टरी के कार्य के लिये देते हैं तब निदेशक उनको नामजद कर देगा और उस बीच में वह अपनी इलेक्टोरल सूची तैयार करके चुनाव लाजिमी कर देगा। मैं समझता हूं कि इसमें रजिस्ट्रार का रहना आवश्यक है।

श्री कमला सिंह यादव--

जब उसकी नीयत खराब हो तो कैसे चुनाव होगा?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

समिति को तो रजिस्ट्रार भंग कर देगा। समिति तो उसी दिन बन्द हो जायेगी, अपनी सूचना देने के बाद कार्य नहीं करेगी। धारा ४ इस प्रकार है--"यदि समिति उपधारा (३) की अपेक्षानुसार प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्यों का निर्वाचन न करे तो निबन्धक लिखित आदेश द्वारा तथा उस आदेश की संसूचना के दिनांक से तीन महीने के भीतर समिति से ऐसे सदस्यों का निर्वाचन करने को कहेगा।' यदि नहीं कहेगा तो (५) में है "यदि समिति इस पर भी प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन न करे तो निबन्धक स्वयं ऐसे व्यक्तियों को नामिनिर्दिष्ट कर सकता है"... इसलिये मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट है इसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष --

क्या वापस ले रहे हैं?

श्री भीखालाल --

नहीं ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खंड २९ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध में तीसरी लाइन से निम्निलिखित शब्द निकाल दिये जायं:

"अथवा उपधारा (५) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्देशन न कर दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २९ के उपखण्ड (५) व (६) निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर एक नया उपखण्ड (५) निम्न प्रकार से रख दिया जाय:

'यदि उपधारा (४) की अपेक्षानुसार समिति प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन न करे तो उस उपधारा में उल्लिखित अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् समिति विधिवत् गठित न समझी जायेगी और वह तब तक कार्य करना बन्द कर देगी जब तक वह प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन विधिवत् न कर लें।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ )

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २९ व ३० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## खंड ३१

सचिव, उसकी उपलब्धियां और कृत्य

३१—(१) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा, जो [नियत रीति से] नियमों और धारा १२१ और १२२ के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति द्वारा नियुक्त किया जायगा और हटाया जा सकेगा। सचिव की उपलब्धियां (emolument) और उसकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जिनकी व्यवस्था समिति की उपविधियों में की गयी हो। ये उपविधियां तदर्थ बनाये [जाने वाले नियमों] गये नियमों तथा विनियमों के अनुरूप बनायी जायेंगी।

(२) सचिव समिति का मुख्य कार्य पालक अधिकारी होगा और सभापति तथा प्रबन्ध कमेटी के ऐसे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये जिसकी व्यवस्था नियमों या समिति की उपविधियों में की जाय, वह

(क) समिति के कार्य के सम्यक प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा ;

(ख) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा ;

(ग) समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसके लेखों का परिचालन करेगा और उस व्यवस्था को छोड़कर जब समिति को कोई रोकड़िया या कोषाध्यक्ष हो, उसकी रोकड़ बाकी का प्रबन्ध करेगा तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा ;

(घ) समिति की ओर से और उसके लिए सभी लेख्यों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा ;

(ङ) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने का उत्तरदायी होगा ;

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी और प्रबन्ध कमेटी द्वारा संघटित किसी उप-समिति की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रखेगा ; और

(छ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

[श्री उपाध्यक्ष[

(३) कोई सहकारी समिति धारा १२१ या १२२ के अधीन बने नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि आवश्यक हो तो सचिव की सहायता के लिये एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है और उसे या उन्हें सचिव के ऐसे अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को सौंप सकती है जिन्हें समिति उचित समझे ।

(४) किसी सहकारी समिति के विरुद्ध हो जाने के पश्चात् और ऐसे समय तक जब तक कि उपधारा (१) के अधीन उसके सचिव की नियुक्ति न हो जाय, अथवा छः महीने तक, जो भी पहले हो, सचिव कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन समिति के ऐसे सदस्य द्वारा किया जायगा जिसकी व्यवस्था नियमों तथा समिति की उपविधियों में की जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३१ के उपखण्ड (३) को बदल कर निम्नलिखित रख दिया जाय :

(३) कोई सहकारी समिति नियमों, अपनी उपविधियों और धारा १२१ या धारा १२२ के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सचिव की सहायता के लिये यदि आवश्यक हो एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है और उसे या उन्हें सचिव के ऐसे अधिकार तथा कर्त्तव्य सौंप सकती है जो वह (समिति) उचित समझे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मैंने दिया है यह बिलकुल मौलिक है और कुछ शब्द ऐसे थे जो अपने उपयुक्त स्थान पर नहीं थे, उन शब्दों को अपने उपयुक्त स्थानों पर बैठाने के लिये यह संशोधन मैंने पेश किया है । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस संशोधन को कबूल करेगी ।

श्री वंशीधर पाण्डेय--

मैं इसे कबूल करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारी तरफ कहावत है 'दाना न घास खरहरा' । सोसाइटी के पास ऐसे ही पैसे की कमी रहती है और इसमें एक सचिव के अतिरिक्त दो या तीन सचिव रखने की बात कही गई है । मेरी समझ में नहीं आता कल्पनाथ सिंह जी के दिमाग में यह बात कहां से आ गई, पाण्डेय जी ने डाल दी क्या ? सोसाइटी की क्या क्षमता है, वह एक से अधिक सचिव कैसे रख सकेगी ?

श्री कमला सिंह यादव--

मैं इसका विरोध इसलिये कर रहा हूं श्रीमन्, कि अभी तक तो एक सचिव रखने की बात थी और तब से कोआपरेटिव सोसाइटियां अधिकतर घाटे में चल रही हैं, उनकी क्षमता ऐसी नहीं है कि एक से ज्यादा वह रख सकें । इसमें यह है कि एक या एक से अधिक सचिव भी रखा जा सकेगा । मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है । इसकी जगह अगर सबार्डिनेट अधिकारी जो हैं उन्हीं से काम लिया जाय और उनकी तनख्वाह कुछ बढ़ा दी जाय तो वह ज्यादा अच्छा होगा और वह काम भी कर सकेंगे, उनको एक तरह से बढ़ावा और प्रोत्साहन भी मिल सकता है । इन शब्दों के साथ मैं यह समझता हूं यह संशोधन रखकर जो रुपया बरबाद करने की बात रखी जा रही है, इससे बढकर गलत काम और नहीं होगा ।

श्री विजय सिंह--

माननीय कमला सिंह ने इसका घोर विरोध किया, मैं इसका घनघोर विरोध करना चाहता हूं और उसका कारण यह है कि इन समितियों की आर्थिक दशा खराब होती है। उपधारा (३) जो है वह प्रवर समिति द्वारा मान ली गई है, तो माननीय मंत्री जी क्यों उसका उल्लंघन कर रहे हैं ? मैं समझता हूं कि एक सचिव काफी है। माननीय कल्पनाथ सिंह का जो संशोधन है मैं समझता हूं यह तो सरकार की तरफ से आया है, और मान तो लिया ही जायगा, लेकिन अगर न मानें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बनारसी दास--

इसमें तो केवल एक शाब्दिक संशोधन है। कमला सिंह जी जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, १२१ और १२२ के मातहत उपनियम बनेंगे, उसमें इन सोसाइटीज का वर्गीकरण होगा और इसलिये यह एक एनेब्लिंग क्लाज है, जहां पर आवश्यक होगा, जहां टर्नओवर ज्यादा होगा वहां रखेंगे, जहां टर्न ओवर कम होगा वहां नहीं रखेंगे। तो यह तो उपनियमों में इसकी व्यवस्था होगी जैसा कि १२१ और १२२ में स्वीकार किया है। यह एक एनेब्लिंग क्लाज है और यह संशोधन तो शाब्दिक है, वैसे भी सुधार किया जा सकता है।

श्री कमला सिंह यादव--

अगर एक से अधिक सचिव चुन लिये जायंगे तो नतीजा यह होगा कि तीन-तीन सचिव होंगे और वह इक्वीवेलेन्ट रूप से काम करेंगे। आप देखें कि जहां एक से अधिक रजिस्ट्रार चुनने की व्यवस्था है वहां यह दिया हुआ है--

The person or the persons so appointed to assist the Registrar and on whom any powers of the Registrar are conferred, shall work under the general guidance, superintendence and control of the Registrar. तो सचिव की गाइडेन्स में या उसके कंट्रोल में यह दूसरा सचिव काम करेगा। मेरी समझ से इसलिये यह संशोधन मानने योग्य नहीं है। सारा काम अवैध हो जायगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहता था और जो अपनी जगह पर है वह तो है ही। केवल शब्दों का हेरफेर है। इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। अगर वह वापिस ले लें तो अच्छा है वरना न सही।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह बिलकुल शाब्दिक संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ३१ के उपखण्ड (३) को बदल कर निम्नलिखित रखा जाय--

(३) कोई सहकारी समिति नियमों, अपनी उपविधियों और धारा १२१ या धारा १२२ के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सचिव की सहायता के लिये यदि आवश्यक हो, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है और उसे या उन्हें सचिव के ऐसे अधिकार तथा कर्त्तव्य सौंप सकती है जो वह (समिति) उचित समझे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ३१ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
३१ अगस्त, १९६५ ई०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न नियम ३९(२) के प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

## सूची

उन व्यक्तियों की सूची जिनको १ जून, १९६४ के बाद कनेक्शन दिये गये।

| क्रम-संख्या | नाम तथा पता | | कनेक्शन देने की तिथि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ |
| १ | श्री अजय राम सिंह, गांव अभानपुर, मुरादाबाद | .. | ११ जनवरी, १९६५ |
| २ | श्री फकीर मुहम्मद, बिलारी, मुरादाबाद | .. | २१ जनवरी, १९६५ |
| ३ | श्री जमील अहमद सिद्दीकी, गांव सैदपुरा इमा, मुरादाबाद | .. | २३ जनवरी, १९६५ |
| ४ | श्री जमील अहमद, गांव समादगढ़, मुरादाबाद | .. | ७ मार्च, १९६५ |
| ५ | श्री हकीम मुहम्मद यूसुफ, गांव गजनी, मुरादाबाद | .. | ९ मार्च, १९६५ |
| ६ | श्री हरीराज सिंह, गांव लखोरी, मुरादाबाद | .. | ९ मार्च, १९६५ |
| ७ | श्री रेवत सिंह, गांव अलीनगर, मुरादाबाद | .. | १३ मार्च, १९६५ |
| ८ | श्री गिरीराज सिंह, गांव हाफिजपुर, मुरादाबाद | .. | १३ मार्च, १९६५ |
| ९ | श्री जाफर हुसैन, गांव भीकमपुर, मुरादाबाद | .. | १८ मार्च, १९६५ |
| १० | श्री हरपाल सिंह, मुहल्ला कुरेशी, अमरोहा | .. | ५ अप्रैल, १९६५ |
| ११ | श्री सूरज सिंह, गांव माऊ | .. | ५ अप्रैल, १९६५ |
| १२ | श्री नीला सिंह, गांव कुवावाली, मुरादाबाद | .. | ६ अप्रैल, १९६५ |
| १३ | श्री भरत सिंह, गांव अरयानपुर | .. | २२ अप्रैल, १९६५ |
| १४ | श्री लक्षमनी नारायन गुप्ता, मुरादाबाद | .. | २५ अप्रैल, १९६५ |
| १५ | श्री हकीम अली खान, मुहम्मदपुर, मुरादाबाद | .. | २९ अप्रैल, १९६५ |
| १६ | श्री इन्द्र सहाय , बिलारी | .. | ५ मई, १९६५ |
| १७ | श्री ओ० पी० शुक्ला, गांव बेहटा, मुरादाबाद | .. | ९ मई १९६५ |
| १८ | श्री भूकन सरन जैन, बिलारी | .. | १३ मई, १९६५ |
| १९ | श्री कन्हैया लाल शर्मा, गांव रायपुर कलां | .. | १४ मई, १९६५ |
| २० | श्री रंजीत प्रसाद माथुर, गांव विरामपुर | .. | १४ मई, १९६५ |
| २१ | श्री बन्ने मियां, गांव सिहारी माला, मुरादाबाद | .. | १५ मई, १९६५ |
| २२ | श्री पीर बक्स, गांव मिलक मिथौली, मुरादाबाद | .. | २५ मई, १९६५ |
| २३ | श्री बहोरनसिंह, काशमपुर, मुरादाबाद | .. | २५ मई, १९६५ |
| २४ | श्री राम कुमार व्यास, गांव उक्सी, मुरादाबाद | .. | २५ मई, १९६५ |
| २५ | श्री उत्तम सिंह, सम्भल | .. | ३ जून, १९६५ |

| क्रम संख्या | ग्राम का नाम | क्षतिग्रस्त क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| २६ | श्री अब्दुल रब, गांव डींगरपुर, मुरादाबाद | .. ९ जून, १९६५ |
| २७ | श्री टेक चन्द, गांव सिरसी | .. ९ जून, १९६५ |
| २८ | श्री राम सेवक, सराय तारीम, सम्भल | .. १२ जून, १९६५ |
| २९ | श्री भूपाल सिंह, गांव निभानी, मुरादाबाद | .. १४ जून, १९६५ |
| ३० | श्री भूपाल सिंह, गांव निभानी, मुरादाबाद | .. १४ जून, १९६५ |
| ३१ | श्री बूतलाल, गांव मन्कुला, मुरादाबाद | .. ६ जुलाई, १९६५ |
| ३२ | श्री ध्यान सिंह, गांव नागला माफी, मुरादाबाद | .. ६ जुलाई, १९६५ |
| ३३ | श्री दरबार सिंह, गांव जलालपुर, मुरादाबाद | .. ९ जुलाई, १९६५ |
| ३४ | श्री होरम सिंह, गांव चाजलेट, मुरादाबाद | .. १८ जुलाई, १९६५ |
| ३५ | श्रीमती खिल्लू, सम्भल, मुरादाबाद | .. २५ जुलाई, १९६५ |
| ३६ | श्री कल्यान सिंह, गांव सम्भल, मुरादाबाद | .. २५ जुलाई, १९६५ |
| ३७ | श्री तोताराम, गांव लोदीपुर, मुरादाबाद | .. २६ जुलाई, १९६५ |
| ३८ | श्री राम स्वरूप, गांव नैखेरा, मुरादाबाद | .. ३ अगस्त, १९६५ |
| ३९ | श्री अभय राम सिंह, गांव नवरंगपुर, मुरादाबाद | .. ४ अगस्त, १९६५ |
| ४० | श्री गनपत सिंह, सरदारपुर, मुरादाबाद | .. ५ अगस्त, १९६५ |
| ४१ | श्री धूर्मसिंह, गांव इशरातपुर, मुरादाबाद | .. ६ अगस्त, १९६५ |
| ४२ | श्री गुलाबसिंह, राहतपुर कलां, मुरादाबाद | .. ६ अगस्त, १९६५ |
| ४३ | श्री मौला बक्श, नवादा, मुरादाबाद | .. ७ अगस्त, १९६५ |
| ४४ | श्री मौला बक्श, नवादा, मुरादाबाद | .. ९ अगस्त, १९६५ |
| ४५ | श्री भगवन्त सिंह, बुदेरना, मुरादाबाद | .. १४ अगस्त, १९६५ |
| ४६ | श्री कालू सिंह, गांव बुदेरना, मुरादाबाद | .. १४ अगस्त, १९६५ |
| ४७ | श्री हरकेश सिंह, गांव बुदेरना, मुरादाबाद | .. १४ अगस्त, १९६५ |
| ४८ | श्री बाबूराम, मुन्धिया राजा, मुरादाबाद | .. १७ अगस्त, १९६५ |

विधान सभा सचिवालय

## नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९(२) के तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में स्थित गनगरी तथा तरैना नाले में बाढ़ आ जाने के कारण क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रफल निम्नलिखित है—

| क्रम संख्या | ग्राम का नाम | क्षतिग्रस्त क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| | गनगरी नाला | |
| १ | टिकौली बनारस .. | ५०.०० |
| २ | मसान पाकड़ .. .. .. | २०.०० |
| ३ | आसन पाकड़ .. .. .. | ३२.०० |
| ४ | तेजपुर .. .. .. | ८०.०० |
| ५ | राजपुर .. .. .. | ५२.०० |
| ६ | बनकटी . .. .. | ३२.०० |
| ७ | पुरसोली .. .. .. | ४०.०० |
| ८ | अटकारियां .. .. .. | ३०.०० |
| ९ | मैन्सहा खुर्द .. .. .. | २२.०० |
| १० | गोरखपुरवा .. .. .. | ३०.०० |
| ११ | हारिआर आयर एक .. .. .. | ३५.०० |
| १२ | भारवालिया .. .. .. | २०.०० |
| १३ | कुम्होरा खुर्द .. .. | १५.०० |
| १४ | कुम्होरा बुजुर्ग .. .. | ५०.०० |
| १५ | पकड़पुरा .. .. .. | २०.०० |
| १६ | गोगारिया . .. .. .. | १५.०० |
| १७ | ढखावा .. .. .. | ४०.०० |
| १८ | महराजपुर कलां .. .. .. | ३६.०० |
| १९ | महराजपुर बुजुर्ग .. .. .. | ८५.०० |
| २० | महराजपुर खुर्द .. .. .. | ३३.०० |
| २१ | ओरियानपुर .. .. | १८.०० |
| २२ | विघा .. .. .. | १११.०० |
| २३ | कटकौली .. .. .. | ११५.०० |
| २४ | मैनपोटी .. .. .. | २४.०० |
| २५ | ताल बावोही .. .. .. | ५१०.०० |
| २६ | झारना .. .. .. | ७०.०० |
| २७ | नटकौली .. .. .. | २५.०० |
| २८ | बाभनौली .. .. .. | २८.०० |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रमसंख्या | ग्राम का नाम | क्षतिग्रस्त क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| २९ | बरानी .. .. .. | १२०.०० |
| ३० | अराजीमुदिआरी .. .. .. | १३५.०० |
| ३१ | परासी .. .. .. | ८०.०० |
| ३२ | गाधी मुसतिकुइल .. .. .. | ४२०.०० |
| ३३ | नावाचक .. .. .. | ११५.०० |
| ३४ | करावल उर्फ मझगवां .. .. .. | २६०.०० |
| ३५ | असायर .. .. .. | २४०.०० |
| ३६ | बेलादारा .. .. .. | २५०.०० |
| ३७ | कहाला .. .. .. | १००.०० |
| ३८ | माहुरैन .. .. .. | १२५.०० |
| ३९ | हाता मोहल्ला .. .. .. | १४०.०० |
| ४० | मिसरौली .. .. .. | ३००.०० |
| | योग .. | ३,९०३.०० |
| | तरैना नाला | |
| १ | तालड़ेवनदा .. .. .. | ५५०.०० |
| २ | चाकर रामचन्द्र .. .. .. | २०.०० |
| ३ | मुजरी खास .. .. .. | ३००.०० |
| ४ | कठडेर .. .. .. | ६०.०० |
| ५ | सारया .. .. .. | ५०.०० |
| ६ | मौनिया .. .. .. | ४०.०० |
| ७ | चौक जलाल .. .. .. | ६०.०० |
| ८ | खाखैचखोर .. .. .. | ३००.०० |
| ९ | मामखोड़ .. .. .. | ३००.०० |
| १० | सेखोड़ा बुजुर्ग .. .. .. | १५०.०० |
| ११ | सोनगारसा .. .. .. | १५०.०० |
| १२ | नद्दावा .. .. .. | २००.०० |
| १३ | सलरूआ खुर्द .. .. .. | २०.०० |
| | | २,२००.०० |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर)

### जिला बाराबंकी

### सूची 'अ

१—रसौली
२—हैदरगढ़
३—इधौली
४—टिकैतनगर
५—रामसनेही घाट
६—दरियाबाद
७—नयागंज
८—भिटरिया
९—पटरंगा
१०—बरेल
११—मबई
१२—भेलसर
१३—देवा
१४—सेबेहा
१५—दिलबल
१६—जरेल कलां
१७—जरौली
१८ गादिया
१९—असंधरा
२०—सहसपुर दामोदर
२१—मोतिकपुर बार
२२—धरौली
२३—रामनगर
२४—बशौली
२५—रानीमऊ
२६—भिखारपुर
२७—कसेरी
२८—सिद्धौर
२९—मथुरानगर
३०—अकबरगंज
३१—हड्हा
३२—बन्ती
३३—जैदपुर

### सूची 'ब'

१—न्योरा
२—सिपहिया कटरा
३—ख्योली
४—देवगांव
५—रसूलपुर किदवई
६—गदिया
७—जसमन्दा
८—बस्ती
९—बन्सा
१०—नेवला फरसन्डा
११—बुधबारा
१२—सुरसन्डा
१३—धरिहारा
१४—जहांगीराबाद
१५—अलियाबाद
१६—सैदपुर
१७—समसी
१८—ऐहर
१९—रसूलपुर
२०—मीरमऊ
२१—सनौली
२२—हुनहरा
२३—बरतारा
२४—बीबीपुर
२५—गनेशपुर
२६—जैसुखपुर
२७—दीनपनाह
२८—कोठी

विधान सभा

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४५ पर)

| क्रम-संख्या | ग्राम का नाम | | आबादी | मासिक आय |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० |
| १ | दुबारी | .. | ७,७६६ | ४४.१० |
| २ | लखनौर | .. | २,१५५ | १७९.८० |
| ३ | कटघरा शंकर | .. | १,९१० | कनेक्शन देने |
| ४ | दरगाह | .. | १,५१० | का कार्य किया जा रहा है। |

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ड'

(देखिये ता० प्र० ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४८ पर)

| झील का नाम | | नाले का नाम | | काम समाप्त होने का समय |
|---|---|---|---|---|
| सुखेना ताल | .. | लाही नाला | .. | चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल |
| लिल्हौरा झील | | लिल्हौरा नाला | .. | ,, ,, |
| छोटे तालाब | .. | राम नगर नाला | .. | ,, ,, |
| छोटे तालाब | .. | खम्मन खेड़ा नाला | | ,, ,, |
| सुरेला और कुम्भी झील | | फिरोजाबाद नाला | .. | ,, ,, |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११८ एल० ए०—१९६५—८६२।